पंचम माला, खंड 56, अंक 15, बुधवार, 28 जनवरी, 1976/8 माघ, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVI, No. 15, Wednesday, January 28, 1976/Magha 8, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र / Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 56 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. LVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रूपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and
contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 15, बुधवार, 28 जनवरी, 1976/8 माघ, 1897 (शक)

No. 15, Wednesday, January 28, 1976/Magha 8, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 286, 288 से 292, 295 से 297, 299, 302 और 303	Starred Questions Nos. 286, 288 to 292, 295 to 297, 299, 302 and 303 . . .	1—18
प्रश्नो के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 287, 293, 294, 298, 300, 301, 304 और 305	Starred Questions Nos. 287 293, 294, 298, 300, 301, 304 and 305 . . .	18—23
अतारांकित प्रश्न संख्या 1300 से 1395	Unstarred Questions Nos. 1300 to 1395 .	24—73
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table—	73—77
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	77—78
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
59वां प्रतिवेदन	Fifty-ninth Report presented . . .	78
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee— . . .	
191वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	Hundred and Ninety-first Report presented	78
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
87वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत	Eighty-seventh Report and minutes presered.	
संविधान (32वां) संशोधन विधेयक—	Constitution (Thirty-second) Amendment Bill—	78
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	78—79

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually askde on the floor of the House by him.

	Subject	PAGES
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	79
नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित	Urban Land (Ceiling and Regulation) Bill—*Introduced*	79
प्रेस परिषद् (निरसन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और प्रेस परिषद (निरसन) विधेयक)—	Statutory Resolution Re. Disapproval of Press Council (Repeal) Ordinance, 1975 and Press Council (Repeal) Bill— . .	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider the Bill—	80—86
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira . . .	80
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	80
श्री सरोज मुखर्जी	Shri Saroj Mukherjee . . .	81—82
श्री अनन्त राव पाटिल	Shri Anantrao Patil . . .	82—84
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	84—85
श्री सुरेन्द्र महेती	Shri Surendra Mohanty . . .	85
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . . .	85—86
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	86—87
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	89
संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन—संरक्षण अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन) संरक्षण) निरसन विधेयक—	Statutory Resolution Re. Disapproval of Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Ordinance, 1975 and Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Repeal Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider the Bill— . . .	90
श्री इराज्मु द सैकेरा	Shri Erasmo de Sequeira . . .	90—91
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	91—92
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . . .	92
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen . . .	92—93
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukerjee . . .	93—94
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve . . .	94—95

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal . . .	96
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R, Shukla	96—
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . . .	97
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	98—101
खण्ड 2, 3 और 1 पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में—	Clauses 2, 3 and 1 Motion to pass, as amended— . . .	
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	101
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	101—103
आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अध्यादेश 1975 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण विधेयक	Statutory Resolution Re. Disapproval of Prevention of Publication of Objectionable Matter Ordinance, 1975 and Preention of Publication of Objectionable Matter Bill—	
विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider the Bill—	
श्री इराज्मु द सैकेरा	Shri Erasmo de Sequeira . . .	103—104
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	104—107
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	107
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan . . .	107
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	107
श्री सरोज मुखर्जी	Shri Sarej Mukherjee . . .	108
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . . .	108—109
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . . .	109
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House . . .	109

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 28 जनवरी, 1976/8 माघ, 1897 (शक)

Wednesday, 28 January, 1976/Magha 8, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
केन्द्रीय राज सहायता के लिए क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन

*286. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से 15 प्रतिशत केन्द्रीय राज सहायता के लिए पात्र क्षेत्रों का पुनः सीमकांन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय समूचे विकास केन्द्र को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय राज सहायता योजना के कार्यकरण का पुनर्विलोकन कर रहा है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में राज सहायता योजनाओं के प्रभाव की समग्रतः संवीक्षा की जा रही है । इसके पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही विकास केन्द्र के सुझावों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े क्षेत्रों की विकास नीति पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : हां तक राज्यों के पिछड़े और अल्प विकसित क्षेत्रों मे उद्योग स्थापित करने का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों ने योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड तथा प्राप्त हुए अनुभव के अनुसार राज्य के प्रत्येक अल्प-विकसित और पिछड़े क्षेत्र में विकास केन्द्रों की प्रगति के लिए विकास केन्द्र दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया है । क्या मैं जान सकता हूं कि समग्र रूप से समीक्षा का कार्य आरम्भ कर दिया गया है और यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री ए० पी० शर्मा : पिछड़े क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार के उद्योग सचिव, श्री पी० सी० नायक की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई है । समिति का प्रतिवेदन तथा मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेगी । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के साथ इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया जायेगा । चूंकि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है; अतः कोई अंतिम निर्णय लेने से पूर्व राष्ट्रीय विकास परिषद से भी परामर्श किया जायेगा ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : इसमें कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है "बहुत शीघ्र" ।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एस० एस० आई० बोर्ड की 33वीं बैठक में हुई बातचीत की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की ऐसी योजना है कि महानगरों में उद्योग स्थापित करने के लिए बढ़ावा न दिया जाये । मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे जिले हैं जो पिछड़े जिले घोषित नहीं किये गए हैं । उनमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं । कहा गया है कि सभी तथाकथित पिछड़े क्षेत्र उद्योगों के विकास के लिए अपेक्षित आधार-भूत सुविधाओं से पूर्णतया विहीन नहीं है । अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस नीति पर निर्णय लेते हुए उनका विशेष पहलू ध्यान में रखा जायेगा और क्या उन क्षेत्रों में विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहां विकास की पूरी संभावना है और जहां आधार-भूत ढांचा उपलब्ध है, उद्योग स्थापित किए जायेंगे । दूसरे, जिले को एक इकाई लेने की बजाय क्या एक तहसील को एकक माना जायेगा ?

श्री ए० पी० शर्मा : मैंने अपने उत्तर में पहले बता दिया है कि पिछडे क्षेत्रों के विकास के लिए नायक समिति के प्रतिवेदन की सभी बातों पर विचार किया जायेगा । चाहे वे क्षेत्र विकसित या विकासशील राज्यों में हों । इन सब बातों पर विचार करके निर्णय किया जायेगा ।

Shri Nawal Kishore Singh : I am glad that the Government are considering a new strategy for the development of backward areas. Government have a scheme of developing growth centre and at the same time they are developing marketing yard. I want to know whether Government while considering a new approach will keep in view that the growth Centres would be set up at those places where marketing Centres are being set up with the help of World Bank Loan and this capital subsidy will be granted to those areas only, so that that area could be developed fully and new opportunities of employment and other facilities could be created.

Shri A. P. Sharma : Yes Sir. The State Governments have also been asked to give their opinion in this regard. Marketing Centres are necessary for small scale products too and we are trying to do so.

Shri Nathu Ram Ahirwar : The Hon. Minister has just now stated that Government are paying special attention to the development of industries in backward areas. But it has been seen that no industry has been set up in any such district in the Country which has been declared backward. I can say that in my area no industry has been set up. Therefore I want to know whether Government are going to make any change in their licensing policy. Licences should be issued only to those indastrialists who are prepared to set up industries in backward areas and not in those areas which are already industrially developed.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : हमने देखा है कि कई जिलों को पिछड़ा जिला घोषित तो कर दिया गया किन्तु इसके अलावा उनके विकास के लिए और कुछ नहीं लिया गया है । अतः पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक सभी बातें विचाराधीन हैं और

मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर अधिक ध्यान देने के लिए प्रस्ताव लेकर आयेंगे। यदि आवश्यक समझा गया तो लाइसेंस देने की नीति में भी परिवर्तन किया जा सकता है ।

वैगन निर्माण एककों में क्षमता का उपयोग

*288. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैगन निर्माण एककों में काम की गति धीमी होने के क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार ने वैगन एककों में क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस कार्यवाही के क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क),(ख) तथा (ग) अलाभकारी क्रयादेशों, क्षमताओं का न्यून उपयोग, कुछ हिस्से पुर्जों की सप्लाई में असमानता और परिणामस्वरूप कार्यसंचालन पूंजी की कमी के कारण मुख्य रूप से वैगन निर्माण एककों में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है । सरकार इस बात का सुनिश्चय करने का प्रयत्न कर रही है कि उद्योग के पास क्रया-देशों का स्तर न्यूनतम निर्वाह स्तर तक रखा जाये और इनमें धीरे-धीरे उस स्तर तक वृद्धि की जाये जिस स्तर तक कार्यसंचालन जीवनक्षम होगा । सरकार वैगनों के मूल्यों को युक्तिपूर्ण बनाने की कोशिश भी कर रही है । अधिष्ठापित क्षमता का और अधिक उपयोग करने के लिए वैगन एकक अपने उत्पादन में विविधता लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप 1975–76 के प्रथम नौ महीनों में 1974–75 की इसी अवधि की तुलना में वैगनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है । विविधीकरण के परिणामस्वरूप अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में वैगन क्रयादेशों में कमी होने के बावजूद वैगन एकक स्वयं को कामयाब बनाए रखने में भी समर्थ हैं यद्यपि उन्हें ऐसा करने में बहुत कठिनाई हो रही है ।

वैगनों और कोचों के लिए निर्यात क्रयादेश प्राप्त करने हेतु कठिन प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री एस० एन० सिंह देव : निस्संदेह सरकार ने वैगन निर्माण एककों में अप्रयुक्त क्षमता को उपयोग में लाने के लिए कुछ कार्यवाही की है किन्तु अब तक की उपलब्धि असंतोषजनक है । यदि हम हाल के वर्षों में इन एककों के उत्पादन के आंकड़ों की तुलना 1966 से पहले के आंकड़ों के साथ करें तो हमें पता चल जायेगा। 1966 के बाद इनके उत्पादन में गिरावट आरम्भ हो गई । इसके फलस्वरूप कुछ एकक बन्द हो गए, कुछ बन्द होने वाले हैं और कुछ अपनी निर्धारित क्षमता से बहुत कम क्षमता का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें भारी वित्तीय हानि हो रही है । अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में क्या ठोस कदम उठा रहे हैं ताकि ये एकक अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन करें और बड़ी संख्या में लोगों की छंटनी होने से रोका जा सके ।

श्री टी० ए० पाई : श्रीमान् 1958 तक हमने सभी वैगनों का आयात किया था । जब देश में वैगन उद्योग की स्थापना हुई तो उसकी निर्धारित क्षमता 31,000 वैगन प्रति वर्ष थी । मुझे आशा है कि इन तमाम वर्षों में वैगनों का आयात न करने से देश को 950 करोड़ रुपये की मुद्रा की बचत हुई होगी । चूंकि एकाधिकारी खरीददार केवल रेलवे है अतः रेलवे की जरुरतें विभिन्न

प्रकार रही हैं जो कि उनके वित्तीय संसाधनों पर निर्भर हैं। इस समय हमारे वैगन उद्योग की क्षमता का केवल 33 प्रतिशत तक का उपयोग किया जा रहा है। यद्यपि हम निर्यात करने के लिये आदेश लेने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी यह आसान कार्य नहीं है। क्योंकि भारत से भाड़ा प्रभार बहुत ज्यादा है। इन परिस्थितियों में चूंकि अधिकांश वैगन एकक सरकारी क्षेत्र में है अतः हम अधिकतम आदेश प्राप्त करने और पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिये रेलवे के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे पास जो अतिरिक्त क्षमता है उससे अन्य उत्पादन कार्यों में लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री एस० एन० सिंह देव : जहां तक मैं जानता हूं सरकार ने वर्तमान कठिनाई को दूर करने और वैगन निर्माण एककों की पूरी क्षनता का उपयोग करने के लिये यूगोस्लाविया और पोलैंड जैसे देशों को वैगनों की सप्लाई के लिये करार किये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन करारों के क्या निष्कर्ष निकले हैं। क्या ये करार कार्यान्वित कर दिये गये हैं और क्या इन करारों से कुछ लाभ हुआ है ? कुछ समाचारपत्रों से पता चला है कि लाभ के बजाय हमें भारी घाटा हुआ है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की सौदेबाजी क्यों की गयी है और वैगनों की सप्लाई हमारे लिये क्यों अलाभप्रद रही है और वैगन विदेशों को लाभ कमाने के लिये सप्लाई क्यों नहीं किये जाते ? इन एककों को कितने रुपये की हानि हुई है ?

श्री टी० ए० पाई : पोलैंड को वैगन सप्लाई करने का करार पूरा कर लिया गया है। यूगोस्लाविया को वैगन सप्लाई करने में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गयी है क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल में, जहां अधिकांश एकक स्थापित हैं, बिजली की कमी हो गयी थी। इन सब कारणों से हम करार को पूरा नहीं कर पाये। हमने यूगोस्लाविया से बातचीत की है कि अपने क्रयादेश वापस ले लें क्योंकि उन्हें वैगन निर्यात करने से हमें भारी हानि उठानी पड़ेगी। हम इन आदेशों को रद्द करवाने में काफी सफल हो गये हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख कर तथा अतीत के अनुभव को मदे नजर रखते हुए हम तब तक वैगनों का निर्यात नहीं कर सकते जब तक कि इन सब बातों पर भविष्य में विचार न किया जाये।

श्री राम सहाय पाण्डेय : यह बहुत ही खुशी का समाचार है।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री ने कहा है कि हमने वैगनों का आयात बन्द कर दिया है।

श्री टी० ए० पाई : मैं कह रहा था कि 1958 तक हम वैगनों का आयात करते थे किन्तु अब तो हम स्वयं उनका निर्माण कर रहे हैं।

श्री राम सहाय पाण्डेय : जिन देशों का उन्होंने उल्लेख किया है उनके अतिरिक्त सोवियत संघ सहित कितने अन्य देशों ने वैगनों के लिये क्रयादेश दिये हैं और सप्लाई की क्या स्थिति है ?

श्री टी० ए० पाई : हमने अब तक केवल पोलैंड, ईरान, पूर्व अफ्रीकी रेलवे, यूगोस्लाविया और मलेशिया को वैगनों की सप्लाई की है। हमने अन्य किसी देश से कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं किया है। यद्यपि पोलैंड, श्री लंका, नाइजीरिया, फिलिपाइन, आस्ट्रेलिया, आल्जीरिया, इन्डो-

नेशिया आदि को हमने प्रस्ताव भेजे हैं और उन पर बातचीत भी हो रही है । जहां तक लागत का सम्बन्ध है, हम वैगन बनाने में सक्षम है क्योंकि इसके लिए हमारे पास क्षमता उपलब्ध है, किन्तु भाड़ा प्रभार कभी कभी वैगनों की लागत से अधिक हो जाता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसी विषय पर इसी तरह का एक प्रश्न कल रेल मंत्री से भी पूछा गया था । जहां तक मैं समझ पाया हूं रेल मंत्रालय शिकायत करता है कि क्षमता का कम उपयोग किए जाने के बावजूद भी वे यह महसूस करते हैं कि उन्होंने वैगन निर्माता एककों को जो आदेश दिए हैं, उन्हें समय पर पूरा नहीं किया जा रहा है । उनके पास अभी पुराने आदेश पड़े हुए हैं और इसलिए रेल मंत्रालय का विचार है कि जब तक पिछले आदेशों को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक अतिरिक्त आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि मैं ठीक समझ पाया हूं तो क्या यह उत्तर उद्योग मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से विपरीत नहीं है ? उनका कहना है कि कम क्षमता का उपयोग किया जा रहा है । मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वास्तव में स्थिति क्या है ? क्या यह सही है कि अभी बड़ी संख्या में पुराने क्रयादेश निलम्बित पड़े हुए हैं ?

दूसरे कुछ सयम पहले एक प्रस्ताव था और सभा में भी यह कहा गया था कि सभी वैगन निर्माता एककों को एक निगम में समन्वित कर दिया जायेगा ताकि ये क्रयादेश सभी एककों में समान रूप से वितरित किए जा सकें । किन्तु इस बारे में और कुछ पता नहीं चल रहा है । उस प्रस्ताव का क्या हुआ है ?

श्री टी० ए० पाई : यह सही है कि वैगन निर्माण उद्योग में 14,000 वैगनों के क्रयादेश निलंबित पड़े हुए हैं जिसके लिए रेलवे ने 1972-73 में एक आदेश दिया था । किन्तु रेलवे बढ़ी हुई लागत देने के लिए राजी नहीं है । अत: हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं । जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि हमें घाटा नहीं होगा तब तक और क्रयादेश देने का कोई लाभ नहीं है । यह सही है कि ये एकक सरकारी क्षेत्र में ले लिये गये हैं किन्तु हम उन्हें घाटे में नहीं चला सकते । हम रेल मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहे हैं । कुछ छोटे छोटे मतभेद हैं और मुझे आशा है कि वे दूर कर लिए जायेंगे । इस बीच हम वैगनों का निर्माण रोक नहीं रहे हैं ।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, वैगन इंडिया का गठन कर लिया गया है । यह सभी वैगन निर्माता एककों का पर्यवेक्षण करता है । क्योंकि अधिकांश वैगन निर्माता एककों को अन्य प्रकार की वस्तुओं के निर्माण का कार्य भी करना होता है, अत: उन्हें समन्वित नहीं किया जा सकता । सरकारी क्षेत्र में हमारा एक वैगन कारपोरेशन आफ इंडिया है वह क्रयादेश देने और वैगनों की सप्लाई का काम भी करता है ।

विद्युत् के वितरण के लिए केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण में एक पथक् एकक की स्थापना

*289. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **उर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत के वितरण के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक पृथक एकक स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Sidheshwar Prasad) : (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) & (b) A separate organisation has recently been created in the Central Electricity Authority for undertaking power system studies and framing guidelines for system planning in respect of the transmission net work. This organisation would plan for the operation of the regional grid system and regional load despatch stations and would play an important role in guiding the working of the Regional Electricity Boards. This power systems organisation is proposed to be further strengthened in a phased manner to undertake studies on high voltage transmission systems and distribution planning.

Shri K. M. Madhukar : Mr. Speaker, Sir I have asked whether Government have a proposal under consideration to set up a separate unit in Central Electricity Authority for power distribution the hon. Minister has replied that it will be done in a phased manner. I want to know it clearly whether the Ministry considers it necessary to set up a separate unit in Central Electricity Authority for power distribution, if so, the reasons for not setting up this unit.

Prof. Siddheshwar Prasad : It has been stated in the Statement laid on the table of the House that we do consider it necessary to set up such a unit and a separate organisation has recently been created in the Central Electricity Authority. A member has been appointed to look after the distribution side.

Shri K. M. Madhukar : The hon. Minister has stated :

"This power systems Organisation is proposd to be further strengthned in a phased manner.....". I want to know whether there is any time limit for phased manner or this phased manner will continue for indefinite period.

Prof. Sidhheshwar Prasad : In January 1975 a member was appointed in the Central Electricity Authority to study the plan for National grid. The work has already been started in this regard.

So far as the question of setting up grid in the States is concerned a lot of progress has been made. But as for the question of setting up a National grid is concerned it will take quite some time because the member has recently started the study in this regard. Therefore it is very difficult to say anything about the date by which it will be completed. However, rapid progress is being made in this direction.

श्री नवल किशोर सिंह : विवरण में मंत्री महोदय ने कहा है "विद्युत प्रणाली का अध्ययन करने के लिए और पारेषण व्यवस्था के संबंध में प्रणाली की योजना बनाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने के लिए केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण में हाल ही में एक पृथक संगठन बनाया गया है।" मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं यदि हां, तो वह क्या हैं और कब तक वह राज्य विद्युत बोर्डों के पास भेजे गए थे ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : यह मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्य विद्युत बोर्डों के पास भेजे गए हैं और राज्य विद्युत बोर्ड के सदस्य के कुछ कार्य निम्न हैं (1) बिजली के अन्तप्रदेशीय अन्तरण तथा राज्यों और कार्य प्रणालियों में समेकित सहयोग हेतु मानदंड निर्धारित करना तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना तथा इस उद्देश्य के लिए राज्य विद्युत बोर्ड का सदस्य सभी विद्युत बोर्डों तथा क्षेत्रीय भार पारेषण करने वाले विभिन्न केन्द्रों का प्रभारी होगा, (2) राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा अखिल भारतीय ग्रिडों के समेकित कार्यक्रम के अनुरूप देश में अपेक्षित मुख्य पारेषण व्यवस्था की योजना करना, (3) ग्रामीण विद्युतीकरण, (4) प्रणाली से होने वाली हानि में कमी, (5) विभिन्न प्रणालियों में भार प्रतिबंधों को कम करने के उपायों की योजना तथा क्रियान्वयन इत्यादि ।

श्री पी० गंगादेव : अधिकांश राज्य विद्युत बोर्डों में प्रशिक्षित अधिकारियों की कमी है जिसके कारण विभिन्न बिजली घरों का प्रबंध तथा रखरखाव उचित ढंग से नहीं हो रहा । इन बिजली घरों की स्थिति अभी भी काफी शोचनीय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके बेहतर कार्यचालन तथा

विद्यमान तकनीकी दक्षता में सुधार हेतु सरकार द्वारा आपरेटरों तथा इंजीनियरो इत्यादि के लिए देश में अधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ।

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : देश में ऐसे दो प्रशिक्षण केन्द्र पहले से ही हैं और हमने दो और केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है जहां उन इंजीनियरों को, जोकि पारेषण तथा बिजली घरों के निर्माण और संचालन में लगे हुए हैं, प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया पक्ष में है ।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय द्वारा दी गई सभी व्याख्याओं और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बावजूद भी यह स्पष्ट नहीं कि सरकार बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में असंतुलन दूर करने के लिए, जहांकि जितनी भी ऊर्जा पैदा होती है उसका वितरण, वितरण सुविधाओं के अभाव में नहीं हो पाता, क्या कार्यवाही करेगी। सरकार इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेगी ।

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : बिहार जैसे पिछड़े राज्यों की ओर हमने विशेष ध्यान दिया है । कमियों के कारणों की जांच हेतु एक समिति की नियुक्ति की गई थी । समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और हमने बिहार सरकार तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उचित कार्यवाही करने को कहा है ताकि इन उपायो को लागू किया जा सके ।

श्री प्रबोध चन्द्र : मै यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार बिजली उत्पादन के कार्यों को राज्य सरकारों से लेकर केन्द्र के हाथ मे देने का है क्योंकि राज्यों में छोटे छोटे मतभेदों के कारण बहुद्देशीय पन-बिजली योजनाओं को क्रियान्वित करने में विलम्ब हुआ है और परिणाम-स्वरूप मूल्यों में तिगुनी वृद्धि हुई है । यदि आप मूल्यों की तुलना करे तो आपको यह बात स्पष्ट हो जायेगी ।

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : बिजली के संदर्भ में केन्द्र तथा राज्यों के बीच समूची वितरण प्रणाली में यह बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मुझे लगता है कि राज्य भी इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं और मैं यह भी नहीं जानता कि क्या जनमत इस वक्त इसके पक्ष में है या नहीं हम प्रत्येक क्षेत्र में केन्द्र द्वारा उत्पादित की जाने वाली बिजली का अनुपात बढ़ा रहे हैं ताकि हम उस क्षेत्र में बिजली के समुचित वितरण और उसके अन्तरण के बारे में कुछ कह सकें। जहां तक विभिन्न राज्यों में अन्तर्राज्य समस्याओं का संबंध है उन्हें निपटाया जा रहा है जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं जब भी ऐसी समस्याएं हमारे समक्ष आती हैं हम उन पर विचार करके ऐसा समाधान खोजने की कोशिश करते हैं जोकि सबको स्वीकार्य हो ।

सहायक लघु उद्योग को संरक्षण

290. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय बड़े उद्योग सहायक लघु उद्योग से उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं और उनको सप्लाई किए गए माल के लिए भुगतान करने में 6 महीने से 2 वर्ष तक विलम्ब किया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सहायक लघु उद्योग को तुरंत भुगतान किए जाने और उसके शोषण को रोकने के लिए सांविधिक संरक्षण देने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) लघु उद्योग विकास संगठन को ऐसे कुछ मामलों का पता लगा है जिनमें लघु सहायक औद्योगिक एककों को भुगतान करने में बड़े उद्योगों ने देर की है ?

(ख) लघु सहायक उद्योगों की सहायता करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के ढांचे में संशोधन करने का सरकार का प्रस्ताव है ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि बड़े उद्योग अपने क्षेत्रों के सहायक उद्योगों को आर्डर नहीं देते उदाहरणार्थ रांची की हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, जमशेदपुर की टेलको, टिस्को, तथा अन्य कम्पनियां और यदि कभी आर्डर दे भी देती हैं तो सप्लाई किए गए माल का भुगतान नहीं करती । क्या सरकार बड़े उद्योगों को यह निर्देश देगी कि वह सप्लाई किए गए माल के बदले भुगतान एक महीने के भीतर कर दें अथवा उसपर बैंक दर से ब्याज दें ?

श्री ए० पी० शर्मा : हमारे देश में लगभग 22,000 सहायक उद्योग है लेकिन केवल 12 मामलों में ही विलम्ब से भुगतान करने के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है । संबंद्ध लोगों को जल्द से जल्द भुगतान करने के बारे में निर्देश जारी किए गए हैं । इन बारह मामलों में से एक दो मामलों को छोड़कर बाकी में भुगतान आर्डर दे दिए गए हैं अथवा भुगतान किया जाने वाला है ।

जहां तक आर्डर देने के विशिष्ट प्रश्न का संबंध है बड़े उद्योग जैसे टाटा और बोकारो, बोकारो में लगभग 60 लघु पैमाने के सहायक उद्योग हैं, मैं हाल ही में वहां गया था मुझे कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली ।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सभी बड़े उद्योगों के लिए, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में कम से कम 25 प्रतिशत आर्डर सहायक उद्योगों को देना अनिवार्य करेगी ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ।

श्री ए० पी० शर्मा : माननीय सदस्य को इस बात का पता होना चाहिए कि जो सहायक उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ निबद्ध है, उनके माल का कम से कम 50 प्रतिशत बड़े पैमाने के उद्योगों को अनिवार्यत: खरीदना ही पड़ता है । अत : हम 25 प्रतिशत की सीमा से आगे बढ़ गए हैं ।

डा० रानेन सेन : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि बड़े उद्योग अपने प्रभुत्व के कारण छोटे उद्योगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें कम दर पर भुगतान करते हैं, यदि हां, तो सरकार का छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों के प्रहार से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ए० पी० शर्मा : कम दर देने का प्रश्न ही नहीं उठता । दरें निर्धारित हैं और भुगतान भी निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता है ।

कुछ मामलों में यदि विलम्ब हुआ है और जो हमारे ध्यान में लाये गए हैं हमने उस बारे में कार्यवाही की है ।

डा० रानेन सेन : बड़े उद्योग दरें निर्धारित कर देते हैं लेकिन छोटे उद्योगों की आपसी प्रतियोगिता होती है कई बार छोटे उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा दरें निर्धारित करने के कारण हानि उठानी पड़ती है ।

श्री वयालार रवि : प्रत्येक राज्य में रोजगार संभाव्यता बढ़ाने की दृष्टि से इन सहायक उद्योगों की स्थापना की जाती है लेकिन शिकायतें मिली हैं कि जहां बड़े उद्योगों की स्थापना हो रही है वहां सहायक उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं । क्या सरकार इस संबंध में कार्यवाही करेगी कि जिस क्षेत्र में बड़े उद्योग स्थापित हों उनके साथ साथ सहायक उद्योग भी उसी क्षेत्र में स्थापित किए जांए ।

श्री ए० पी० शर्मा : माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि जहां बड़े उद्योग स्थापित किए जांएं वहां जहां तक संभव हो उनके साथ साथ सहायक उद्योग भी स्थापित किए जाएं । मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि इस संबंध में ध्यान रखा जा रहा है लखनऊ की 'स्कूटर्ज इण्डिया' इसका बहुत अच्छा उदाहरण है 'स्कूटर्ज इंडिया' ने स्वयं 29 सहायक उद्योगों की स्थापना की है और वह कुछ और उद्योगों की स्थापना कर उनकी संख्या 50 करना चाहते हैं ।

टेलीविजन कार्य के लिये स्वायत्त निकाय

*291. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीविजन कार्य के लिए एक स्वायत्त निकाय गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निकाय के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) : टेलीविजन को आकाशवाणी से पृथक करने का निर्णय किया गया है । नये संगठन का नाम 'दूरदर्शन' (टेलीविजन इंडिया) होगा और वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय होगा जिसका प्रमुख महानिदेशक होगा ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : It is a matter of gratification that the Government is going to set up a new organisation which will be known as "Doordarshan", I would like to know the date by which it will be set up.

Shri Dharam Bir Sinha : We have already taken decision in this regard. It will be set within next one or two months.

श्री अनन्तराव पाटिल : यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि टेलीविजन को आकाशवाणी से पृथक करने का निर्णय किया गया है और टेलिविजन के लिए अलग संगठन बनाया जा रहा है । वह चिरप्रतीक्षित निर्णय था इस विभाजन के बाद देश में अधिक टेलिविजन केन्द्र तथा स्टूडियो बनाना आवश्यक हो जाएगा । इसके साथ-साथ लोगों को भी टेलिविजन सेट खरीदने की स्थिति में होना चाहिए । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अधिक केन्द्र और अधिक स्टूडियो बनाने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है और दूसरे क्या औद्योगिक विभाग से इस बात

का अनुरोध किया गया है कि वह टेलिविजन के निर्माताओं से टेलिविजन के दाम कम करने के लिए कहें ?

श्री धर्म वीर सिंह : इस अनुपूरक प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह "दूरदर्शन" संस्था कोई स्वायत्त निकाय नहीं होगा बल्कि यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय होगा । टेलिविजन को आकाशवाणी से पृथक करने का कारण टेलिविजन के क्षेत्र में द्रुत गति से विकास करना है लेकिन यह संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करता है । टेलिविजन के द्रुत गति से विकास के लिए तकनीकी रूप से हम सज्जित हैं यदि संसाधन उपलब्ध हुए तो निश्चय ही हम बहुत प्रगति करेंगे ।

जहां तक टेलिविजन सेट की कीमत का संबंध है हम निश्चय ही इसकी कीमत घटाना चाहते हैं लेकिन यह अनेक वित्तीय उपायों पर निर्भर है जिसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता ।

Programme for making Adivasis Self-Reliant

***292. Shri M. C. Daga:** Will the Minister **of Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme for making Adivasis self-reliant ; and

(b) if so, the programme chalked out by Government for its implementation ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujral): (a) and (b): Sub-Plans are being formulated for areas of tribal concentration which will lead to the economic betterment of Adivasis and thereby help them towards self-reliance. In the sub-plans productive progarmmes such as minor irrigation, agricultural inputs, horticulture, forest processing industries, cottage and small scale industries and other family based programmes are being given maximum weightage to enable families to augment their incomes. In order to check exploitation, emphasis is laid on the completion of land records, records of rights of tribals in forests, and debt redemption. Provision is also being made for credit and marketing facilities.

श्री एम० सी० डागा : उत्तर में यह बताया गया है कि जिन क्षेत्रों में आदिम जाति के लोगों की संख्या अधिक है उनके लिए उप-योजनायें बनाई जा रही हैं जिनके फलस्वरूप आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा ; May I know the reasons for the failure of plans for the Adivasis on which crores of rupees were spent ? Now when you have asked for sub-plans, I want to the names of states which have submitted their sub-plans and which are the districts for which sub-plans have been received, how much money has been earmarked for that and when these plans were received ?

श्री आई० के० गुजराल : उप-योजनायें लगभग सभी राज्यों द्वारा भेजी गई हैं और अब वहां मंजूरी की दृष्टि से उनका परीक्षण किया जा रहा है । हमें आशा है कि यह शीघ्र ही मंजूर हो जायेगी । जैसा कि मेरे मित्र को मालूम ही है, इन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार गृह मंत्रालय को ही है । जहां तक इन कार्यक्रमों के प्रभाव का सम्बन्ध है, वह बढ़ रहा है । आज हम भारतवासी यह जानते हैं कि इस दिशा में कुछ कार्य हुआ है और यदि कुछ और किया जाना है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हम कुछ उपलब्ध कर चके है । परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और अभी देश में काफी पिछड़ापन है ।

जहां तक धनराशि के आवंटन का प्रश्न है, उसके लिए मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि हम यह चाहते हैं कि उपयोजनाओं के लिए धनराशि राज्य योजनाओं से ही ली जानी चाहिये । इसके लिए जो 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुपूरक धनराशि अपेक्षित होगी, वह केन्द्र द्वारा दी जायेगी ।

Shri M. C. Daga : My question has been answered in a round about way. I want to know when Adivasis will become self-reliant ? How much amount has been spent so far ? Why you have asked for sub-plans and which states have not sbmitted their plans ? It has been stated by hon. Minister that it is implemented by Home Ministry, then the question should have been replied by the that Ministry. I have asked a categorical question. I want to know by which time Adivasis will become self-reliant, how much amount has been earmarked for those plans and what will be the contributions of States in that amount.

Shri I. K. Gujral: Mr. Speaker, Sir, Mr. Daga is a senior and intelligent Member of the House and he is asking me when Adivasis will become self-reliant. Well knowing the fact that this can't be specified. We are making efforts for social uplift and our 20 Point Programme is a step in the same direction which will have its impact on Adivasis also. When loans will end, bonded labour will end, these will have their impact on Adivasis and they will advance towards self-reliance. The amount which has been spent has proved its utility. On the basis of experience it has been realised that there is need for orientation. Therefore the Committee which was appointed suggested for new thrust in the plans. I have never, said that only Home Ministry knows about it. It is implemented by Home Ministry and the answer given by me in this regard is a complete one. You have also asked about our success and in this a connection. I want to submit that when these fundamentals of social uplift will be started, the self-reliance will be achieved soon.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आपको मालूम है कि उत्तर बंगाल के अधिकांश भागों में आदिवासी बसे हुये हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनके उत्थान तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : अपने उत्तर में मुख्य बात जो मैं स्पष्ट करना चाहता था वह यह थी कि इस समस्या से निपटने के लिए योजनाबद्ध विकास का कार्य आरम्भ किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि समूचे आदिवासी क्षेत्र में ठोस प्रयास किये गये हैं और प्रोत्साहन भी दिये गये है।

जहां तक बंगाल का सम्बन्ध है, राज्य योजना के आधार पर धनराशि निर्धारित कर दी गई है। केन्द्र द्वारा दी जाने वाली 200 करोड़ रुपये की धनराशि से बंगाल के आदिवासी क्षेत्रों के लिए दी जाने वाली धनराशि का अंदाजा भी लगा लिया गया है। परन्तु पिछले वर्ष, चालू वर्ष तथा आगामी वर्ष को आदिवासी क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी इन योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन करने पर अधिक बल दिया जायेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने उत्तर बंगाल के बारे में पूछा है। सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये है ?

अध्यक्ष महोदय : उसका ब्यौरा उनके पास नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : प्रश्न आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि किसी राज्य में कोई विकास कार्य होता है जैसा कि बिहार में, तो क्या सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिस के अनुसार वहां स्वायत्तशासी प्रशासन हो या ऐसे कहिये कि दक्षिण बिहार समीपवर्ती मध्यप्रदेश, उड़ीसा और अन्य क्षेत्रों का एक स्वायत्तशासी प्रशासन एकक बनाया जाये ताकि कम से कम स्थानीय प्रशासनीय स्तर पर उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके ?

मेरा दूसरा प्रश्न उन लोगों की संस्कृति तथा भाषा के सम्बन्ध में है। क्या केन्द्र सरकार का विचार किसी ऐसे निकाय की स्थापना करने का है जो उन लोगों की भाषा तथा संस्कृति के बारे में अनुसंधान करें, क्योंकि इससे अन्ततः हमारी संस्कृति तथा इतिहास ही समृद्ध होगा ?

जहां तक बंधुआ श्रमिक अधिनियम का सम्बन्ध है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम या भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों विशेषकर आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है जो कि इस प्रकार के कार्यों में लगे हुये है—उनमें से कुछ सूदखोर तथा साहूकार भी बन गये हैं ?

श्री आई० के० गुजराल : जहां तक आदिवासियों के जनजीवन की संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा इसका विकास करने का सम्बन्ध है, उस सम्बन्ध में मैं माननीय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि आदिवासी अनुसंधान केन्द्रों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। उसका ध्यान रखा जा रहा है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होना चाहिए ताकि छोटेकन उत्पादों का कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। सभी प्रकार का शोषण समाप्त किया जाना चाहिये। उन्हें कृषि के लिए भूमि दी जानी चाहिये। इन्हीं परियोजनाओं पर अब हम आपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। जहां तक आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम या आन्तरिक सुरक्षा के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जाने वालों का प्रश्न है, इसके लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है ।

ए० आई० आर० कम्पलैक्स के लिये कड्डपाह में स्थान का चयन

*295. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ए० आई० आर० का एक स्थायी कम्प्लेक्स स्थापित करने के लिये कड्डपाह में स्थान का चयन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस चयन पर सहमत हो गई है ;

(ग) क्या ए० आई० आर० ने कड्डपाह में उस स्थान का कब्जा ले लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख), (ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय को वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। मुझे मालूम है कि स्थान का चयन करने के लिए स्टेशन निदेशक वहां आया था। उसने स्थान की मंजूरी लेने के लिए जिला कलेक्टर तथा राज्य प्राधिकारियों से सम्पर्क करने का प्रयत्न भी किया था। यह आश्चर्य की बात है कि मंत्री महोदय को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री धर्मवीर सिंह : मुझे स्थिति की पूर्ण जानकारी है। परन्तु प्रस्तावित स्टेशन के स्थान का निरीक्षण करने का तात्पर्य यह नहीं है उस स्टेशन के स्तर के बढ़ाने या वहां स्टुडियो स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है। जब हम अपनी योजनायें बनाते हैं तो निश्चय ही हम उन स्थानों पर जाते हैं, जहां हम इसकी आवश्यकता समझते हैं । आकाशवाणी के इंजीनियर और अधिकारी वहां जाते हैं तथा स्थिति का निरीक्षण करते हैं । जैसे कि मैंने पहले बताया है, अभी संसाधनों की कमी के कारण स्थान का चयन नहीं किया गया है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का पुनर्गठन

*296. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का पुनर्गठन करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के कार्यों की बहुलता और विशालता को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के ढांचे के पुनर्गठन की प्रक्रिया को जारी रखना पड़ेगा। गत तीन वर्षों में इस दिशा में अनेक उपाय किए गए हैं।

(ख) इस समय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एक कारपोरेट कार्यालय और सोलह अन्य प्रभाग हैं। कारपोरेट कार्यालय में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, विपणन, अनुसंधान और कंपनी कार्यों के लिए उनकी सहायता के लिए दो पूर्णकालिक कार्यशील निदेशक और सहायक कर्मचारी शामिल हैं। कारपोरेट कार्यालय सभी नीतियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं जो केन्द्रीकृत हैं। कार्यान्वयन विकेन्द्रीकृत है और इसका दायित्व विभिन्न प्रभागों पर है, जिनमें प्रत्येक का प्रमुख महाप्रबंधक या उप-महाप्रबंधक है। उत्पादन, वित्त, कार्मिक बिक्री, सामग्री प्रबंध, आयोजना, सुरक्षा और स्वास्थ्य के कार्यक्षेत्रों में इन महाप्रबंधकों की सहायता के लिए सहायक कर्मचारी हैं। सोलह प्रभागों में भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद और तिरुचिरापल्ली स्थित चार निर्माण प्रभाग और हरिद्वार में स्थापित किया जा रहा फाउंड्री फोर्ज प्लांट और झांसी में निर्माणाधीन ट्रांन्सफार्मर कारखाने की प्रभारी दो परियोजना प्रभाग सम्मिलित हैं। हैदराबाद एकक के साथ एक आयल रिंग डिविजन भी संलग्न है। हैदराबाद में अनुसंधान और विकास प्रभाग और नई दिल्ली में इंजीनियरिंग सिस्टम और न्यू प्रोड्क्ट्स डिवीजन नाम के दो अनुसंधान प्रभाग हैं। विपणन और बिक्री प्रभाग और निर्यात प्रभाग दो वाणिज्यिक प्रभाग हैं और परामर्शदायी सेवायें, सर्विसेज और स्पेयर्स, विद्युत परियोजनायें, अभिग्रहण और विलयन और रीजनल आपरेशन्स नाम के पांच सेवा प्रभाग हैं।

श्री जगन्नाथ मिश्र : मैंने विवरण को पढ़ा है और मुझे यह देख कर काफी निराशा हुई है कि मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक ढंग से नहीं दिया गया है। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि विवरण में इलेक्ट्रानिक्स की प्रबंध व्यवस्था का वर्णन ठीक ढंग से किया गया है। परन्तु तथ्य यह है कि इलेक्ट्रानिक्स उद्योग भी....

अध्यक्ष महोदय : आप इलेक्ट्रानिक्स की बात कर रहे हैं जबकि प्रश्न इलेक्ट्रिकल्स के बारे में है। यह दोनों दो अलग वस्तुयें हैं। मेरे विचारानुसार आपको पहले विवरण पढ़ना चाहिए और बाद में प्रश्न पूछना चाहिए।

लौदरी नदी के किनारे भोपाल–इंदौर मार्ग पर एक शक्तिशाली वायरलैस ट्रांसमीटर और 'रिसीविंग सेटों' का बरामद होना

*297. **श्री राजदेव सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष जुलाई में भोपाल-इन्दौर रोड पर लोदरी नदी के किनारे बरामद एक शक्तिशाली वायरलैस ट्रांसमीटर और दो रिसीविंग सेटों संबंधी मामले की यह पता लगाने के

लिए अग्रेतर जांच की गई है कि इस दुःसाहस के पीछे किस पार्टी का हाथ था और उसका क्या उद्देश्य था;

(ख) ट्रांसमीटर और रिसीविंग सेट कहां के बने हुए थे ; और

(ग) क्या इन के "मेक" से पता चलता है कि इसके पीछे सी० आई० ए० का हाथ है ?

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) ये संयुक्त राज्य अमेरीका में बने थे ।

(ग) अभी जांच पड़ताल की जा रही है तथा अब तक यह साबित नहीं हुआ है कि इसका सी० आई० ए० के साथ कोई संबंध है ।

श्री राजदेव सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये वायरलैस ट्रान्समीटर तथा रिसीविंग सेट अमरीकी बाजार में प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हैं ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इनका उपयोग दूसरे विश्व युद्ध में किया गया था और दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् उन्हें भारत सहित कई देशों में बेचा गया था । उनकी बिक्री कलकत्ता, बम्बई तथा कई अन्य स्थानों पर की गई थी जिन्हें कई व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने खरीदा था ।

श्री राजदेव सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी यात्री को इन सेटों को समुद्री या हवाई मार्ग द्वारा इस देश में लाने की अनुमति है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : ये ट्रान्समीटर 500 मील की दूरी तक कार्य करते हैं और इन्हें तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने पर ये एक नदी में से बरामद किया गया था किन्तु किसी अवांछनीय घटना के बारे मे हमें कोई जानकारी नहीं मिली है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या तदुपरान्त की गई जांचों से पता चला है कि उन व्यक्तियो को ये ट्रान्समीटर कैसे हाथ लगे और वे कौन-कौन व्यक्ति थे तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या वास्तविक जांच से यह भी पता चला है कि इन ट्रांसमीटरों का उपयोग अवैध ढंग से प्रसारण करने के लिए किया जा रहा था ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : 11-7-75 को पुलिस ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिन से ट्रांसमीटर से संबंधित कुछ उपकरण बरामद हुए । इस पर उन्होंने बताया कि उन्होने इसे देवास के महल से चुराया है । इसके बाद महाराजा से पूछताछ की गई और उन्होंने इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इंकार कर दिया । 13 दिन बाद 24-7-75 को कुछ ट्रांसमीटर तथा उसके कुछ अन्य उपकरण एक नदी से बरामद किए गए । उन उपकरणों तथा पहले बरामद की गई वस्तुओं की जांच से ऐसा लगा कि उनको मिलाने से पूरे ट्रान्समीटर सेट बन सकते हैं । उसके बाद महाराजा को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रिहा भी कर दिया गया । मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है किन्तु ऐसा लगता है कि इसका उपयोग नहीं किया गया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैने उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के बारे में पूछा है जिन्होंने उन सेटों को प्राप्त किया है । सरकार की राय में देवास के महाराजा के पास ही ये सेट थे और यदि हां, तो मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार रखने की बजाय उसे जमानत पर रिहा क्यों किया गया ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : बाद में उन्हें आंसुका के अन्तर्गत भी गिरफ्तार किया गया था। किन्तु दिसम्बर महीने में उन्हें रिहा कर दिया गया।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : जनता की सुरक्षा के लिए राष्ट्र की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि तीन व्यक्तियों तथा कुछ संस्थाओं के पास ऐसे शक्तिशाली ट्रांसमीटर तथा वायरलैस सेट थे। क्या गृह मंत्रालय ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस बात की जांच की है कि क्या इनका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा था जिसके लिए उन्हें खरीदा गया था। या उनका उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा रहा था। क्या गृह मंत्रालय इस तरह की जांच या किसी प्रकार का नियंत्रण कर रहा है ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : श्रीमान, प्रत्यवर्तन के लिए संचार मंत्रालय ही प्रभारी है और इस बात का पता लगाने के लिए कि ऐसे उपकरणों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, उनके पास जिला स्तर के तथा अन्य प्राधिकार हैं; ऐसे उपकरणों का दुरुपयोग करने वालों को भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत दंडित किया जाता है।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : श्रीमान यह मामला संचार मंत्रालय के अन्तर्गत कैसे आता है ? यह आंतरिक सुरक्षा का मामला है और यह गृह मंत्रालय के अधीन होना चाहिए।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह मामला संचार मंत्रालय के अधीन इसलिए है क्योंकि ऐसे अपराध भारतीय तार अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने इस तथ्य से भी इस मामले को जोड़ा है, जिसमें देश के कुछ राजनीतिक नेताओं ने खुले आम घोषणा की थी कि वे अपने अवैध ट्रान्समीटर का उपयोग करेंगे और 25 जून को राम लीला मैदान में आकाशवाणी दिल्ली को नष्ट करने का आह्वान भी दिया गया था जो कि 27 जून को किया गया। इस घोषणा तथा इस ट्रांसमीटर की बरामदी के बीच क्या रहस्य है, मैं यह भी जानना चाहता हूं। दूसरे, यह किससे खरीदा गया। कब और कैसे खरीदा गया ? इसके अतिरिक्त क्या देवास का राजा ग्वालियर राज्य जो एक राजनीतिक दल के लिए राजनीति का केन्द्र रहा है, की कुछ सहायता करता है। यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध का पता लगा लिया है या लगाया जा रहा है।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : यह तो विदित है कि 1973 के अंत में जनसंघ दल ने घोषणा की थी कि वे आकाशवाणी के समान्तर एक प्रसारण केन्द्र की स्थापना करेंगे। जहां तक इस महाराजा का संबंध है चूंकि ट्रांसमीटर नदी में पाया गया था और उपकरण तथा जानकारी तीन अभियुक्तों द्वारा पहले दी गई थी, महाराजा को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है और जैसा कि आपको ज्ञात है कहा जाता है कि देवास का महाराजा (वरिष्ठ) महारानी सिंधिया से सम्बद्ध है।

श्री भोगेन्द्र झा : आप अभी भी उसे 'महारानी' कहते हैं। श्रीमान्, अभी वह अतीत की बात कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : श्रीमान् यह अफवाह थी कि उस समय उस क्षेत्र में इन ट्रान्समीटरों की स्थापना बड़े पैमाने पर की गई थी और इनका उपयोग देश में अव्यवस्था पैदा करने के लिए किया जाता था। क्या मैं जान सकता हूं कि जांचों से इस बात का पता चला है कि उस क्षेत्र के भूतपूर्व शासकों की इस तरह की कोई योजना थी ?

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : श्रीमान् यह काफी शक्तिशाली सेट है और जैसा कि मैंने पहले कहा है, संदेह था कि यह देवास के महाराजा (वरिष्ठ) का था। यह 1975 की बात है जबकि जनसंघ ने 1973 के अन्त में घोषणा की थी जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि हम अपना ही प्रसारण केन्द्र खोलेंगे। जांच जारी है। मैं इस मामले में उनके सम्बन्धों के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

आसाम में कागज का उत्पादन

*299. **श्री रानेन सेन** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में प्रस्तावित तीन मिलों में से एक मिल में दो महीनों में कागज का उत्पादन आरम्भ हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) अशोक पेपर मिल के जोगीघोपा (आसाम) स्थित एकक में शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ होने की आशा है। निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है अधिकांश उपकरण स्थापित कर चालू कर दिए गए हैं। पेपर मशीन का परीक्षण उत्पादन इसी महीने लिए जाने की आशा है।

डा० रानेन सेन : श्रीमान्, कलकत्ता के समाचार पत्रों में इस मिल के बारे में हर प्रकार के समाचार छपे हैं। इस कागज मिल में उत्पादन आरम्भ करने में विलम्ब किन कारणों से हुआ है ?

श्री टी० ए० पाई : कलकत्ता के समाचार पत्रों में जो बातें प्रकाशित हुई हैं, उनके बारे में मुझे कोई जनकारी नहीं है। किन्तु फर्म ने तकनीकी विकास महानिदेशालय को निर्माण कार्य में हुई प्रगति के बारे में निम्नलिखित बातें बताई हैं :—

(i) सिविल निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।

(ii) सभी आयातित उपकरण प्राप्त हो गए हैं तथा स्थापित किए जा चुके हैं। उनमें से अधिकांश को चालू कर लिया गया है। उत्पादन आरम्भ करने के लिए यूरोप मे उनके सप्लायरों से कुछ फालतू पुर्जे मिलने की उन्हें आशा है।

(iii) कुछ मोटरों, ऐजिटेटरों तथा उपकरणों के अतिरिक्त सभी स्वदेशी उपरकण निर्माण स्थल पर पहुंच गए हैं।

(iv) पल्प संयंत्र चालू कर दिया गया है और अविशजित पल्प का उत्पादन संतोषजनक ढंग से आरम्भ हो गया है। 30 जनवरी, 1975 को पहली बार पल्प का उत्पादन किया गया।

किन्तु बिजली की कमी के कारण वे इस समय अपना पल्पिंग संयंत्र नहीं चला पा रहे हैं ।

(V) फर्म द्वारा अधूरे कामों के बारे में बताए गए चार्ट से यह पता चलता है कि उनमें से अधिकांश कार्य जनवरी, 1976 के अन्त तक पूरे हो जाएंगे और इसलिए उन्हें संयंत्र को फरवरी, 1976 तक चालू करने की स्थिति में हो जाना चाहिए ।

डा० रानेन सेन : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं जानना चाहता था कि क्या संयंत्र को चालू करने में विलम्ब हुआ है अथवा नहीं ? अब मेरा दूसरा प्रश्न है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसाम औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के लिए हर प्रकार के दावे किये जा रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इस कागज मिल के अतिरिक्त आसाम के विकास के लिए क्या कुछ और कार्य भी किए जा रहे हैं ।

श्री टी० ए० पाई : आसम राज्य के लिये जितने लाइसेंस जारी किए गए हैं उनके बारे में मैं पूरी जानकारी नहीं दे सकता । जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, इस मिल के अतिरिक्त कछार और नौगांग में दो बड़ी कागज मिलों को स्थापित करने का विचार है ।

उड़ीसा में आई० टी० डी० ए० की परियोजनाएं

*302. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के लिये उप-योजना में आई० टी० डी० ए० की कितनी परियोजनाएं रखी गई हैं ;

(ख) आज तक ऐसी कितनी और कौन कौन सी परियोजनायें मंजूर की गई हैं ;

(ग) क्या बालासौर जिले में नीलगिरि आई० टी० डी० ए० की परियोजना इन परियोजनाओं में से एक है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) उड़ीसा की उपयोजना में 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएं रखी गई हैं ;

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार ने अस्थायी रूप से 19 में से 15 परियोजनाओं के क्षेत्रों को एकीकृत किया है तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, सहकारी ऋण तथा विपणन प्रणाली का प्रावधान भूमि अभिलेखों की तैयारी/आधुनिकीकरण करना, लघु वन उत्पादन की खरीद उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई तथा पौध लगाना व लघु सिचाई कार्यक्रमों जैसी अग्रिम कार्यवाही आरम्भ की है । अग्रिम कार्यवाही के लिये व्यय प्राधिकृत कर दिया गया है । नीलगिरी एकीकृत विकास परियोजना इन 15 परियोजनाओं में है ।

(घ) चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों के अन्तर्गत नीलगिरी आई० टी० डी० पी० के लिये 1.097 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं ।

(1) भूमि विकास	10,000
(2) भूमि सुधार . . .	25,000
(3) निवेश सहायता	27,500
(4) मैदानी प्रदर्शन .	7,000
(5) खोदे गये कुओं का निर्माण .	30,000
(6) पशु पालन	10,250
जोड़	109,750

श्री अर्जुन सेठी : अपने मूल प्रश्न में मैं जानना चाहता था कि अब तक जिन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है उनके नाम क्या हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने कितना धन दिया है ।

श्री ओम मेहता : इस वर्ष उड़ीसा के लिए 2,92,00,000 रुपये की राशि स्वीकृत की गई है । मैं उन्हें सभी परियोजनाओं के नाम बताऊंगा ।

प्रैस सेंसरशिप

*303. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री एच० एन० मुकर्जी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आलोचना की ओर दिलाया गया है कि प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा प्रैस का दुरुपयोग किये जाने के प्रयत्नों को असफल करने के लिये प्रैस सैंसर प्रणाली एक सफल उपाय सिद्ध नहीं हुई; और

(ख) सरकार के विचार से प्रैस सैंसर प्रणाली किस सीमा तक उस उद्देश्य की पूर्ति कर रही है जिसके लिए यह आरम्भ की गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) जी नहीं । पूर्व-सैंसरशिप से प्रेस पर प्रतिकूल रिपोर्टों और टिप्पणियों के प्रकाशन पर रोक लगी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अरब देशों में भारतीय जानकारी

287. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब देशों में भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की बहुत गुंजाइश है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :

(क) और (ख) अरब देशों को चुने हुए क्षेत्रों में भारत की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की गुजाईश है। इसके लिए अरब देशों की औद्योगिक परियोजनाओं / कार्यक्रमों के सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की तथा औद्योगिक फ़र्मों / अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं, इंजीनियरी डिज़ाइन सलाहकारी फ़र्मों से जो गारंटी के आधार पर प्रौद्योगिकियों को उपस्कर तथा सेवाएं मुहैया कर सकती हैं, प्रौद्योगिकियों की अभिनिर्धारित करने की आवश्यकता है। इस समय अनेक भारतीय संस्थाएं या तो जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, विद्युत संचरण, रेल व्यवस्था, पुलों, राजमार्गों तथा सड़कों के निर्माण के लिए उपस्कर की पूर्ति अथवा प्रारंभिक व्यवहार्यता, के कार्य में तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में जुटी हुई है। भारतीय इंजीनियरी संस्थाएं जैसे इंजीनियर्स इंडिया लि०, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, दस्तूर एंड क० प्रोजेक्ट्स ऐंड इक्विपमेंट कार्पोरेशन, इंडियन कंसोर्शियम फ़ार पावर प्रोजेक्टस आदि भी विशेष परियोजनाओं की आर्थिक क्षमता का मूल्यांकन करने के विचार से सामान्य सर्वेक्षण की तैयारी, व्यवहार्यता अध्ययन, स्थान अध्ययन आदि में जुटी हुई है।

छोटे समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं को सहायता

*293. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार छोटे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को कोई सहायता प्रदान करती है ; और

(ख) याद हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : छोटे समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है।

विवरण

छोटे समाचारपत्रों पत्रिकाओं को दी जाने वाली सहायता

पत्र सूचना कार्यालय देश भर में फैले अपने 28 कार्यालयों के माध्यम से छोटे और मझौले दर्जे के समाचारपत्रों को उन भाषाओं में जिनमें वे प्रकाशित होते है, समाचार और विशेष लेख वितरित करता है।

2. छोटे समाचारपत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पत्र सूचना कार्यालय द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान अनेक नई सेवाएं चालू की गई हैं। विज्ञान में हुए विकास, आर्थिक विकास, कृषि और स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर सामग्री सरल भाषा में प्रतिमास तैयार करके सभी मुख्य भाषाओं में जारी की जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय के प्रादेशिक / शाखा कार्यालय अपने प्रदेश की भाषाओं में समाचारों का सार भी जारी करते है। ये उन विशेष लेखों के अलावा होते हैं जो पत्र सूचना कार्यालय द्वारा छोटे समाचारपत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विशेष रूप से तैयार करके जारी किए जाते हैं।

3. एक और सेवा 'क्या आप जानते हैं' में सामूहिक रुचि के विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। फोटो के अलावा, छोटे समाचारपत्रों को एबोनाइड ब्लाक सप्लाई किए जाते है। उन समाचारपत्रों को जो ब्लाक बनाने का खर्चा नहीं उठा सकते, 'एबोनाइड' ब्लाक सप्लाई करना 1964 में आरम्भ किया गया था। पत्र सूचना कार्यालय ने 1975 में 1425 प्राप्तकर्ताओं को 11,541 ब्लाक सप्लाई किए।

4. 'चबो' के रूप में एक नई फोटो सेवा सितम्बर, 1971 में आरम्भ की गई थी। 'चबो' लियो प्रक्रिया से छपने वाले उर्दू समाचारपत्रों के पुनः उत्पादन के काम में आने वाले विशेष रूप से ट्रीट किए हुए कागज पर जस्त के ब्लाक का ठप्पा होता है। जनवरी-दिसम्बर, 1975 के दौरान, पत्र सूचना कार्यालय ने 19,557 'चबो' वितरित किए। 'चबो' की वितरण सूची में 241 पते हैं।

5. पत्र सूचना कार्यालय पत्र प्रतिनिधियों को विकास परियोजनाएं दिखाने के लिए देश के विभिन्न भागों में उनकी यात्राओं की भी व्यवस्था करता है। इस प्रकार के दलों में छोटे और मझोले दर्जे के समाचारपत्रों को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

6. छोटे समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को प्रत्यायन सुविधाएं देने के मामले में उदारता बरती जाती है। नियमों के अनुसार, 10,000 से अधिक की परिचालन संख्या वाला समाचारपत्र ही प्रत्यायन के लिए मांग कर सकता है। प्रत्यायन सुविधाएं मांगने वाले छोटे समाचारपत्रों की सहायता करने के लिए इस नियम में ढील दी गई है। अब दो या अधिक समाचारपत्र जिनकी कुल मिला कर परिचालन संख्या 10,000 से अधिक हो, सांझे संवाददाता के प्रत्यायन के लिए मांग कर सकते हैं।

7. पत्र सूचना कार्यालय की वितरण सूची में 4,500 प्राप्तकर्ता हैं जिनमें ज्यादा संख्या छोटे और मझोले दर्जे के समाचारपत्रों की है जो ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। समाचार-पत्रों को सामग्री की सप्लाई में उदारता बरती जाती है।

8. पत्र सूचना कार्यालय का प्रत्येक कार्यालय विभिन्न भाषाओं में प्रेस सामग्री के प्राप्तकर्ताओं की वितरण सूची रखता है। जब भी कोई समाचार-पत्र सूचना कार्यालय की सामग्री मांगता है या किसी समाचार पत्र का प्रकाशन बन्द हो जाता हैतो इन सूचियों में परिवर्तन किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसरों और अन्य अवसरों पर विशेष लेखों, विशेष संवादों, आदि के रूप में प्रेस संवाद उन समाचारपत्रो और नियतकालिक पत्रों को भी भेजे जाते है जो पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालयों की नियमित वितरण सूचियों में नहीं होते। क्योंकि अधिकांश बड़े समाचार-पत्र समाचार एजेंसियों से खबरे लेते है और उनके अपने संवाददाता भी होते है, अतः पत्र सूचना कार्यालय की सामग्री ज्यादातर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाले छोटे और मझोले दर्जे के समाचार पत्रों द्वारा पसन्द की जाती है।

9. छोटे समाचारपत्र नेपा अखबारी कागज जो सब से सस्ता है, जितना लेना चाहे ले सकते है।

10. 40 टन तक की हकदारी वाले समाचार-पत्र आयात लाइसेंस आवेदन-पत्र फीस का भुगतान करने और आय-कर जांच संख्या प्रस्तुत करने से मुक्त हैं।

11. छपाई मशीनों और संबंधित उपकरणों के आयात के लिए जितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो होती है उसका 50 प्रतिशत छोटे समाचारपत्रो के लिए सुरक्षित रखा जाता है।

12. छपाई मशीनों और संबंधित उपकरणों के आयात के लिए छोटे समाचारपत्रों को मझोले और बड़े समाचारपत्रों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है।

13. 2,000 प्रतियों से कम की परिचालन संख्या वाले समाचारपत्रों को अखबारी कागज की अपनी खपत के बारे में चार्टर्ड एकाउंटेंड का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूट दी गई है।

14. सरकार की घोषित नीति के अनुसार, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा छोटे समाचारपत्रों और नियतकालिक पत्रों का विशेषकर जन अभियानों जिनके लिए जीवन के हर क्षेत्र के पाठक अपेक्षित हैं, के लिए उपयोग करने का पूरा प्रयास किया जाता है।

15. छोटे और मझौले दर्जे के समाचारपत्रों जो समाचार अभिकरणों से समाचार नहीं खरीद सकते, की जरूरत पूरी करने के लिए आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से दोपहर के 2-30 बजे 30 मिनट का एक धीमी गति का बुलेटिन अंग्रेजी में प्रतिदिन प्रसारित किया जा रहा है। यह बुलेटिन जो आकाशवाणी के कई केन्द्रों से रिले किया जाता है, 40 शब्द प्रति मिनट की गति से पढ़ा जाता है ताकि छोटे समाचार-पत्र इसे हाथ से लिख सकें। इस बुलेटिन में प्रायः 1,200 शब्द होते हैं। इसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों को प्रमुखता दी जाती है। इसमें महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों को भी संक्षिप्त रूप में शामिल किया जाता है।

हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आदिवासियों पर अत्याचार

*294. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान देश के विभिन्न भागों में हरिजनों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों पर अत्याचार किए गए ; और

(ख) प्रत्येक राज्य से जुलाई, 1974 से दिसम्बर, 1974 तक और जुलाई, 1975 से दिसम्बर, 1975 तक ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना दी गई ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री ओम मेहता : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 26 जून, 1975 से 31 दिसम्बर, 1975 तक आपात स्थिति के दौरान कुछ राज्यों में अत्याचारों की ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) तुलनात्मक दृष्टि से मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स लि०, कानपुर को स्कूटर संयंत्र स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करना

*298. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लि० को, जो मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लि०, कानपुर के पूर्ण स्वामित्व वाली उस की सहायक कंपनी है, एक स्कूटर संयंत्र स्थापित करने के लिए हाल में आशय-पत्र जारी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) मै० स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्यूफ़ैक्चरिंग कंपनी लि० कानपुर, को निम्नलिखित शर्तों के साथ-साथ 24,000 स्कूटर प्रति-वर्ष की क्षमता में स्कूटरों का निर्माण करने के लिए सोनीपत के समीप (हरियाणा) मूर्थल में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु 12-8-1975 को एक औद्योगिक लाइसस दिया गया है :—

(क) कोई विदेशी सहयोग अथवा विदेशी परामर्शदायी व्यवस्था अथवा विदेशी तक-निशियन को रोजगार देने की अनुमति नहीं होगी ;

(ख) कम से कम 50 प्रतिशत पुर्जे सहायक क्षेत्र से प्राप्त किए जाने चाहिए । सहायक क्षेत्र से प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में हर सम्भव यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि लघु उद्योगों से अधिकतम वस्तुएं प्राप्त की जाएं ।

(ग) कंपनी इस बात का सुनिश्चय करे कि विकसित की गई अथवा नकल की जाने वाली डिजाइन किसी विश्व के पेटेन्ट को उल्लंघन न करती हो अथवा कोई कानूनी पेचीदगी न पैदा होती हो;

(घ) औद्योगिक लाइसेंस जारी होने की तिथि से छ : महीने के भीतर जारी की जाने वाली सम्पूर्ण नई पूंजी आम जनता को प्रस्तुत की जाएगी; और

(ङ) सरकारी वित्तीय संस्थाओं को यह अधिकार होगा कि आवेदक कंपनी के साथ दीर्घावधि ऋण करार में परिवर्तनीयता धारा का निदेशन हो ।

महाराष्ट्र में विद्युत् की कमी

*300. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विद्युत की कितनी कमी है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव पेश किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या विद्युत परियोजनायें स्थापित करने के लिए विदेशी सहायता मांगी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो किन देशों से और कितनी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : ऊर्जा की कमी 5 प्रतिशत से कम है । मांग को देखते हुए क्षमता काफ़ी कम है । महाराष्ट्र सरकार ने बिजली की नयी योजनाओं के संबंध में परियोजना रिपोर्ट भेजी हैं । इन योजनाओं से छठी योजना की अवधि में लाभ होगा । इन परियोजना रिपोर्टों की जांच की जा रही है ।

(घ) से (ङ) विद्युत उत्पादन की कुछ परियोजनाओं की स्थापना के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी रुचि जाहिर की है किन्तु इस संबंध में किसी भी विशिष्ट परियोजना के लिए औपचारिक प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

देश में विद्युत् की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर

*301. **डा० के० एल० राव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी ऊर्जा और अधिकतम विद्युत् की मांग है तथा इस समय राज्यवार वास्तविक सप्लाई कितनी है ;

(ख) पाँचवीं योजना के अन्त तक मांग और सप्लाई के बीच कितना अन्तर रहेगा ; और

(ग) पांचवीं योजना के अन्त तक यह अन्तर दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :(क) से(ग). अपेक्षित सूचना देने वाले तीन विवरण सभा पटल पर रखे जात हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **दखिए** संख्या एल० टी० 10256/76]

कारों की मांग तथा उत्पादन

*304. **श्री सोम नाथ चटर्जी** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1975 में कुल कितनी कारों का उत्पादन हुआ;

(ख) इन कारों की कुल मांग कितनी है तथा कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में छोटी कारों का उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) 1975 के कलेण्डर वर्ष में 23,250 कारें निर्मित की गई । चूंकि हाल के महीनों में कुल खरीद का स्तर गिर गया और इसलिए इस समय इतनी मांग नहीं है जोकि पूरी न की जा सके । अतः कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकारी क्षेत्र में छोटी कार बनाने का कोई विचार नहीं है ।

Setting up of Atomic Power Station in North Bihar

*305. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Atomic Energy** be pleased to stated :

(a) whether uranium is found in abundance in Jaduguda in Singhbhum district of Bihar;

(b) whether the Government of Bihar have submitted a scheme to Government to set up an atomic power station in North Bihar ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Planning, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of State (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Uranium ore deposits in mineable quantities are available in Bihar.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

योजनाओं के लिये धन का नियतन

1300. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975–76 के लिए विभिन्न विकास योजनाओं के संबंध में राज्य और केन्द्र द्वारा धन के नियतन के बारे में उड़ीसा सरकार के साथ बातचीत पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें राज्य और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा कितना-कितना है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी धनराशि रखी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) तथा (ख) जी, हां। उड़ीसा सरकार के साथ उनकी 1975–76 की वार्षिक योजना के संबंध में विचार-विमर्श वर्ष के आरम्भ में समाप्त हुए थे, और 89.25 करोड़ रुपए की योजना अनुमोदित की गई थी। इसके लिए वित्त-व्यवस्था इस प्रकार से की जानी थी :—

(रुपए करोड़ों में)

राज्य के संसाधन	40.59
केन्द्रीय सहायता	32.70

उपर्युक्त केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त, महानदी डेल्टा परियोजना के लिए 1.00 करोड़ रुपए की विशेष अग्रिम योजना सहायता भी आवंटित की गई थी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

Export of Ambar Charkhas

1301. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the **Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether some countries have placed orders with India for supply of Ambar Charkhas;

(b) if so, the names of the countries ;

(c) whether some State Governments have been given orders for the manufacture of this Charkha; and

(d) if so, the names of the States ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri A.P. Sharma) : (a) and (b) : Ambar Charkhas have been supplied to Mauritius and Laos.

(c) No. Sir.

(d) Does not arise.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती

1302. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस विभाग तथा अन्य सेवाओं और उपक्रमों तथा एककों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भर्ती सरकार की नीति के अनुसार नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके कारणों का पता लगाने के लिये एक जांच समिति नियुक्त करने तथा इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । सामान्यतः सभी विभागों तथा उपक्रमों आदि द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की भर्ती से सम्बन्धित अनुदेशों का पालन किया जा रहा है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

Complaint against Chairman, NEPA Mills

1303. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether Complaints have been received against the Chairman of the National Newsprints and Paper Mills Ltd. about the irregularities and large scale bungling in the procurement of transformer, limestone as also putting the factory in loss, which have been investigated by the C.B.I. ;

(b) whether many charges were found to be correct in the course of investigation; and

(c) the action taken on the basis of the investigations made ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya) : (a) No such complaints have so far been investigated by the C.B.I.

(b) and (c). Do not arise.

आई० एन० ए० के भूतपूर्व सैनिकों को पेन्शन

1304. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में आई० एन० ए० के कितने भूतपूर्व सैनिकों को 31 दिसम्बर, 1975 तक पेन्शन मंजूर की गई है ;

(ख) राज्य-वार प्रत्येक वर्ग के कितने मामले नामंजूर किये गये; और

(ग) प्रत्येक वर्ग में राज्यवार कितने मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० ए० मोहसिन) : (क), (ख) और (ग) सूचना का विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 10257/76]

वर्ष 1975 के दौरान बनी फिल्में

1305. **श्री वसन्त साठे :**
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान देश में, भाषा-वार कितनी रंगीन तथा अन्य फिल्मों का निर्माण हुआ और उन पर कितना पूंजी-निवेश हुआ ;

(ख) वर्ष 1975 में कितनी फिल्मों का निर्यात हुआ तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई

(ग) वर्ष 1975 के दौरान फिल्म-निर्माण में अधिकतम तथा न्यूनतम कितनी पूंजी निवेश हुआ तथा ऐसी फिल्मों के नाम क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार फिल्मों के निर्माण लागत की उच्चतम सीमा निश्चित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 1975 के दौरान प्रमाणीकृत की गई फीचर फिल्मों का भाषा-वार ब्यौरा दिया हुआ है। फिल्म उद्योग निजी क्षेत्र में होने के कारण फिल्मों के निर्माण पर हुए पूंजी निवेश के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ख) फिल्मों के निर्यात के संबंध में आंकड़े उनकी लम्बाई और मूल्य के अनुसार संकलित किए जाते हैं। 1974-75 के दौरान, 1,09,90,740 मीटर लम्बी 6,62,55,071 रुपये के मूल्य की फिल्मों का निर्यात किया गया ।

(ग) सरकार को कोई जानकारी नहीं है । अलग-अलग फिल्मों की लागत अलग-अलग होती है जो कलाकारों, निर्माण प्रभार, सेटों और स्थानों की संख्या, आदि पर निर्भर करती है ;

(घ) जी नहीं ।

विवरण

फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा 1975 के दौरान प्रमाणीकृत भारतीय फीचर फिल्मों का भाषा-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	भाषा	रंगीन	सादी	कुल
1	हिन्दी/राजस्थानी/भोजपुरी/हिन्स्तानी/अवधी/नागधी उर्दू/डोगरी .	116	4	120
2	मराठी .	7	10	17
3	गुजराती .	11	1	12
4	पंजाबी	5	—	5
5	कोंकणी	—	1	1
6	अंग्रेजी	—	1	1
7	तमिल	24	47	71
8	तेलुगु	32	56	88
9	कन्नड़	13	26	39
10	मलयालम	15	62	77
11	बंगला	—	35	35
12	उड़िया	—	3	3
13	असमिया	—	6	6
	योग . . .	223	252	475

एच० ए० एल० ओजार में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

1306. **श्री जैड० एम० काहनडोल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० ए० एल० ओजार, नासिक डिवीजन, में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) क्या सरकार की नीति के अनुसार उसमें कुल कर्मचारियों के 6 प्रतिशत कर्मचारी अनुसूचित जनजाति के है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विट्ठल नरहर गाडगिल) : (क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के नासिक प्रभाग में 31-12-75 को कर्मचारियों की कुल संख्या 7325 थी जिनमें से 191 कर्मचारी अनुसूचित जनजातियों के थे ।

(ख) और (ग) जी नहीं । तथापि, अनुसूचित जनजातियो के कर्मचारियो के प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए हिन्दुस्तान एयरो नाटिक्स लिमिटेड सभी सम्भव कदम करना चाहता है । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए पदो का आरक्षण निर्धारित करते हुए राष्ट्रपति के निदेश को जनवरी, 1970 में लागू किया गया था । मार्च 1970 से, नासिक प्रभाग ने 2782 रिक्त पदों को भरा है जिसमें से 175 पद अनुसूचित जनजातियो के लिए आरक्षित किए गये थे । इसके प्रति, अनुसूचित जनजातियों के 147 अभ्यर्थियो को नियुक्त किया गया है । शेष 28 पदों में से 7 के लिए भर्ती की कार्यवाई की जा रही है । शेष 21 पदों के लिए काफी प्रयत्न करने के बावजूद उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल सके और इसलिये स्थापित प्रक्रिया के अनुसार इन पदों का अनारक्षण कर दिया गया है ।

Industry in Sidhi (M.P.)

1307. **Shri Martand Singh** : Will the **Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up any industry in Sidhi district in Madhya Pradesh in collaboration with Singrauli Coal Development Corporation ;

(b) whether any application is also under consideration in this regard ;

(c) if so facts thereof ; and

(d) the date by which the industry would be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya) : (a) Government is not aware of the existence of any corporation known by the name of Singrauli Coal Development Corporation. The question of setting up an industry in collaboration with this Corporation; therefore, does not arise.

(b) to (d) : Do not arise.

सवाई माधोपुर स्थित जयपुर उद्योग सीमेंट संयंत्र का बन्द होना

1308. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सवाई माधोपुर स्थित जयपुर उद्योग सीमेंट संयंत्र में, जो मई, 1975 से बंद पड़ा है; पुनः उत्पादन आरम्भ करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार वित्तीय कुप्रबन्ध और धनराशि का दुरूपयोग करने लिये कम्पनी के मालिकों/निदेशकों के विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहती हैं ; और

(ग) क्या सरकार संयंत्र को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार कर रही है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुद्ध प्रिय मौर्य) : (क) से (ग) मैसर्स जयपुर उद्योग लि० का सवाई माधोपुर सीमेन्ट कारखाना सितम्बर, 1975 के द्वितीय सप्ताह से बन्द पड़ा है । कम्पनी की समस्याओ का पता लगाने तथा इसे फिर से चलने का सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अभ्युपाय करने के विचार से कम्पनी कार्य विभाग तकनीकी विकास के महा-निदेशालय और स्टेट बैंक आफ इण्डिया के प्रतिनिधियों ने कारखाने का दौरा किया है । स्टेट बैंक आफ इण्डिया फिलहाल प्रबन्धकों में कुछ परिवर्तन करके कारखाने को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी एक प्रस्ताव की जांच कर रहा है । मालिकों/निदेशकों के विरुद्ध कानून के विशिष्ट रूप से उल्लंघन साबित हो जाने पर उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाही की जाएगी ।

"डिसिप्लिण्ड डेमोक्रेसी—क्वैस्ट फार स्टैबिलिटी" शीर्षक वाली पुस्तिका

1309. **श्री सरदीश राय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० ए० वी० पी० ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसका शीर्षक "डिसिप्लिंड डेमोक्रेसी—क्वेस्ट फार स्टेबिलिटी" है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक भाषा में उसकी कितनी-कितनी प्रतियां मुद्रित की हैं और उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(ग) क्या यह पुस्तक मुख्य रूप से किसी विशेष राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के लिये प्रकाशित की गई है ; और

(घ) यदि हो, तो ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) हिन्दी और अंग्रेजी में दस-दस हजार प्रतियां छापीं गई जिनकी लागत लगभग रु० 8,209.00 थी ।

नीचे लिखी भाषाओं में उनके सामने दी गई संख्या के अनुसार मुद्रण का काम हाथ में ले लिया गया है ।

(1) तमिल, मलयालम, बंगला, उर्दू, असामिया, उड़िया तेलुगु और कन्नड़ : प्रत्येक में 10,000

(2) गुजराती और मराठी : प्रत्येक में 5,000

(ग) और (घ). जनता के ज्ञान वर्धन के लिए इस पुस्तिका को उपयोगी समझा गया है, क्योंकि इसमें सरकार के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम और इसके अधीन प्राप्त सफलताओं पर प्रकाश डाला गया है । यह किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है। इसमें उन परिस्थितियों की भी चर्चा की गई है जिसके कारण आपात स्थिति की घोषणा करनी पड़ी ;

Setting up of Industries in M.P.

1310. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to State : (a) whether Government are aware that the number of industries set up in Madhya Pradesh during the last six months is much less than that of the industries set up in other States ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies : (**Shri B.P. Maurya**) : (a) and (b) Information relating to the number of industries set up in Madhya Pradesh and in other States during the last six months is not available. However, 16 letters of intent and 20 industrial licences were issued for location of industrial units in Madhya Pradesh during the period July-December, 1975.

केरल राज्य इलेक्ट्रोनिक विकास निगम से लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र

1311. श्री वयालार रवि : क्या **इलक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास केरल राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम से लाइसस के लिये प्राप्त कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं, और

(ख) इस में विलम्ब के क्या करण हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) दो आवेदन पत्र ।

(ख) इन दो आवेदन पत्रों की तारीख क्रमश: 15 अक्तूबर, 1975 तथा 31 दिसबर, 1975 है। इस स्थिति में यह नहीं समझा जा सकता कि इन आवेदनों पर विचार करने में विलम्ब हो गया है ।

कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा (नियंत्रण) अधिनियम का अनुपालन

1312. **श्री शशि भूषण** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलगेट पामोलिव, कोका कोला निर्यात निगम, चैसेब्राऊ, पांडस और केडबरी फ्राई द्वारा अब विदेशी मुद्रा (नियंत्रण) अधिनियम, 1973 के सम्बन्धित उपबन्धों का अनुपालन किया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं तो सरकार ने 31 अगस्त, 1974 के बाद अब तक क्या कार्यवाही की है जिससे ये कम्पनियां अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने लगें ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) । रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने मैसर्स केडबरी फ्राई (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को विदेशी मुद्रा विनियमन

अधिनियम, 1973 की धारा 29 (2) (क) और (ग) के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर एक आशय-पत्र जारी किया है कि अनुमति पत्र प्राप्त होने की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के भीतर-भीतर कंपनी की इक्विटी पूंजी में गैर-आवासीय अंश 40 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं रहने दिया जायेगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन अनुमति प्राप्त करने के लिये मेसर्स कोलगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन और चसब्राऊ, पान्डस ने अपने आवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं। इन कंपनयों के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने उक्त अधिनियम की धारा 29 (2) (क) और (ग) के अधीन अभी कोई आदेश जारी नहीं किये हैं।

रत्नागिरि के आस-पास समुद्र में इल्मेनाइट के निक्षेप

1313. **श्री एस० कतामुतु** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नागिरि के आसपास समुद्र में इल्मेनाइट के विशाल भण्डारों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी): (क) तथा (ख) महाराष्ट्र में रत्नागिरि क्षेत्र के गहरे समुद्र में इल्मेनाइट के विशाल निक्षेप नहीं पाये गये हैं। 1973-74 के वर्ष में अरब सागर के उत्तर-पूर्व में समुद्र विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन करने के लिए चलाये गये अभियान के अन्तर्गत इस विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने सर्वेक्षण जिनमें महाराष्ट्र राज्य के रत्नगिरि तट से दूर समुद्र तल से लिये गये नमूनों की जांच करना तथा उनकी रेडियो-सक्रियता को मापना भी शामिल है। अभियान के दौरान इकट्ठे किये गये अधिकांश नमूनों में भारी खनिजों की मात्रा 1% से भी कम पाई गई।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड में बहुमत यूनियन का चुनाव

1314. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा गुप्त मतदान द्वारा शीघ्र ही बहुमत यूनियन का चुनाव किया जायेगा ; और

(ख) क्या बहुमत यूनियन का चुनाव करने के लिए गुप्त मतदान सरकारी क्षेत्र के सभी एककों में लागू होगा ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) (क) : केन्द्रीय संयुक्त परामर्श समिति में प्रतिनिधित्व और प्रबंध में श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए बहुमत यूनियनों का निर्धारण करने हेतु भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के भोपाल और हरिद्वार स्थित एककों में कुछ समय पहले गुप्त मतदान द्वारा चुनाव कराये गए हैं।

(ख) सरकार ने गुप्त मतदान द्वारा चुनाव सरकारी क्षेत्र के सभी एककों में लागू करने के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया है। लेकिन, चूंकि बहुमत का निर्धारण करने के लिए यह एक स्वीकृत पद्धति है इसलिए यदि परिस्थितियां चाहें, तो किसी भी एकक द्वारा यह पद्धति अपनाई जा सकती है।

मांग में कमी का सामना करने वाले 'उद्योगों' के समर्थन के उपाय

1315. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मांग में कमी का सामना कर रहे उद्योगों की स्थिति की पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योगों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अनेक उपायों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन उपायों की रूपरेखा क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :(क) से (घ) सरकार औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्ति पर बराबर नजर रखती है। यह विदित हुआ है कि जहां कुल मिलाकर औद्योगिक उत्पादन की उत्पादन दर में वृद्धि हुई है वहां कुछ उद्योगों के उत्पादन में 1975 में 1974 की तुलना में कुछ गिरावट आई है। सभी मामलों में उत्पादन की गिरावट का कारण मांग में गिरावट नहीं ठहराई जा सकती। मांग में अस्थायी कमी वाले चुने हुए उपभोक्ता उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक अन्तर मंत्रालयीय अध्ययन दल का गठन किया गया है। इस बीच सरकार ने अनेक उद्योगों में आर्थिक उत्पादन और अधिक बिक्री सुनिश्चित करने के लिए कुछ अभ्युपाय किए हैं। इन अभ्युपायों में औद्योगिक उपक्रमों को अपने उत्पादन में विविधता लाना, सरकार परिवहन प्रणाली में सुधार करने के लिए अतिरिक्त धन का आंवटन करना तथा निर्माण कार्यों पर लोगों के प्रतिबंध में ढील देना शामिल है। कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में कमजोर और रूग्ण मिलों को आवश्यक नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन करने के मामले में छूट प्रदान की गई है।

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

1316. **श्री खेमचन्दभाई चावड़ा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली पंचवर्षीय योजना से ही बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रत्येक श्रेणी में ऐसे लोगों की संख्या कितनी थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि से देश में बेरोजगारी के विस्तार और वृद्धि की दर से संबंधित ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है।

रोजगार कार्यालयों में रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के नामों के रजिस्टरों के आंकड़ों से [illegible] क्षेत्रों में बेरोजगारी की स्थिति की सामान्य जानकारी मिलती है, पता चलता है कि हाल के वर्षों में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या में वृद्धि की दर में कमी आई है। 1971–73 में जो औसत वार्षिक वृद्धि 30 प्रतिशत थी, उसके मुकाबले में यह 1973–75 में 6 प्रतिशत थी।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

शैक्षणिक स्तरों के अनुसार वर्गीकृत 31–12–73 को रोजगार कार्यालयों में रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के नामों के रजिस्टर में नौकरी ढूंढने वालों की संख्या

श्रेणी	39–12–73 को रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के नामों की रजिस्टर में संख्या
1. मैट्रिक से कम	43,16,002
2. मैट्रिक पास	20,74,001
3. वे व्यक्ति जिन्होंने हायर सेकेण्डरी पास किया (इनमें इंटरमीडिएट अंडर ग्रेजुएट शामिल हैं)	10,71,757
4. ग्रेजूएट व्यक्तियों का जोड़ :	6,88,968
1. कला	2,90,856
2. विज्ञान	2,10,716
3. वाणिज्य	94,957
4. आयुविज्ञान	5,664
5. इंजीनियरी	22,730
6. पशु-चिकित्सा	371
7. कृषि	8,913
8. विधि	2,457
9. शिक्षा	44,629
10. अन्य	7,675

श्रेणी	31-12-1973 को रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के नामों की रजिस्टर में संख्या
5. पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्तियों का जोड़ :	66,921
1. कला	34,324
2. विज्ञान	16,036
3. वाणिज्य	5,137
4. आयुर्विज्ञान	184
5. इंजीनियरी	363
6. पशु-चिकित्सा	19
7. कृषि	959
8. विधि	127
9. शिक्षा	8,323
10. अन्य	1,449
1. कुल शिक्षित (2-5)	39,01,647
2. कुल नौकरी ढूंढने वाले (1-5)	82,17,649

(स्रोत : रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

ट्रांसफार्मर एककों का निर्माण

1317. **श्री टुना उरॉव** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रांसफार्मर बनाने वाले एककों के नाम क्या हैं और देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, एकक-वार कितने ट्रांसफार्मर बनाये गये तथा उन एककों की क्षमता और उपयुक्त क्षमता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ट्रांसफार्मर उद्योग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या सरकार ने ट्रांसफार्मर उद्योग के लिए स्थान का चयन करने की समस्या की जांच करने हेतु कोई दल नियुक्त किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और आज तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) निम्नलिखित तालिका से मांगी गई जानकारी का पता चलता है :—

(आंकड़े दस लाख के० वी० ए० में)

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन	प्रयुक्त क्षमता
1973. . . .	17.94	11.65	65%
1974 . . .	20.04	12.21	61%
1975 . . .	22.17	13.23	60%

(ख) जी, हां, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक नया ट्रांसफार्मर कारखाना स्थापित कर रहा है जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक पूरा हो जाएगा। इससे वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता और योजना काल के अन्त तक की मांग जिसके 300 लाख के वी ए का अनुमान है के बीच अन्तर को पूरा करने में मदद मिलेगी।

(ग) और (घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने ट्रांसफार्मर संयंत्र स्थापित करने के स्थल का चुनाव करने के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार किया था। झांसी (उत्तर प्रदेश) बहुत ही उपयुक्त स्थल चुना गया था क्योंकि इस स्थान में पानी, परिवहन तथा कुशल श्रमिक की उपलब्धता जैसी आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं और यह भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का भोपाल संयंत्र जो परियोजना स्थापित करने में इंजीनियरी और तकनीकी सहायता दे रहा है के भी नजदीक है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सिविल तथा निर्माण कार्य हो रहा है।

भारत की समाचार एजेन्सियों द्वारा अभ्यावेदन

1318. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन सी समाचार एजेन्सियां हैं और ये कितने समय से कार्य कर रही हैं;

(ख) उनमें से किस-किस ने अपने कार्य में अनुभव की जा रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा): (क) जिन भारतीय समाचार एजेंसियों के प्रतिनिधि भारत सरकार से प्रत्यायित है, उनके बारे में एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) इन समाचार एजेंसियों में से किसी से भी समाचार एजेंसियों के कार्य-संचालन में "अनुभव की गई कठिनाइयों" के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया . .	(1949 में प्रारम्भ हुआ)
युनाइटिड न्यूज आफ इंडिया . .	(1961 में प्रारम्भ हुआ)
समाचार भारती	(1966 में प्रारम्भ हुआ)
हिन्दुस्तान समाचार	(1948 में प्रारम्भ हुआ)
नेशनल न्यूज सर्विस . .	(1951 में प्रारम्भ हुआ)
इंडिया प्रेस एजेंसी	(1957 में प्रारम्भ हुआ)
इंडिया न्यूज एण्ड फीयचर लायंस . . .	(1959 में प्रारम्भ हुआ)
एंटरप्राइज न्यूज एण्ड फीचर्स . . .	(1971 में प्रारम्भ हुआ)
कार्टोग्राफिक न्यूज सर्विस . . .	(1958 में प्रारम्भ हुआ)
विक्रांत न्यूज सर्विस	(1971 में प्रारम्भ हुआ)
पब्लिक ओपिनियन ट्रेंड्स . . .	(1973 में प्रारम्भ हुआ)
टेलीविजन न्यूज फीचर्स .	(1975 में प्रारम्भ हुआ)
प्रैस एशिया इंटरनेशनल	(1971 में प्रारम्भ हुआ)
फारेन न्यूज एण्ड फीचर्स . . .	(1970 में प्रारम्भ हुआ)

Financial Assistance by the Film Finance Corporation for Films produced in 1975

1319. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will be Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to State :

(a) the language-wise number of films produced in India in 1975 with the financial assistance from the Film Finance Corporation ; and

(b) the amount given as loan by the Film Finance Corporation in 1975 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a)

Feature film :

Malayalam	1
Documentary film :	
English	3
Total	**4**

(b) Rs. 8,43,456/.

टेक्नोलोजी के आयात पर प्रतिबन्ध

1320. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेक्नोलोजी के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) टेक्नोलोजी के आयात के संबंध में सरकार की नीति चयनशील रही है । सरकार द्वारा, टेक्नोलोजी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों के औद्योगिक उपक्रमों में अनुसंधान एवं विकास के महत्व को निरंतर मान्यता दी गई है । विदेशी पूंजीनिवेश तथा सहयोग को उन्हीं

क्षेत्रों तक सीमित रखा जाता है, जहां देश के भीतर ही देशीय तकनीकी जानकारी पर्याप्त स्तर तक विकसित हो चुकी है तथा जो अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। आयात के प्रश्न पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और वह भी तभी जब निर्यात की गारंटी मिलती है।

कोयले का निकासी लक्ष्य

1321. **श्री पी० गंगादेव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को महानदी घाटी के ईब रिवर सैक्टर के तलचेर से कितना कोयला निकालने का लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार द्वारा कोयले की प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता। उड़ीसा में तलचर और ईब नदी दो अलग-अलग क्षेत्र हैं। इन कोयला क्षेत्रों को कोयला खानों का उत्पादन क्रमश: 12.50 लाख टन और 7.50 टन है। कोल इंडिया लि० की इन दोनों कोयला क्षेत्रों में और उत्पादन बढ़ाने की योजनाएं हैं।

मोटरगाड़ियों के फालतु पुर्जे

1322. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटरगाड़ी बनाने वाले कारखानों में मोटरगाड़ियों विशेषतया कारों, उत्पादन में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप मोटर गाड़ियों के फालतु पुर्जे बनाने वालों को गत एक वर्ष से गम्भीर कठिनमइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हॅं, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) अब तक कोई गम्भीर कठिनाई अनुभव नहीं की गई है। आशा के अनुकूल यात्री कारों का उत्पादन और बिक्री के बढ़ने से ही स्थिति में सुधार होगा।

देश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

1323. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तथा विशेष रूप से उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत की अद्यतन स्थिति क्या है ;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने बिहार के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं हेतु गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितना धन आवंटित किया है तथा अब तक वस्तुत: कितनी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है ;

(ग) क्या बिहार के लिए लगभग 64 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं लघु योजनाएं तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के पास स्वीकृत हेतु विचाराधीन हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तर बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 11.2 यूनिट है। इसकी तुलना में अखिल भारतीय औसत 99.3 यूनिट है।

(ख) पिछले 3 वर्षों में, निगम ने बिहार राज्य बिलली बोर्ड की 36.13 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 61 ग्राम विद्यूतीकरण योजनाएं नीचे लिखे अनुसार मंजूर की हैं :—

वर्ष	मंजूर की गई ऋण राशि (करोड़ रुपयों में)
1973–74	7.72
1974–75	28.41
1975-76	—
(दिसम्बर, 75 तक)	36.13

इन 61 योजनाओं में 6,571 ग्रामों में 29,528 पम्पसेटों कों और 5,315 लघु उद्योगों को बिजली की व्यवस्था होगी। इन योजनाओं को चरण-चरण रुप में 5 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा। 30–6–1975 तक हुई उपलब्धि के बारे में प्राप्त सूचना के अनुसार 22 ग्रामों में 11 पम्पसेटों को और 33 लघु उद्योगों को बिजली दी गई थी।

(ग) इस समय बिहार की ग्राम विद्युतीकरण संबंधी कोई भी योजना निगम के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कारों, जीपों, स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों का निर्माण

1324. श्री ए० के० किस्कू : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान, एकक-वार कितनी कारों, जीपों, स्कूटरों तथा मोटर साईकिल का निर्माण हुआ है ;

(ख) उपरोक्त वाहनों की वर्तमान मांग कितनी है तथा पांचवीं योजना के अन्त तक कितनी हो जाएगी ;

(ग) सरकारी, गैर-सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र में क्षेत्रवार, कितनी पार्टियों को आशयपत्र जारी किए गए ; और

(घ) श्रेणीवार कितने वाहनों का निर्माण होगा तथा उनका निर्माण कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जानकारी निम्न प्रकार है :—

उद्योग का नाम	फर्म का नाम	उत्पादन (संख्या में)	
		1974	1975
1. कार	1. मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लि०, पश्चिमी बंगाल	20,333	9,444
	2. मै० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड बम्बई . . .	14,757	13,683
	3. मै० स्टैण्टर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास . .	1,666	123
2. जीप	1. मै० महिंद्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, बम्बई . . .	10,015	8,171
3. स्कूटर	1. मै० बजाज आटो लि०, पूना	55,126	60,745
	2. मै० आटोमोबाइल प्रोडक्ट्स, आफ इण्डिया लि०, बम्बई	29,412	29,754
	3. मै० एस्कोर्टस लिमिटेड, फरीदाबाद	1,100	537
	4. मै० स्कूटर्स इण्डिया लि०, लखनऊ	..	10,595
4. मोटर साइकिल	1. मै० एनफिल्ड इण्डिया लि०, मद्रास	16,487	18,863
	2. मै० आईडियल जावा (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, मैसूर	20,701	26,701
	3. मै० एस्कार्टस लिमिटेड, फरीदाबाद	16,038	23,965
	4. मै० सोंडज्वेराह यूनियन इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, ग्वालियर	859	200

(ख) पांचवीं योजना के अन्त तक वर्तमान अनुमानित मांग और पूर्वानुमानित मांग इस प्रकार है :—

	वर्तमान अनुमानित मांग (संख्या में)	1978-79 के अन्त तक पूर्वानुमानित मांग (संख्या में)
1. कार	20,000	60,000
2. जीप	8,000	18,000
3. स्कूटर	2,00,000	4,00,000
4. मोटर साइकिल . . .	80,000	1,30,000

(ग) और (घ) नये उद्यमियों को दिये गये आशय पत्रों जो पहले ही औद्योगिक लाइसेंस/पजीयन प्रमाण पत्र में बदले जा चुके हैं जिसमें यात्री कारों के सम्बन्ध में 53,000 संख्या प्रति वर्ष तथा स्कूटरों के बारे में 275000 सख्या प्रति वर्ष की क्षमता दी गई है के अतिरिक्त नई पार्टियों को दिये गये वैध आशय पत्रों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी जिसे अभी औद्योगिक लाइसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र में बदला जाना है, नीचे दी गई हैं :—

श्रेणी	उद्योगों की संख्या	सरकारी क्षेत्र	संयुक्त क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	स्वीकृत क्षमता (संख्या)
1. कार .	4	..	..	4	45,000
2. जीप .	..	..	..	..	..
3. स्कूटर .	8	..	1	7**	212,000
4. मोटर साइकिल	1	..	..	1	3,000

**(इसमें तीन औद्योगिक विकास निगम शामिल हैं।)

पार्टियों के आशय पत्र में दी गई शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस/पंजीयन प्रमाणपत्र में बदला जाएगा। किसी भी अंश तक ठीक-ठीक यह बता सकना कि वे कब तक उत्पादन शुरू कर देंगे, सम्भव नहीं है ।

भारत में गरीबी

1325. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1973, 1974 तथा 1975 में गरीबी और बढ़ी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1973, 1974 तथा 1975 में कितने लोग गरीबी के स्तर से नीचे थे ; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क), (ख) और (ग): गरीबी के स्तर से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के अनुपात का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी आंकड़ों के सहारे लगाया जाता है। ये आंकड़े अभी तक केवल वर्ष 1970-71 तक के उपलब्ध हैं, निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	गरीबी के स्तर पर उपभोग व्यय	लोगों का अनुपात (प्रतिशत)	
	रु०	ग्रामीण	शहरी
1960–61 . .	20.00	59	33
1967–68 . . .	41.60	74	64
1968–69 . . .	39.40	75	59
1970–71 . . .	40.80	74	50

(घ) जनसंख्या के गरीब वर्गों का उपभोग स्तर बढ़ाने के लिये जो नीतियां और कार्यक्रम तैयार किये गये हैं, उन्हें पांचवीं योजना के प्रारूप में शामिल किया गया है ।

इस सम्बन्ध में अनेक कदम उठाये गये हैं जो इस प्रकार हैं :—(1) योजना परिव्यय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि करना, (2) कृषि, ग्रामोद्योग व लघु उद्योग, पशु पालन, डेरी उद्योग, मछली पालन इत्यादि के विकास पर विशेष ध्यान देना, (3) छोटे और नाममात्र के किसानों व भूमिहीन मजदूरों आदि के लिये विशेष कार्यक्रम तैयार करना, (4) भूमि सुधार लागू करना, (5) सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करना (6) सामाजिक सेवाओं एवं कल्याण कार्यक्रमों में विस्तार करना । (7) सरकार की प्राप्ति और वितरण प्रणाली, इत्यादि को सुदृढ़ करना तथा उसमें विस्तार करना ।

इसके अतिरिक्त हाल ही में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें जनसंख्या के गरीब व कमजोर वर्गों के लिये विशेष महत्व के कार्यक्रम तैयार करने की अपेक्षा की गई है तथा ऐसे कल्याणकारी उपायों को अत्यावश्यक व सक्रिय रूप से लागू करने पर बल दिया गया है ।

अतिरिक्त उत्पादन एवं विदेशों को धन भेजने पर प्रतिबन्ध

1326. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय अतिरिक्त उत्पादन तथा विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजे जाने वाले धन को रोकने तथा उन्हें उचित दण्ड देने के लिये कानूनी उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कानून में संशोधित करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख). उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के दण्ड सम्बन्धी विद्यमान प्रावधान और कड़े बनाने की दृष्टि से और अनधिकृत उत्पादन के प्रकरणों को प्रभावीरूप से और शीघ्र निपटाने हेतु सरकार का अधिनियम को संशोधित करने का विचार है। जहां तक विदेशी कम्पनियों द्वारा बाहर धन भेजने का सवाल है, सरकार विदेशी मुद्रा संरक्षण और देश की आर्थिक विकास में उसके समुचित उपयोग करने हेतु विदेशी मुद्रा अधिनियम अधिनियमित कर चुकी है ।

हिन्द महासागर में खतरा

1327. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारतीय नौसैनिक जहाज समुद्री सीमा के अन्दर और खुले समुद्र में निरन्तर हवाई तथा इलैक्ट्रानिक निगरानी रख रहे हैं ;

(ख) क्या हिन्द महासागर में दियागो गार्सिया स्थित परमाणु अड्डे से होने वाला खतरा महासागर में बढ़ रहे आधुनिकतम खतरों का एक हिस्सा है; और

(ग) यदि हां, तो हिन्द महासागर में इन आधुनिकतम खतरों का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय जलसीमा में हमारे नौसैनिक जहाजों की विदेशी विमान द्वारा हवाई निगरानी (और अनुमानतः इलैक्ट्रानिक) के उदाहरण हैं परन्तु हमारी समुद्री क्षेत्र सीमा में निगरानी का कोई दृष्टांत नहीं है ।

(ख) और (ग). दियागो गार्सिया को नौसैनिक और हवाई अड्डे के रूप में विकसित किये जाने की सरकार को जानकारी है जहां से आधुनिकतम जहाज और विमान अपना कार्य संचालन कर सकते हैं। हिन्द महासागर में वदेशी अड्डों के विकार पर सरकार की चिन्ता की सभी को जानकारी करा दी गई है और हमारी नौसैनिक प्रतिरक्षा को मजबूत करने के लिये सभी सम्भव कदम भी उठाये जा रहे हैं ।

गुजरात में परमाणु बिजलीघर स्थापित करना

1328. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) तथा (ख). पश्चिमी क्षेत्र (जिसमें गुजरात राज्य भी शामिल है) में परमाणु बिजली घर की स्थापना के बारे में स्थल चयन समिति की अन्तिम सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है ।

बिहार में नक्सलवादियों तथा पुलिस के बीच कथित मुठभेड़

1329. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बिहार में नक्सलवादियों तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ के समाचार मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन क्षेत्रों का पता लगाने में सफल हुई है जहां नक्सलवादी सक्रिय हैं और हिंसा भड़का रहे हैं ; और

(ग) नक्सलवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० ए० मोहसिन) :

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) बिहार के पटना भोजपुर और मधुबनी जिलों के भागों में नक्सलवादी सक्रिय रहे हैं और हिंसा की भावना फैला रहे हैं ।

(ग) इन वामपंथी तत्वों को ढूंढने और इनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा कर छापे मार कर और तलाशियां लेकर उचित उपाय आरम्भ किए गए हैं । अनेक नक्सलवादी गिरफ़्तार किए गए हैं और भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद विस्फोटक और नक्सलवादी साहित्य बरामद किया गया है ।

विद्युत् सप्लाई में आत्मनिर्भरता

1330. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाँडे :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि देश विद्युत सप्लाई में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ने की स्थिति में है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या महाराष्ट्र में उद्योगों को प्रयाप्त विद्युत सप्लाई नहीं की गई जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ है ; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) और (ख) : जी हां। देश में, विद्युत के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में विद्युत की स्थिति अच्छी है केवल पश्चिमी क्षेत्र में थोड़ी सी कमी है।

(ग) और (घ). महाराष्ट्र में ऊर्जा की कमी 5 प्रतिशत से कम हैं। मांग को देखते हुए क्षमता काफ़ी कम है। बिजली की पूर्ती भिन्न भिन्न स्थानों पर उपयुक्त तरीके से भिन्न भिन्न समय में करके इस स्थिति का सामना किया जा रहा है। ऐसा करना जितना अधिक संभव है उतना अधिक किया जा रहा है ताकि उत्पादन और अनिवार्य सेवाओं पर बिजली की कमी का असर यथासंभव कम हो।

दिल्ली में यातायात के नियमों का उल्लंघन

1331. **श्री रामसहाय पाण्डे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वर्ष 1975 के दौरान यातायात सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन वर्ष 1974 की तुलना में अधिक हुआ था ; और

(ख) यदि हां तो यह वृद्धि कितने प्रतिशत हुई ?

गृहमंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :

(क) तथा (ख) : सन 1975 के दौरान यातायात के नियमों का उल्लवंन करने के लिए 2,01,095 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया कि सन 1974 में 1,65,722 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था। इस प्रकार सन् 1975 में 21·34 प्रतिशत की वद्धि हुई। यह वद्धि यातायात पुलिस द्वारा दिल्ली में यातायात की स्थिति में सुधार लाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान के कारण हुई।

भारत और यूरोपीय साझा बाजार में औद्योगिक सहयोग

1332. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ऐसा समूह बनाने का विचार कर रही है जिसमें भारत और यूरोपीय साझा बाजार नये प्रकार के औद्योगिक सहयोग संबंधी कार्य करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्या बातें क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) :

(क) और (ख): उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यूरोपीय साझा बाजार के उद्योग प्रभारी आयुक्त के बीच यह पता लगाने के लिए बातचीत हुई है कि क्या भारत और यूरोपीय साझा बाजार विभिन्न प्रकार के औद्योगिक सहयोग जैसे दिवपक्षीय सेहयोग जिसमें औद्योगिक का स्थानान्तरण या अन्य (तीसरे) देशो में परियोजनाओं की स्थापना शामिल है, के बारे में संयुक्त अध्ययन दल बना सकते हैं।

त्रिपुरा में आदिवासियों की गैर-कानूनी तौर पर हस्तान्तरित भूमि पुनः दिलाया जाना

1333. **श्री बीरेन दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में आदिवासियों की गैर कानूनी तौर पर आदिवासी लोगों को हस्तांतरित भूमि उन्हें पुनः दिलाई जा रही है ;

(ख) क्या भूमि हथियाने वाले गैर आदिवासी लोगों द्वारा पैदा की गई कुछ कठिनाई से उक्त प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है ; और

(ग) यदि हां तो आदिवासियों को उनकी भूमि फ़िर दिलाने के मामलों में द्रुत गति लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी हां, श्रीमान । आदिवासियों में भूमि वितरण करने के लिए 152 मामलों में अब तक आदेश दिए जा चुके हैं।

(ख) कोई विशिष्ट मामले सूचित नहीं किए गए हैं।

(ग) आदिवासियों द्वारा हस्तांतरित की गई भूमि वापस दिलाने के कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रुप से चुने गए अधिकारियों की तैनाती की जा रही है।

भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद

1334. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना था ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) :

(क) प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 1972-73 अथवा 1973-74 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्रमशः 743.1 रुपये तथा 899.9 रुपये था। स्थिर भावों (1960–61)

के आधार पर उक्त दो वर्षों के लिए यह क्रमश : 362.9 रुपये तथा 365·8 रुपया था । वर्ष 1974–75 के लिए अभी तक सूचना प्राप्त नहीं है ।

(ख) प्रचलित भावों के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वर्ष 1972–73 तथा 1973–74 के दौरान क्रमश: 5.8 प्रतिशत तथा 21·1 प्रतिशत की वृद्धि हुई । स्थिर भावों (1960–61) के आधार पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वर्ष 1972–73 के दौरान 2.7 प्रतिशत की कमी हुई और वर्ष 1973–74 में 0.8 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि रिकार्ड की गई ।

समुद्री दूषण का सर्वेक्षण

1335. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण योजना तथा समन्वय राष्ट्रीय समिति समुद्री दूषण की सीमा का अनुमान लगाने के लिए भारत के समुद्र तटीय जल का सर्वेक्षण आरम्भ करने का विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय पर्यावरणीय आयोजन एवं समन्वय समिति द्वारा, हमारे ज्वारनदमुखी (एस्वुरीन) तथा समुद्र तटीय जल के सर्वेक्षण करने का कार्य समुद्री जैविका तथा समुद्री दूषण के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को सौंपने की योजना बनाई जा रही है । इन संस्थाओं में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (भाभा एटामिक रिसेर्च सेन्टर), राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (नेशनल इनस्टीटयूट आफ़ ओशनोग्रोफ़ी), केन्द्रीय अन्त: स्थलीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान सेन्ट्रल इनलैंड फिशरीज़ रिसर्च इन्स्टीटयूट तथा कुछ विश्वविद्यालय शामिल हैं ।

Proceedings and Judgements in High Courts and Supreme Court in Indian Languages

1336. **Shri Hukum Chand Kachwai**
Shri Narain Chand Parashar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state : (a) the names and number of High Courts in the country at present conducting their proceedings and delivering judgements in Indian languages and of those doing so exclusively in English; and

(b) whether Government propose to issue instructions to High Courts to the effect that they should conduct their proceeding and deliver judgements in Indian languages ?

The Minister of State in the Minister of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta) : (a) : The High Courts of Allahabad, Patna, Rajasthan and Madhya Pradesh are using Hindi in addition to English. in their proceedings and judgements. The remaining High Courts are using English only for the purpose.

(b) Under articles 348 (2) of the Constitution an section 7 of the Official Languages Act, 1963. the Governor of a State may with the previous consent of the President, authorise the use of Hindi or the official language of the State in addition to the English language in proceedings

in the High Court or for the purpose of any judgement decree or order passed or made by the High Court of the State. The Initiative for to use of Hindi or the regional language in Hindi Court has. therefore, to come from the State Governments themselves under the aforesaid provisions of the constitution and Official Lamguages Act, 1963. The Central Government comes in the picture only when the question of obtaining the previous consent of the President under the said provisions of the Constitution and the Official Languages Act arises.

संस्कृत तथा अरबी के विद्वानों को राष्ट्रीय पुरस्कार

1337. **श्री नारायण चंद पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार संस्कृत तथा अरबी के विख्यात विद्वानों के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकृत करती है ;

(ख) यदि हां, तो पुरस्कार का स्वरूप क्या है और उनसे कितना वित्तीय लाभ होता है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ये पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक सनद और एक शौल दी जाती है जब मानायिषेक समारोह में राष्ट्रपति द्वारा विद्वानों को कोई उपाधि दी जाती है। जब कोई पुरस्कार घोषित किया जाता है तो 15 अगस्त से शुरु होने वाले प्रत्येक वर्ष के दौरान 3000 रु० प्रति वर्ष का वित्तीय अनुदान भी दिया जाता है।

(ग) सभा पटल पर एक सूची रखी जाती है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10258/76]

नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के विदेशों के दौरे

1338. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों ने पश्चिम एशिया, लेटिन अमरीकी और अन्य देशों में निर्यात बढ़ाने के लिये विदेशों के दौरे किये थे ;

(ख) व्यय के रूप में उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ग) विदेशों से नारियल जटा के कितने प्रयादेश प्राप्त होने की सम्भावना है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देहाती क्षेत्रों में आदिवासियों और कमजोर वर्गों का शोषण

1339. **श्री गिरिधर गोमाँगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के देहाती क्षेत्रों में सरकार द्वारा किये गये आर्थिक एवं कानूनी उपायों के बावजूद आदिवासियों और कमजोर वर्गों का शोषण अब भी हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो शोषण रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) जानकारी एकत्र करने के लिये कौन सी एजेन्सियां बनाई गई हैं और उसको रोकने के लिए क्या प्रशासनिक उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) तक: ऋणों को अधिस्थगन करने वाले तथा बंधक श्रम के उन्मूलन के लिये कानूनी उपायों से वास्तव में आदिवासियों तथा कमजोर वर्गों का शोषण कम हुआ है। आर्थिक तथा अन्य कानूनी उपायों का जिन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है, इस दिशा में और प्रभाव पड़ेगा। इस बीच, कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार के शोषण की सम्भावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सरकार इस स्थिति के प्रति जागरूक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त उत्तरों से पता लगता है कि इन उपायों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए व्यापक आधार वाली समितियां गठित की गई हैं तथा सामाजिक और आर्थिक शोषण के मामलों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने तथा रोकथाम करने के लिए विशेष एकक भी स्थापित किये गये हैं। अन्य राज्यों से उनके द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के ब्यौरों के उत्तरों की प्रतीक्षा है तथा सदन के पटल पर रख दिये जायेंगे।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों के लिए रिहायशी प्लाट

1340. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रिहायशी प्लाट वितरण नीति अधिकांश राज्यों में हरिजनों और आदिवासियों के पक्ष में नहीं रही है ; और

(ख) क्या भूमिहीन हरिजनों को रिहायशी प्लाटों के लिये मानस वित्तीय सहायता दी गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्। योजना का उद्देश्य इस तथ्य को ध्यान में न रखते हुये कि वे अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के परिवारों को बिना मूल्य रिहायशी प्लाट उपलब्ध कराना है।

31-12-1975 तक प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा लगभग 58.3 लाख परिवारों को रिहायशी प्लाटों का वितरण किया जा चुका है। इन परिवारों में से 20 लाख से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं।

संत रविदास के जन्मदिवस पर छुट्टी की घोषणा

1341. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य रूप से जनता के तथा विशेषकर हरिजनों के मार्गदर्शक तथा एक महान मानवतावादी सन्त रविदास के जन्म दिवस को छुट्टी घोषित करने की अनेक अपीलें सरकार को प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) गुरु रविदास के जन्म दिवस को सदा ही केन्द्रीय सरकार के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित कार्यालयों की वैकल्पिक छुट्टियों की सूची में शामिल किया जाता है । तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सार्वजनिक/वैकल्पिक छुट्टियों की सूची में शामिल किये जाने वाले अवसर/त्यौहार पहले ही नियत किये जा चुके हैं ।

Assistance to Children's film Society

1342. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Willthe Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to State :

(a) whether 'Children's Film Society' is functioning in different parts of the country at present ;

(b) if so, the type of assistance it has been receiving from Government ;

(c) whether the children of the country getinspiration for character building and disciplin from this society ; and

(d) if so, the efforts made by Government for further extension of its activities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) (a), (b), (c) and (d) : The children's Film Society has its registered office at New Delhi and its main office at Bombay. The Society subsists mainly on Grants-in-aid given to it by the Central Government, but it also earns revenue from affiliated membership of State Governments etc. The Society aims to create and develop amongst the children an appreciation of films for educative purposes and healthy entertainment. An amount of Rs. 100.00 lakhs has been provided in the 5th Five Year Plan for payment of grants-in-aid to the Society for production/purchase/dubbing of children's films.

Production of Buses and Trucks

1343. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Willthe Minister of **Industry and Civil Supplies** be please to state :(a) the number of days for which a person has to wait to get a truck and a bus of Indian manufacture and amount of duty to be paid thereon ; and

(b) the present production of trucks and buses in India, separately ?

The Minister of Industry and Civil Supplies (Shri T.A. Pai) (a) : Except for the Tata and Leyland vehicles, there is no waiting period for the other makes. The waiting period is variable for different models and places. Truck and bus chassis manufactured in the country are subject to concessional rate of excise duty at 12 per cent *ad valorem*.

(b) In 1975, 30,410 trucks and 12,210 buses were manufactured.

Black Marketing of Scooters

1344. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Minister of Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the requirement of scooters in the country at present ;

(b) whether Government have received complaints that Vespa Scooters are available in black market in large numbers ; and

(c) if so, the action being taken by Government to check it ?

The Minister of Industry and Civil Supplies (Shri T.A. Pai) : (a) The demand for scooters has been placed at 4,00,000 a year at the end of the Five Year Plan pericd.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति और विकास सम्बन्धी 24–सूत्री कार्यक्रम

1345. **श्री गिरिधर गोमाँगो** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के पिछडे वर्गों के कल्याण के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की दशा को सुधारने तथा उनके विकास के लिये कार्यवाही करने हेतु एक समयबद्ध 24–सूत्री कार्यक्रम अपनाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो वे कार्यक्रम क्या है और अब तक उनमें से कितने कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति और विकास के लिये 19 तथा 20 अप्रैल, 1975 को नई दिल्ली में हुये राज्यों के पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रभारी मंत्रियों के सम्मेलन में 24 प्रस्ताव पास किये गये । ये प्रस्ताव सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए धन निकास, भूमि का हस्तान्तरण रोकने, आदिवासी क्षेत्रों में शराब की बिक्री समाप्त करने, जंगलों की मामूली उपज को इकट्ठा करने के अधिकार, बन सहकारिताओं के गठन, वन भूमि पर अधिकार, आदिवासी क्षेत्रों के लिये एकीकृत ऋण तथा विपणन प्रणाली, ऋण मुक्ति के कार्यक्रम, आदिवासी क्षेत्रों के लिये उपयोजनाओं से सम्बन्धित नीति सम्बन्धी मामलों, आदिवासी क्षेत्रों के लिये उपयुक्त कर्मचारियों के चयन, कार्यक्रमों के मोनीटरिंग और मूल्यांकन के लिये उपयुक्त प्रणाली, अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिये कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लिये भू-स्वामित्व के अधिकार, ड्राई पाखानों को वाटरबोर्न पाखानो में बदलने, अनुसूचित जातियों के लिये पूर्व मैट्रिक शिक्षा और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नौकरी दिलाने की स्थिति में पुनरीक्षण के सम्बन्ध में है । सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है जिनका उनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर परीक्षण किया जा रहा है । विभिन्न राज्यों की उप-योजनाओं और संकलित आदिवासी विकास परियोजनाओं के निर्माण में इनको भी दृष्टि में रखा जा रहा है ।

आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानों को बन्द करना

1346. **श्री गिरिधर गोमाँगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के पिछड़ी जातियों के कल्याण सम्बन्धी मंत्रियों ने अप्रैल, 1975 में नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में, अपने-अपने राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानों को एक वर्ष के भीतर बन्द करने की बात सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली थी ;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क सम्बन्धी क्या नीति अपनाई गई है ;

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने अदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें बन्द कर दी हैं ; और

(घ) उनके मंत्रालय ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य की पिछड़ी जातियों के कल्याण सम्बन्धी मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णय किया गया था कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब की बिक्री बन्द होनी चाहिये ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह ने सिद्धान्त रूप में नई उत्पादन शुल्क नीति को स्वीकार कर लिया है ।

(ग) उड़ीसा सरकार ने 118 आदिवासी स्थानों पर शराब की बिक्री को बन्द कर दिया है । मध्य प्रदेश सरकार का 1-4-1976 से ठेकेदारों के द्वारा शराब की बिक्री को बन्द करने का विचार है ।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों के लिये नई उत्पादन शुल्क नीति आदिवासी उप-योजनाओं का समग्र अंग बने ।

आई०टी०डी०पी० तथा अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु जनजातीय क्षेत्रों के लिए नई प्रशासकीय नीति

1347. **श्री गिरिधर गोमाँगो :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई आर्थिक योजनाओं में आई० टी० डी० पी० तथा अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक नई योजना अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उप-योजनाओं वाले सभी राज्यों ने उसको अपना लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने आई० टी० डी० पी० क्षेत्रों में प्रशासकीय तन्त्र को नया रूप देने का सुझाव दिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अध्याय 13 में पृष्ठ 284 पर पैरा 13.19 में कहा गया है कि "आदिम जाति क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार की होगी जिससे वह "आदिम जाति के लोगों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप हो। अतः यह आवश्यक है कि क्षेत्र विकास योजना के निष्पादन तथा कार्यान्वयन का काम एक अभिकरण को सौंपा जाये।"

(ख) राज्य सरकारों को भेजे गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उन्हें यह परामर्श दिया गया था कि वे प्रशासन के लिये नीतियों को तैयार करते समय स्थानीय परिस्थितियों, वर्तमान प्रशासनिक स्वरूप और अन्य संस्थानों को ध्यान में रखें। यह बताया गया है कि कई-कई एजेंसियों के कारण उत्तरदायित्व में अनावश्यक विस्तार, नियंत्रण में कमी, समन्वय में अभाव आ गया है और जन-साधारण के दृष्टिकोण से यह पता लगाना कठिन हो गया है कि विशिष्ट कार्यक्रम से सम्बद्ध अधिकारी कौन हैं? इसलिये राज्यों से यह अनुरोध किया गया था कि वे कार्य में समन्वय और कुशलता प्राप्त करने के लिये एक प्रशासनिक व्यवस्था बनायें। इस व्यवस्था में प्राधिकारों का प्रत्यायोजन, विशेष रूप से उत्तरदायित्व का प्रत्यायोजन और पर्याप्त लचीलेपन का समावेश करना होगा ताकि कार्यान्वयन प्राधिकारी चल रहे कार्यक्रमों में समवर्ती मूल्यांकन के आधार पर परिवर्तन कर सकें। राज्य सरकारों से कहागया था कि वे इस सम्बन्ध में की गई व्यवस्था की विवेचना अपने जनजाति क्षेत्रों में प्रशासनिक पुनर्गठन और कार्मिक नीतियों से सम्बन्धित उप-योजना में स्पष्ट रूप से करें।

(ग) वे सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र जिनमें जनजातीय जनसंख्या पर्याप्त मात्रा में है अपनी उप-योजनाओं, जिनमें प्रशासनिक व्यवस्था भी शामिल है, को अन्तिम रूप देने में लगे हुये हैं।

(घ) उड़ीसा सरकार भी उप-योजना और आई० टी० डी० पी० क्षेत्रों में कार्मिक नीति को अन्तिम रूप देने का काम कर रही है।

Electrification of Villages and Installation of Power Pumps during the Fifth Five Year Plan

†1348. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether in the national seminar on the consumption of energy the Government had stated that 250,000 villages would be electrified and 40 lakh power pumps would be installed in the villages by the end of the Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the number of villages electrified and the number of power pumps installed so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Parsad) :

(a) Yes, Sir.

(b) 1,70,274 villages have been electrified and 27,17,223 pump sets energised in the country as on 30-11-1975.

Cases filed against Gazetted Officers by C.B.I.

1349. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the C.B.I, has recently recommended action against 64 gazetted officers working against higher posts in different Departments ;

(b) the names of the Departments in which these officers are working ; and

(c) the number of gazetted officers against whom cases were filed by the C.B.I. during the period from July to November, 1975 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel Administrative Reforms and Department of Paliamentary Affairs (Shri Om Mehta):

(a) C.B.I. took up cases for investigation/open enquiries against 64 gazetted officers during the month of November, 1975.

(b) These officers are working in the Ministries/Departments as indicated below :—

Ministry of Defence	6 Officers
Ministry of Finance	5 ,,
Ministry of Railways	3 ,,
Ministry of Works and Housing	2 ,,
Ministry of Commerce	1 Officer
Ministry of Information and Broadcasting	1 ,,
Ministry of Shipping and Transport	1 ,,
Ministry of Home Affairs	1 ,,
Posts & Telegraphs	3 Officers
Public Undertakings	32 ,,
Union Territories	6 ,,
State Govt. of Nagaland	3 ,,
	64

(c) During the period from July, 1975 to November, 1975, C.B.I. filed charge sheets in courts against 57 gazetted officers.

H. M. T. Watches

1350. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the number of H.M.T. watches manufactured in its Bangalore and Srinagar units during 1974-75 and 1975-76 upto December; and

(b) number of watches exported by H.M.T. during 1974-75 and 1975-76 alongwith the names of countries to which they were exported

The Minister of Industry and Civil Supplies (Shri T.A. Pai) : (a) the number of watches manufactured by HMT during 1974-75 and 1975-76 (till December, 1975) is as follows :

	1974-75	1975-76 (upto end of Dec. 1975)
Watch Factory I&II, Bangalore	3,49,210	3,10,475
Watch Factory III, Srinagar	1,02,006	93,956
	4,51,216	4,04,431

(b) the number of watches exported during that period is as follows :

1974-75	8,768
1975-76 (upto Dec., 1975) .	7,996

These watches were exported to Australia, Bangla Desh, Bhutan, Canada, East Africa, Iran, Kenya, Malaysia, Maxico, Phillippines, Srilanka, UAE, UK, USA, West Germany, New Zealand, Yugoslavia, Norway, Burma, Nigeria, Oman, Zambia and Uganda.

महाराष्ट्र में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

1351. **श्री वसंत साठे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 1975–76 और 1976–77 में महाराष्ट्र में कितनी योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जायेगा और उन पर कितनी लागत आयेगी; और

(ख) इन योजनाओं की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने 1975–76 के दौरान अब तक कुल 4.97 करोड़ रुपये की ऋण सहायता वाली, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड की, 11 ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत की हैं। 1975–76 की बाकी अवधि में और 1976–77 में और योजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर होगी कि महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ग्राम विद्युतीकरण की कितनी योजनाएं प्रायोजित करता है और निगम अपने निर्धारित मानदण्डों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कितनी योजनाओं का अनुमोदन करता है।

Extraction of Coal from various Collieries in Bihar and Madhya Pradesh

1352. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the quantity of coal extracted from Vaikunthpur, Chirimiri, Korba and Vishrampur Collieries during 1975 ;

(b) the extent to which this quantity is more than that of the previous year ; and

(c) the quantity of coal extracted from various collieries (in Public Sector) in Bihar and Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad): (a), (b) and (c). The following table furnishes the requisite information about the coal extracted during the current year (upto December, 1975) with comparative figures for the corresponding period of last year :—

(fig. in lakh tonnes)

Name of Mines/Areas	Year		Variation
	1975-76 (upto Dec.)	1974-75 (upto Dec.)	
Vaikunthpur	13·89	11·41	(+)2·48
Chirimiri	22·34	20·89	(+)1·45
Korba	27·98	26·69	(+)1·29
Vishrampur	8·26	7·42	(+)0·84
Total .	72·47	66·41	(+)6·06
Bihar	272·60	243.63	
Madhya Pradesh . . .	129·68	117·98	

सुजानपुर टिहरा में सैनिक स्कूल खोला जाना

1353. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सुजानपुर टिहरा में सैनिक स्कूल खोले जाने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार जगह का चुनाव कर रही है।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से प्रतिरक्षा उपकरणों का लिया जाना

1354. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रक्षा मंत्री जनरल हाफमैन की भारत यात्रा के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के बारे में कोई समझौता हुआ है; और

(ख) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आसान शर्तों पर रक्षा उपकरण प्राप्त करने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). यह एक सद्भाव यात्रा थी। बातचीत के दौरान आपसी हित के विषयों पर सूचना का सामान्य आदान-प्रदान हुआ। विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग की सम्भावनाओं का यथासमय अध्ययन किया जा सकता है।

बंगलादेश सेना की नई डिवीजन को विदेशी उपकरणों की सप्लाई

1355. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि बंगलादेश के लिये बनाई जा रही नई डिवीजनों को अमरीकी, चीनी अथवा पाकिस्तानी उपकरण सप्लाई किये जा रहे हैं; और

(ख) क्या बंगलादेश के सैनिकों को अभी भी भारतीय सैनिक अकादमी और रक्षा संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

Fund-sanctioned for Rural Electrification in Madhya Pradesh

†1356. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) the total amount sanctioned to the Madhya Pradesh State for rural electrification during 1975-76 and the amount actually spent so far ;

(b) the progress made in regard to the implementation of these schemes ; and

(c) the number of new schemes to be introduced in the State by the Rural Electrification Corporation during 1975-76 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshwar Prasad) : a) & (b). The Rural Electrification Corporation Ltd., has during 1975-76 so far sanctioned 25 rural electrification schemes of the Madhya Pradesh State Electricity Board for a total loan assistance of Rs. 10·43 crores. These schemes envisage energisation of 13,260 pumpsets and provision of electricity to 472 small industries in 1,108 villages.

The schemes are phased for completion over a period ranging upto 5 years. The amount of loan sanctioned by the Corporation is also disbursed in instalments. The State Electricity Board has so far drawn Rs. 1·30 crores as the first instalment for 5 schemes. These schemes are still not off the ground.

(c) Loan assistance during remaining period of 1975-76 will depend upon the number of rural electrification schemes sponsored by the Madhya Pradesh State Electricity Board and approved by the Corporation in accordance with the norms and guidelines prescribed by it.

Allocation for Industries in M.P.

1357. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Industry and Civil Supplies** be pleased to state :

(a) the amount allocated for big and medium industries under he Madhya Pradesh Plan for 1975-76; and

(b) the result achieved with the amount allocated ?

The Minister of State in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Shri B.P. Maurya): (a) and (b). An outlay of Rs. 262·54 lakhs was provided for "Large and Medium Industries" in the Annual Plan of Madhya Pradesh for 1975-76. As against this, the anticipated expenditure during the year 1975-76 has been estimated at Rs. 264·24 lakhs.

The scheme-wise break-up of the approved Plan outlay and the anticipated expenditure during 1975-76 is given below :—

(Rs. lakhs)

	Name of the Scheme	Approved Plan Outlay for 1975-76	Anticipated Expenditure during 1975-76
1.	Investment in the Share Capital of M.P. State Industries Corporation	30·00	30·00
2.	Completion of Industrial Areas (Basic facilities)	110·71	99·21
3.	Industrial Project Reports and Surveys	5·78	5·78
4.	Investment in the Share Capital of M. P. Udhyogic Vikas Nigam	100·00	115·00
5.	M.P. Textile Corporation	0·25	0·25
6.	Concession to Industries	12·75	12·75
7.	Development of Agro-Industries in Command Area	0·55	0·55
8.	Development of Electronics	2·50	0.70
	Total	262·54	264·24

अखबारी कागज का स्टाक

1358. श्री व्यालार रवि : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष के लिये अखबारी कागज का स्टाक पर्याप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) स्वदेशी उत्पादन को मिला कर, राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी सप्लायरों के साथ किये गये पक्के करारों के अनुसार वर्ष 1976–77 के लिए समाचारपत्रों की जरूरतें पूरी करना संभव होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में क्षमता से अधिक उत्पादन

1359. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का तुलन-पत्र देखा है जिसमें उसके वर्ष 1974 के उत्पादन के आंकड़े दिये हुए हैं;

(ख) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को अपनी अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन करने का अधिकार किस तारीख को दिया गया था;

(ग) इस कम्पनी का वास्तविक उत्पादन कितना है और वस्तुतः यह उत्पादन किन-किन स्थानों पर किया गया;

(घ) अतिरिक्त उत्पादन पर चुंगी जैसे स्थानीय करों तथा केन्द्रीय करों की वसूली के लिए क्या तरीके अपनाये गये हैं; और

(ङ) किसी विदेशी सहायक कम्पनी को बिक्री के लिए अपने अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों का लाभ उठाने का अधिकार देने का क्या आधार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ङ). मौसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड भिन्न-भिन्न प्राधिकरणों की अनेक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। माननीय सदस्य ने मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट वस्तु का नाम नहीं दिया है, अतः ठीक सूचना इकट्ठी करना और देना सम्भव नहीं है।

जमशेदपुर में रेडियो स्टेशन खोलना

1360. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जमशेदपुर (बिहार) में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख). संसाधनों की कमी के कारण इस परियोजना को चालू योजना अवधि के दौरान हाथ में लेना सम्भव नहीं है।

पाकिस्तान से शस्त्रों की तस्करी

1361. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान से भारी मात्रा में शस्त्रों की कथित तस्करी की ओर दिलाया गया है जो अन्ततः नक्सलवादियों के हाथों में पहुंचते हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या उपचारी उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). सीमा पार से तस्करी के कुछ मामलों का पता लगा है किन्तु नक्सलवादियों को पहुंचने वाले तस्करी के आग्नेयास्त्रों का कोई मामला अब तक ध्यान में नहीं आया है। सरकार संभावनाओं से अवगत है और प्रवर्तन एजेंसियां भी सावधान हैं।

बिहार में नक्सलवादियों के छिपने के स्थान से तोड़-फोड़ की योजना संबंधी दस्तावेजों की बरामदगी

1362. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बिहार में नक्सलवादियों के छिपने के स्थान से तोड़फोड़ की योजना संबंधी दस्तावेज बरामद किये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है, और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क), (ख) और (ग). बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार भोजपुर और मधुबनी जिलों में अभी हाल के नक्सलवादी विरोधी कार्यवाहियों के दौरान नक्सलवादियों के छिपने के स्थानों से काफी मात्रा में नक्सली साहित्य पकड़ा गया है। इन दस्तावेजों में सशस्त्र संघर्ष द्वारा शक्ति प्राप्त करने के लिए नक्सलवादी सिद्धान्तों का उल्लेख है जिसके लिये सैनिक टुकड़ियों, पुलिस और नागरिकों से हथियार छीनने के अलावा गांवों में क्रान्तिकारी समितियां और गुरीला दलों की स्थापना करना है। इस सिलसिले में 19 नक्सलवादी गिरफ्तार किये गये हैं।

आशयपत्रों की अवधि बढ़ाना

1363. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में कितने आशयपत्रों की अवधि बढ़ाई गई और कितनी अवधि के लिए ऐसा किया गया,

(ख) उक्त अवधि में कितने आशयपत्रों की अवधि समाप्त हुई और उसके क्या कारण थे; और

(ग) आशय पत्र दिये जाने वाली कितनी पार्टियों को स्थान बदलने की अनुमति दी गई और कितनी पार्टियों को ऐसी अनुमति नहीं दी गई ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) आशय-पत्रों का पुनर्वैधीकरण सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाता है। औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1975 की अवधि में छह महीने से लेकर एक वर्ष की अवधि के लिए 1003 आशय पत्रों की अवधि बढ़ाई गई।

(ख) औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1975 की अवधि में 348 आशयपत्रों की अवधि समाप्त हो गई अथवा वापस या रद्द कर दिये गये। पार्टी द्वारा स्वीकृत समय के भीतर निर्धारित शर्तें पूरी न कर पाने की स्थिति में आशयपत्र व्यपगत हो जाते हैं।

(ग) उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापना स्थल के बदलने सम्बन्धी प्राप्त 46 पूर्ण आवेदनों में से वर्ष के अन्त तक 8 को स्वीकार कर लिया है तथा 12 मामले रद्द कर दिये गये हैं।

Pilot Project undertaking for development of Adivasi Areas

1364. Shri M. C. Daga Will the **Minister of Planning** be pleased to state :

(a) the names of places where pilot projects have been undertaken by Government for the development of Adivasi backward areas in the country, particularly in Rajasthan ;

(b) the expenditure to be incurred thereon in the Fifth Five Year Plan, separately; and

(c) the main items of work to be undertaken there ?

The Miniter of State in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujaral) : (a), (b) and (c). :Pilot projects for the development of adivasi backward areas were started in Srikakulam District in Andhra Pradesh, Singhbhum District in Bihar, Ganjam, Koraput, Keonjhar Phulbani districts in Orissa. No pilot project was set up in Rajasthan. In the Fifth Five Year Plan for the first two years a sum of Rs. 4·23 crores is likely to be spent. The main items of work in these projects pertain mainly to agricultural development, horticulture, land development, soil conservation measures, minor irrigation, animal husbandry, strengthening of cooperative societies, relief of tribal indebtedness, land restoration, construction of arterial roads and encouragement to rural industries based on agriculture and minor forest produce. The coverage for each of the projects is 10,000 tribal families of 50,000 tribal participants.

मल्लापुरम् अपहिल चांदमारी क्षेत्र को नगर के विकास के लिए छोड़ा जाना

1365. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार मल्लापुरम् अपहिल चांदमारी क्षेत्र को नगर के विकास के लिये छोड़ने हेतु अनुरोध कर रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य स्थान का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) जी हां, श्रीमन्।

(ग) इस पर सहमति हो गई है कि मल्लापुरम् अपहिल चांदमारी क्षेत्र और हेग बैरक केरल सरकार को त्रिवेंद्रम में उतनी ही कीमत की भूमि के बदले दे दिया जाए।

केरल में लघु उद्योगों का विकास

1366. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने राज्य में लघु उद्योगों के विकास के लिये कुछ व्यापक योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार से इस प्रयोजन हेतु कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०–10259/76]

आँध्र प्रदेश में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करना

1367. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में एक टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इससे प्रसारण कब तक शुरू हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क), (ख) और (ग). वर्तमान उपग्रह शक्षिक दूरदर्शन प्रयोग की समाप्ति पर 'साइट के अन्तर्गत आने वाले लगभग 40 प्रतिशत क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने की योजना के अंग के रूप में आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद में एक टेलीविजन ट्रांसमिटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। उम्मीद है यह ट्रांसमीटर 1977 के आरम्भ में चालू हो जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

1368. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह बम्बई में आयोजित किया गया है;

(ख) क्या विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के आवास और विमान भाड़े पर फिल्म वित्त निगम द्वारा किये गये अत्यधिक खर्च के कारण कम बजट वाले फिल्म निर्माताओं में असंतोष उत्पन्न हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां। एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2 से 15 जनवरी, 1976 तक बम्बई में हुआ था।

(ख) विदेशी प्रतिनिधियों का जो अतिथि सत्कार किया गया वह उस सामान्य मानक के अनुरूप रहा है जो विश्व के अधिकांश फिल्म समारोहों में अपनाया जाता है। फिल्म समारोह में भाग लेने वाले विदेशी प्रतिनिधियों के आवास और विमान भाड़े पर फिल्म वित्त निगम द्वारा किये गये खर्च के बारे में कम बजट वाली फिल्मों के निर्माताओं द्वारा व्यक्त किये गये किसी असंतोष की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

50 वर्ष की आयु प्राप्त अधिकारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्त करना

1369. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर्मचारियों के मामलों की छानबीन के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों को समयपूर्व सेवानिवृत्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का मंत्रालय-वार/विभाग वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनि सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) जी हां, श्रीमान्। सभी सरकारी कर्मचारियों के मामलों की, जब भी वे 50/55 वर्ष की आयु के हो जाएं अथवा 30 वर्ष की सेवा पूरी कर लें, जैसी भी स्थिति हो, पुनरीक्षा की जाती है, जिससे कि उन अधिकारियों की छंटनी की जा सके, जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं अथवा जिनकी सत्यनिष्ठा पर सन्देह हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-10260/76]

व्यापार गृहों द्वारा प्रकाशित होने वाले समाचारपत्र तथा पत्रिकाएं और उनको दिया गया विज्ञापन

1370. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से व्यापार गृह समाचार पत्रों तथा अन्य पत्रिकाओं को प्रकाशित कर रहे हैं और इन पत्र पत्रिकाओं की बिक्री संख्या क्या है; और

(ख) वर्ष 1975 में इन समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को कितने सरकारी विज्ञापन दिये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) समाचार-पत्रों के स्वामित्व, परिचालन संख्या और अन्य विवरणों से सम्बद्ध सूचना भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार

की 17वीं वार्षिक रिपोर्ट "भारत के समाचार-पत्र--1973" (प्रेस इन इंडिया--1973) में दी गई है।

(ख) यह महसूस किया गया कि अपेक्षित सूचना एकत्र करने में जो प्रयास करना पड़ेगा, प्राप्त परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे।

आनन्द मार्ग द्वारा संचालित संस्थाओं को अधिकार में लेना

1371. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आनन्द मार्ग की सभी शैक्षिक तथा अन्य संस्थाओं को अधिकार में ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी संस्थाओं को किन-किन राज्यों में अधिकार मे लिया गया है।

(ग) क्या ऐसी सभी संस्थाओं को अभी तक अधिकार में नहीं लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क), (ख), (ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार आनन्दमार्ग द्वारा चलाए जा रहे असम में 5 स्कूल, पंजाब में 3, दिल्ली में 5, गोआ दमन और दीव में 1 को अधिकार में ले लिया गया है। कुछ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से सूचना की प्रतीक्षा है।

पुन्नापरा-वयालार और तेलंगाना संघर्षों के स्वतंत्रता सेनानियों को पेन्शन

1372. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है जिन्होंने ट्रावनकोर में भूतपूर्व नरेश के शासन के विरुद्ध पुन्नापरा-वयालार संघर्ष में तथा हैदराबाद के निजम के विरुद्ध तेलंगाना सशस्त्र विद्रोह में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

Employment to unemployed under 20 point Economic programme of Prime Minister

1373. **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri P. Gangadeb . Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme to provide employment to the unemployed under the 20-point Economic Programme announced by the Prime Minister; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri I. K. Gujral) (a) and (b): The 20-Point Programme announced by the Prime Minister has several important schemes which would substantially accelerate the generation of employment opportunities. Mention may be made in this context of the National Apprenticeship Scheme, creation of additional irrigation potential of 5 million hectares, conducting surveys to provide irrigation facilities in droughtprone areas and for explanation of proven under-ground water resources, national permit scheme for plying of goods transport all over the country, development and strengthening of hand-loom industry, accelerated power development programme and setting up of Superthermal stations, etc.

A award of Tamra Patras to freedom Fighters Amongst M. Ps.

1374. **Shri Ramavatar Shastri**. Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government has taken a decision long ago to award "Tamra Patra" to those Members of Parliament who are freedom fighters;

(b) if so, the reasons for not giving 'Tamra Patra' to them so far; and

(c) the time by which Government propose to give them "Tamra Patra" ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) (a), (b) & (c) Members of Parliament who are freedom fighters are eligible to receive Tamrapatras and a number of them have already received Tamrapatras at functions organised in the States and Union Territories from time to time. For the convenience of those Membres of Parliament who have not yet received Tamrapatras, the Union Government proposed to award Tamrapatra at a function in New Delhi. Lists of eligible Members of Parliament who have not yet received Tamrapatras are being completed in consultation with the State Governments and a function of this nature can be held only there after.

Thermal Power Station at Dalkola in West Bengal

1375. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Energy** be pleased to state :

(a) whether Government had furmulated a scheme to set up a thermal power station at Dalkola in West Bangal and ; and

(b) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Energy (Prof. Siddheshawar Prasad): (a) & (b) : The West Bengal Government had formulated a feasibility report for installation of two units of 120 MW each at Dalkola in the Central Sector. The State Government was informed that while there was no scope for a Central Power Generation Projects at Dalkola, they could consider it it in the State Plan. No formal decision has yet been taken.

Hindi Advisory Committees in Ministries

1376. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the Ministres in which Hindi Advisory Committees have not been constitutee so far ;

(b) the main reasons therefor; and

(c) the time by which such Committees would be constituted there ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta): (a). (b) & (c). It has been the policy of the Central Government to constitute Hindi Advisory Committees in selected Ministries only and the decision depends on (i) the nature of its work. (ii) the extent of its contacts with the public; and (iii) the scope for the progressive use of Hindi for official purposes in that Ministry.

Initially. such Committees were constituted only in the Ministries of Home. Education. Law and Inmormation and Broadcasting. This was done because the Presdential order dated

27th April. 1960 entrusted the first three Ministries with certain spedific tasks relating to the preparatory measures for facilitating the progressive use of Hindi in the Union Administration and the fourth one controls the media for communication with the people.

As time progressed, it was felt that it would be desirable to have Hindi Advisory Committees in those Ministries also which had a large number of offices in the Hindi speaking areas an whose contacts with the members of the Public are extensive. Accordingly. in its meeting held on 20th December, 1972. the Central Hkndi Committee decided to constitute Hindi Advisory Committee in the Ministry of Railways and the P & T Board. The question of constituting such Committees in the Ministries of Defence and External Affairs was also considered. However. having regard to this special nature of the work being done in these Ministers it was decided that it would be more desirable to constitute Sub-Committees of the Central Hindi Committee in these Ministries towatch the progress made in the use of Hindi. Later on. the Ministry of Agriculture also felt that it should have a Hindi Advisory Committee and looking to the nature of its work it was decided to constitute an Advisory Committee in that Ministry also.

As a result of the work of these Committees, Hindi work in all these Ministies recevied a great fillip and, therefore, the Central Hindi Committee, in its meeting of 9th April, 1975 decided to have Hindi Advisory Committees in the following Ministries also :—

1. Ministry of Finance.
2. Ministry of Commerce.
3. Ministry of Health and Family Planning.
4. Ministry of Industry and Civil Supplies.
5. Ministry of Energy.
6. Ministry of Petroleum and Chemicals.
7. Ministry of Tourism and Civil Aviation and
8. Ministry of Shipping and Transport.

Steps have been taken to constitute Hindi Advisory Committees in these Ministries. After the visit of the Sub-Committee of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Hcme Affairs to the Ministries of Supply and Rehabilitation. Steels and Mines and Labour. it was felt that it would be useful to constitute such Committees in these Ministries also. Accordingly. necessary action is being taken to constitute these Committees in these Ministres also.

It would thus be seen that wherever considered necessary. Hindi Advisory Committees have been constituted or are being constituted for ensuring progressive use of Hindi in the official work.

Retirement or Suspension of I.A.S. and I.C.S. Officers after Emergency.

1377. Shri Shankar Dayal Singh : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of I.A.S. and I.C.S. officers retired or suspended in public interest in each state after the proclamation of emergency ; and

(b) whether the Central Government have issued any directive to the State Governments in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms and Department of Parliamentary Affairs (Shri Om Mehta : (a) A statement giving the inforation is laid on the Table of the House.

[Placed in Library See. No. L.T. 10261/76].

(b) The State Governments have been requested to review the cases of all the members of the Indian Administrative Service, including the I.C.S. members of the Indian Administrative Service. borne on their Cadres who have completed or are likely to complete the age of 50 years or 30 years of qualified service, with a view to ascertaining as to whether they are fit to be retained in service or not.

उड़ीसा में आणविक विद्युत् केन्द्र की स्थापना

1378. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने उड़ीसा के सुबर्नरेखा बेसिन में एक आणविक विद्युत् केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन सिफारिशों की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

हरिजनों तथा आदिवासियों पर जुल्म से निपटने के लिये विशेष सैल

1379. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **ग्रह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्य वर्ष 1975 के दौरान देश में हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म तथा उन्हें परेशान किया जाना निरन्तर चलता रहा है ;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए विशेष सैल स्थापित करने के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को दिये गये सुझावों को क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस किस्म की पूछताछ की गई तथा उपरोक्त सैलो ने किस प्रकार का दंड देने का विचार किया गया तथा उसे कैसे क्रियान्वित किया गया ?

ग्रह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार सन 1975 के दौरान कुछ राज्यों में ऐसे अत्याचारों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

(ख) प्रधान मंत्री ने 1973 में मुख्य मंत्रियों को हरिजनों को, जनजातियों और अल्प संख्यकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए अपनी निजी देख भाल में एक सेल अथवा किसी उपयुक्त व्यवस्था की स्थापना पर विचार करने और सरकारी कार्यालयों, सरकारी उद्यमों इत्यादि में इन वर्गों की नौकरी सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास करने के लिये सुझाव दिया था । तदनुसार कई राज्यों में विशेष सैल समितियां स्थापित की जा चुकी हैं ।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर हिंसा या उन्हें परेशान करने के मामलों से निपटने के लिये स्थापित किये गये विशेष सैल का कार्य विशेष अपराधों से सम्बद्ध आपराधिक मामलों में शीघ्र जांच कराना तथा ऐसे मामलों में न्यायालय में प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाना भी है ।

परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा विद्युत् उत्पादन के लिए ब्रीडर टेक्नालोजी का प्रयोग

1380. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग को थोरियम के प्रयोग से विद्युत् उत्पादन करने के लिए ब्रीडर टेक्नालोजी में दक्षता प्राप्त करने में कोई सफलता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसे टेक्नालोजी के प्रयोग से प्रथम परमाणु बिजली घर कहां पर स्थापित किया जाएगा ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) तथा (ख). थोरियम अपने आप में एक उर्वरक पदार्थ हैं न कि एक विदल्य पदार्थ । थोरियम के ईंधन-आवरणों वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में इसे विदल्य यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है । इस यूरेनियम-233 का प्रयोग, परमाणु बिजली का उत्पादन करने के हमारे कार्यक्रम के चौथे चरण में, थोरियम ब्रीडर चक्र को आरम्भ करने के लिये किया जा सकता है । क्योंकि इस स्थिति का क्रम फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों, जिनके निर्माण के बारे में निर्णय अभी लिया जाना है, की स्थापना व्यावसायिक स्तर पर कर लेने के बाद आता है, इसलिये वर्तमान में प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

आटोमोबाइल फैक्टरियों के उत्पादन का विविधीकरण

1381. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आटोमोबाइल फैक्टरियों को अपने उत्पादन के विविधीकरण की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख). सरकार ने यात्री कार उद्योग को अन्य गाड़ियों, औद्योगिक मशीनें और मशीनी औजारों के अपने उत्पादन में विविधता लाने के लिये प्राधिकृत किया है ?

योजना में मध्यस्तरीय तकनीकी का प्रयोग

1382. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उच्चस्तरीय उद्योगीकरण के दोषों को दूर करने के लिये विकास हेतु योजना में मध्यस्तरीय तकनीकी का प्रयोग करने की मांग बढ़ रही है ; और

(ख) देश में मध्यस्तरीय तकनीकी का उपयोग करने तथा उसे बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख). सरकार द्वारा आर्थिक विकास तथा तकनीकी में आत्मनिर्भरता के लिए, योजना में, देशीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। खादी तथा ग्रामोद्योग में प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए, कार्यक्रम अभी निर्धारित किये गये हैं तथा इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना (खंड) 1 तथा 2) 1974--79 के प्रारूप में दिया गया है जिसे 26 मार्च, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था। छोटे तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों के सामने आने वाली तकनीकी तथा इंजीनियरी समस्याओं को सुलझाने के लिए, 17 अनुसन्धान डिजाइन तथा विकास समितियां का गठन किया गया है। उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी सेल की स्थापना की गई है। कुछ विशिष्ट मदों जैसे कृषि यन्त्र तथा औजार, छोटे आकार के डेरी संयंत्र, मिट्टी तथा कांच के पात्रों सहित मृत्तिकाशिल्प (सिरेमिक्स), देश में विद्यमान परिस्थितियों में खाद्य संसाधन तथा फल संरक्षण आदि के लिये उपयुक्त प्रौद्योगिकी की जांच की जा रही है। देश के समग्र औद्योगिकीकरण तथा आर्थिक विकास के लिये केन्द्रीयकृत उत्पादन प्रणाली तथा उपयुक्त तकनीकी का प्रयोग करने वाले छोटे पैमाने के उद्योग, दोनों ही आवश्यक हैं।

कोयला मूल्यों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

1383. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला मूल्यों सम्बन्धी सरकारी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) कोयला उद्योग को कब तक राज-सहायता दी जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में उपमंत्री (प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). कोयला मूल्यो पर अन्तर-मंत्रालयिक ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी थी। उस पर विचार करने के बाद पहली जुलाई, 1975 से कोयला मूल्यों में संशोधन किये गये। समिति ने अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(ग) कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कोयला उद्योग तथा अन्यों को कोयला खानों के संरक्षण तथा विकास की स्कीमों के लिए, भराई कार्यों हेतु भराई सामग्री को मंजूरी व अन्य सहायता तथा कोयला खानों में सुरक्षा हेतु भराई एवं अन्य कार्यों, के निष्पादन तथा अनुसन्धान आदि के लिये राज्य अर्थ सहायता की व्यवस्था है। फिलहाल अर्थ-सहायता को इस स्कीम को बन्द करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं

1384. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में अब तक चल रहे संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है और वे उद्योग किस प्रकार के हैं ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : संयुक्त क्षेत्र के उत्पादनरत शब्दों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर

दिया गया है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	औद्योगिक एककों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	9
2.	गुजरात	2
3.	हरियाणा	2
4.	केरल	3
5.	मेघालय	2
6.	नागालैन्ड	1
7.	पंजाब	4
8.	तमिलनाडु	3
9.	उत्तर प्रदेश	3
10.	पश्चिम बंगाल	1

ये अमोनिया, यूरिया, ड्राई, सैल बैटरी, दवाइयों, इनेमिल के तारों, कांच की बोतलों, प्लाईवुड, स्टीलबिलेट्स, स्विच गियर और टेलिविजन सैटों आदि जैसे उद्योगों से सम्बन्धित हैं ।

विदेशी सहायता से "एप्पल इंटु स्पेस"
उपग्रह छोड़ा जाना

1385. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **अंतरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का विचार 1978 में विदेशी सहायता से 'एप्पल ईंटु स्पेस' नामक एक उपग्रह छोड़ने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) और (ख). एरियन एक यूरोपीय प्रमोचित्र (लांचर) है, जिसका आजकल विकास किया जा रहा है । एरियन विकास उड़ानों पर एक पैसिंजर अर्जक-भार उड़ाने के प्रस्तावों पर, यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी से मिले निमंत्रण के प्रत्युत्तर में एक लघुसंचार उपग्रह को एक पार्श्विक पैसिंजर के रूप में अथवा यदि यह सम्भव न हो तो प्रायोगिक उड़ानों में से किसी एक पर संचार अर्जक-भार को एक अस्वायत्त पैसिंजर के रूप में ले जाने के बारे में यूरोपीय अन्तरिक्ष एजेंसी को प्रस्ताव भेज दिये हैं । एरियन पैसिंजर अर्जक-भार प्रयोग (एप्पल) नामक परियोजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

समाचारपत्रों के मूल्य को युक्तियुक्त बनाना

1386. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 और 1974 में अखिल भारतीय स्तर के कुछ प्रमुख अंग्रेजी के समाचार-पत्रों ने अपने पृष्ठों की संख्या एक तिहाई से लेकर आधे तक घटा दी है, और इसके बावजूद वे समाचार-पत्र का मूल्य उतना ही ले रहे हैं और बाद में उन्होंने मूल्य बढ़ाया भी है ;

(ख) यदि हां, तो इन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं, बाद में बढ़ाये गये मूल्यों के बारे में तथ्य क्या है ; और

(ग) समाचारपत्रों के मूल्य को युक्तियुक्त बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 1973–74 के दौरान कुछ समाचरपत्रों ने समाचारपत्रों के पृष्ठों में कुछ कटौती की और समाचारपत्रों के मूल्यों में वृद्धि की ;

(ख) इनमें से कुछ प्रमुख अंग्रेजी समाचारपत्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं; कीमतों में वृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10262/76]।

(ग) एकाधिकार एवं निबंधन कारी व्यापार प्रथा आयोग ने कुछ समाचारपत्र कम्पनियों तथा अन्यों को उनके कुछ व्यापार प्रथाओं में निरत रहने के आरोप लगाते हुए तथा साजिश करके समान मूल्य निर्धारण में ग्रस्त रहने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 1975 को, एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10(क) (4) के अन्तर्गत जांच के लिए चार नोटिस जारी किए थे ।

जबकि निबन्धनकारी व्यापार प्रथाओं की जांच संख्या 1975 की 46 व 47 पर कार्यवाहियां प्रवर्तमान हैं, वहां जांच सं० 1975 की 48 व 49 के उत्तरवादियों के लिए अपने द्वारा प्रकाशित समाचार-पत्रों के मूल्यों को निर्धारित करने अथवा बढ़ाने के मामले में, आपस में, तथा अन्यों के साथ साजिश करने से नियंत्रित करने तथा निषेध करते हुए, आयोग के दिनांक 18 दिसम्बर, 1975 को पारित किये गये आदेशों को प्रस्तुत कर दिया है ।

कनिष्ठ प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दक्षता परीक्षा

1387. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के लिये कनिष्ठ प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों के लिये राष्ट्रीय दक्षता परीक्षा लेने का है ;

(ख) परीक्षार्थियों में से प्रखर प्रतिभाशाली प्रत्याशी लेने के लिये परीक्षाओं में गुणात्मक सुधार करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों से भी इस योजना का लाभ उठाने के लिये कहा गया है ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क), (ख), (ग) तथा (घ). शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों (डिसीप्लिनों) में राष्ट्रीय दक्षता परीक्षा लिए जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से कुछ व्यापक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । आयोग ने यह सिफारिश की है कि ये परीक्षाएं भी विभिन्न व्यवसायों में भर्ती के लिए आधार होनी चाहिए । इनमें अन्तर्ग्रस्त जटिल विषयों को ध्यान में रखते हुए अब इन प्रस्तावों की, उनकी सभी शाखा-प्रतिशाखाओं में, केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की जा रही है । इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिए जाने के सम्बन्ध में किसी नियत समय का सुझाव देना कठिन है । अभी तक राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया है ।

आयुध कारखानों में 'स्क्रैप' का निपटान

1388. **श्री वसंत साठे :**
श्री धामनकर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोली लगाने वालों के संगठित दल सम्बद्ध अधिकारियों की सांठगांठ से आयुद्ध कारखानों में नीलामी द्वारा स्क्रैप की बिक्री की वर्तमान प्रणाली का अनुचित लाभ उठा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या स्क्रैप का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार का विचार आयुद्ध कारखानों में स्क्रेप की बिक्री की वर्तमान प्रणाली पर पुनः विचार करने का है; और

(घ) आयुध कारखानों द्वारा 1975 में कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का स्क्रेप बेचा गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख). जी नहीं । ऐसे अनुचित लाभ को रोकने के लिए वर्तमान प्रणाली में पर्याप्त बचाव है । तथापि, समय-समय पर कुछ शिकायतें मिलती रहती हैं। उनकी यथाविधि जांच-पड़ताल की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

(ग) निपटान की प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और एक पुनरीक्षण पर इस समय कार्य हो रहा है ।

(घ) आर्डनेंस स्टोरों में बचे हुए स्क्रैप स्टोर्स की बिक्री से सितम्बर 1975 तक 393.63 लाख रुपए की राशि प्राप्त की गई थी । सारे वर्ष के लिए अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

एस्कार्ट ट्रैक्टर का मूल्य

1389. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1974 में उत्तर प्रदेश में एस्कॉर्ट ट्रैक्टर किसी नियंत्रित मूल्य पर बचे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका नियंत्रित मूल्य कितना था ; और

(ग) उस समय इस ट्रैक्टर का बाजार मूल्य क्या था ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) ट्रैक्टरों के मूल्य पर नवम्बर, 1974 में कोई कानूनी नियंत्रण नहीं था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नवम्बर, 1974 में एस्कार्ट 335/3036 और फोर्ड–3000 ट्रैक्टरों का अधिकतम खुदरा मूल्य निम्न प्रकार थे :—

ट्रैक्टर का माडल	1–11–74 से 10-11-74 तक मूल्य	11–11–74 से मूल्य
एस्कार्ट–335/3036 . . .	32,000 रुपये	36,528 रुपये
फोर्ड–3000	41,100 रुपये	47,421 रुपये

जम्मू में स्कूटर परियोजना

1390. **श्री राम सहाय पाँडे :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने जम्मू में एक नई स्कूटर परियोजना स्थापित करने के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां ।

(ख) इसका निश्चय 1976–77 की वार्षिक योजना के एक भाग के रूप में किया जाना है ।

नालगौण्डा (आन्ध्र प्रदेश) में अरण्डी उद्योग समूह

1391. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित इण्डियन आक्सीजन कम्पनी ने नालगोण्डा (आंध्र प्रदेश) में एक निर्यातोन्मुख अरण्डी उद्योग समूह की स्थापना के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है ;

(ख) इस परियोजना संबंधी मुख्य बातें क्या हैं, इस पर कितना पूंजी निवेश होने का अनुमान है तथा इससे कितने लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इण्डियन आक्सीजन ने आवश्यक औद्योगिक लाइसेंस मिल जाने की आशा करते हुए नागार्जुनसागर (वियजपुरी नार्थ) में अपने एकक की स्थापना का निर्णय करने तथा 156 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने जैसी कार्यवाही करके अपनी परियोजना की क्रियान्विति के लिए प्रारम्भिक कदम पहले ही उठा लिए हैं; और

(घ) उसे औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने में शीघ्रता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) मै० इण्डियन आक्सीजन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ने आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में एक नए उपक्रम की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है जिसमें अंडी का तेल और अंडी के तेल से बने अन्य उत्पाद जैसे हाइड्रोजिनेटेड, अंडी का तेल फैटी एसिड, डीहाइड्रेटेड अंडी का तेल, फैटी एसिड, डाइमर एसिड, पोली एमाइड्स, अंडी की खली और डि ्लसरीन का निर्माण किया जायगा। परियोजना के अंतिम चरण तक अनुमानित पूंजी निवेश लगभग 1127 लाख रुपए होगी और परियोजना में करीब 300 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है ।

(ग) इस बारे में सरकार को कोई भी जानकारी नहीं है ।

(घ) सरकार इस प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

श्रीकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश में पटसन मिल

1392. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **उद्योग और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीकाकुलम जिले (आंध्र प्रदेश) में सेलूर में पटसन मिल स्थापित करने के लिए श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट गिरिजन जूट प्रोड्क्टस कोआपरेटिव प्रोसैसिंग सोसाइटी को कोई आशयपत्र जारी किया गया है ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अब उस आशयपत्र को आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी आंध्र प्रदेश फाइबर्स लिमिटेड को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है ;

(ग) क्या इस परियोजना की स्थापना में वित्तीय तथा तकनीकी समस्यायें इतनी जटल हैं कि गिरिजन कोआपरेटिव सोसायटी उनका समाधान नहीं कर सकती; और

(घ) यदि हां, तो आशयपत्र के हस्तांतरण के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि यद्यपि मूलरूप से इस परियोजना को पुर्णतया आदिवासी सहकारी परियोजना के रूप में बनाया गया था परन्तु बाद में पता लगा कि, परियोजना के वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं की पेचीदगियो आदिवासी समिति ठीक प्रकार से सुलझा नहीं सकेगी ।

(घ) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को बताया था कि संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी आन्ध्र प्रदेश फाइबर्स लि० को नया आशय-पत्र देना अधिक उपयुक्त रहेगा। तदनुसार, आंध्र प्रदेश, फाइबर्स लि० से जूट का सामान बनाने के लिए लाइसेंस लेने हेतु दिसम्बर, 1975 में एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है । इस पर विचार किया जायेगा और यथासमय निपटान कर दिया जायेगा ।

चितौरा (उत्तर प्रदेश) स्थित औद्योगिक बस्ती

1393. **श्री बी० आर० शुक्ल** : : क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) में चितौरा स्थित औद्योगिक बस्ती को "ब्राइट वार" और कुछ अन्य सामान का निर्माण करने के लिए कोई लाइसेंस जारी किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्य शुरू हो गया है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चमकीली छड़ो (ब्राइट बार) को उत्पादन करने के लिए जिला बहराइच की औद्योगिक बस्ती चितौरा को कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आपात स्थिति के बाद विदेशी मुद्रा की जालसाजी करने वाले व्यक्तियों का पकड़ा जाना

1394. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति लागू होने के बाद विदेशी मुद्रा सम्बन्धी जालसाजी करने वाले कुल कितने व्यक्ति पकड़े गये ?

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : श्री ओम मेहता) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 26-6-1975 से 31-12-1975 तक की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन पर 35 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था; और इसी अवधि के दौरान कोफेपोसा (COFEPOSA)

एक्ट के अधीन निदेशालय के प्रस्तावों के अनुसार 139 व्यक्तियों को (जिनमें उपर्युक्त गिरफ्तार किए गए 4 व्यक्ति भी शामिल हैं) निरुद्ध रखा गया था ।

आकाशवाणी द्वारा कुछ समाचार एजेन्सियों की सेवायें लेना बन्द किया जाना

1395. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने पी० टी० आई०, यू० एन० आई०, हिन्दुस्तान समाचार तथा समाचार भारती की सेवायें लेना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी के समाचार प्रसारणों की सामग्री किस प्रकार प्राप्त होती है; और

(ग) क्या उक्त चारों समाचार एजेन्सियों को मिलाकर राज्य स्वामित्व की एक एजेन्सी बनाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार से समाचार लेना क्रमशः 1 जनवरी और 7 जनवरी 1976 से बन्द कर दिया गया था और पी० टी० आई० और यू०एन०आई से समाचार लेना 1 फरवरी, 1976 से बन्द करने का प्रस्ताव है ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि आकाशवाणी अपनी रिपोर्टिंग शक्ति में वृद्धि कर उसे विकसित करे । आकावाणी के समाचार संकल्प के जो स्रोत है उनको संगठित करने के लिए कदम उठाये गए हैं ।

(ग) जी नहीं ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय जल प्रदूषण-निवारण और नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : : मैं, श्री एच० के० एल० भगत की ओर से, जल (प्रदूषण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जल प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 10242/76]

रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड, बम्बई तथा जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा और भारत रक्षा नियम, 1971 के अधीन जारी की गई अधिसूचनाएं आदि

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिसभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) (क) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) रिचसर्डन एण्ड क्रूडस (1972) लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित, लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 10243/76]

(दो) (क) जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(ख) जैसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 10244/76]

(एक) भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 114 के अन्तर्गत जारी की गयी नागालैंड सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) आवश्यक वस्तु (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1975 जो दिनांक 19 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या सप्लाई–3/38/75 में प्रकाशित हुआ था ।

(ख) पैक की हुई वस्तुएं (विनियमन) आदेश, 1975 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1975 के नागालैंड राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 443(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उपर्युक्त (एक) (क) में उल्लेखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) नागालैंड में सीमेंट का फुटकर मूल्य निर्धारित करने सम्बन्धी दिनांक 4 नवम्बर, 1975 के आदेश संख्या एस० पी० एल० वाइ०/4/5/75 की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिए** संख्या एल० टी० 10245/76]

भारत सेवक समाज संबंधी जाँच आयोग का प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : श्री शाह नवाज़ खां की ओर से मैं भारत सेवक समाज के मामलों की जांच संबंधी आयोग के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 10246/76)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचनाएं तथा सीमेंट उद्योग संबंधी टेरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1974)

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कागज (उत्पादन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 9 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०आ० 2551 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) कागज (संरक्षण तथा उपयोग का विनियमन) संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 29 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 458 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(तीन) कागज (उत्पादन नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 487 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) कागज (उत्पादन नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 488(ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(पांच) कागज (संरक्षण तथा उपयोग का विनियमन) दूसरा संशोधन आदेश, 1975 जो दिनांक 12 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 650 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) सां०आ० 651 (ङ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल० टी० 10247/76]

मैं टैरिफ़ आयोग अधिनियम 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत सीमेंट उद्योग की व्यापक समीक्षा तथा उत्पादकों को देय उचित कारखाना द्वारा मूल्यों के पुनरीक्षण सम्बन्धी टैरिफ़ आयोग के प्रतिवेदन (1974) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल० टी० 10248/76]

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (पहला संशोधन) नियम, 1976 तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचना

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : श्री प्रणब कुमार मुखर्जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (पहला संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 39(ङ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 10249/76]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 76 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल टी० 10250/76]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई का वर्ष 1973–74 का प्रतिवेदन तथा एक विवरण

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा सांख्यिकीय विवरण।

(दो) उपयुक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल०टी०–10251/76]

भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा विकरण संरक्षण (संशोधन) नियम, 1975

ऊर्जा मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, जादुगुडा का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी०–10252/76]

(2) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विकरण संरक्षण (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 19 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी०–10253/76]

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हरियाणा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी०–10254/76]

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार का वर्ष 1974 संबंधी प्रतिवेदन (भाग I)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : मैं भारत में समाचारपत्रों संबंधी समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के 1974 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग—I) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी०–10255/76]

राज्य सभा से संदेश

Messages from Rajya Sabha

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :–

(एक) कि राज्य सभा अपनी 24 जनवरी, 1976 की बैठक में लोक सभा द्वारा 22 जनवरी, 1976 को पास किये गये आन्तरिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा ने 27 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 20 जनवरी, 1976 को पास किया गया दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन विधेयक, 1976 संशोधन के साथ पास किया है और इस अनुरोध के साथ विधेयक को वापस लौटा दिया कि संशोधन से लोक सभा की सहमति राज्य सभा के पास भेजी जाये।

2. मैं दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन विधेयक, 1976, जिसे राज्य सभा ने संशोधन के साथ लौटा दिया था, सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
लोक लेखा समिति

Committee on Private Members Bills and Reso lutions

59वाँ प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वापतशासी जिले) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 59वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

191वाँ प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व) : मैं नई रेल लाइनों पर लोक लेखा समिति के 171 प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही समिति का 191वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

Estimates Committee

87वाँ तिवेदन तथा कार्यवाही साराँश

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

(एक) गृह मंत्रालय--अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र पर प्राक्कलन समिति का 87वां प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के बारे में समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

संविधान (बत्तीसवाँ संशोधन) विधेयक

Constitution (Thirty Second) Amendment Bill

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाया जाना

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारत के संविधान का और संशोधन करने वाल विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सिविल प्रक्रिया संहिता विधेयक संबंधी संयुक्त समिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री लील धर कटकी (नवगांव) : मै प्रस्ताव करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और परिसीमा अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कियें जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) विधेयक

Urban Land (Ceiling and Regulation) Bill.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) विधेयक 1976 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री के० रघुरामैया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

प्रेस परिषद् (निरसन) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प तथा प्रेस परिषद् (निरसन) विधेयक

Statutory Resolution re. Disapproval of Press Council (Repeal) Ordinance, 1975 and Press Council (Repeal) Bill

श्री इरानुद सेकैरा (मारमागोआ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित प्रेस परिषद् (निरसन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 26) का निरनुमोदन करती है।"

खेद है कि सरकार ने जिस प्रेस परिषद् की 4 जुलाई, 1966 को स्थापना की थी उसे राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा 31-12-1975 को समाप्त कर दिया गया है जबकि इस परिषद् का देश भर में ही सम्मान नहीं किया जाता था अपितु समाचारपत्रों द्वारा भी पूरा-पूरा सम्मान किया जाता था। इससे बड़ा उदाहरण फासिस्टवादी कदम का नहीं हो सकता।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन से स्पष्ट है कि सरकार ने अदूरदर्शिता का परिचय दिया है क्योंकि यदि इसे समाप्त ही करना था तो गत सत्र में विधेयक लाया जा सकता था। यदि सरकार के अनुसार इसके उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं तो इसकी त्रुटियां दूर की जानी चाहिए थीं न कि इसे समाप्त ही किया जाये जबकि इसके अध्यक्ष को सरकार द्वारा नामजद किया जाता है। उसे बदल कर इसके कार्यकरण में सुधार किया जा सकता था।

यह कहना अच्छा तो नहीं लगता परन्तु हमें कहना पड़ता है कि समाचारपत्रों की स्वायतता लोकतंत्र का आधार स्तम्भ है परन्तु इसी पर कुठाराघात करके सरकार इसे कार्यपालिका का खिलौना बना देना चाहती है। यदि ऐसा हो गया तो देश के लिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

मुझे खेद है कि इस परिषद् को समाप्त किया जा रहा है। यद्यपि सरकार पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है तथापि मेरा अनुरोध है कि यह विधेयक वापस ले लिया जाये और इस अध्यादेश का निरनुमोदन किया जाये क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा जिसे जनता कभी नहीं होने देगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित प्रेस परिषद् (निरसन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 26) का निरनुमोदन करती है।"

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 का निरसन करने और उसके आनुषंगिक कुछ विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सैकेरा ने दो बतें कहीं हैं--एक यह कि अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिये था और दूसरे, यह कि प्रेस परिषद् अच्छा काम कर रही थी जब कि सदस्यगण जानते हैं कि पीछे इसकी इसी सदन में कितनी कटु आलोचना हो चुकी है। यह बात कहने की आवश्यकता नहीं

है कि प्रेस परिषद् अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रही है क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा का हनन करने वाले लेख छापने के विरुद्ध कोई संहिता आज तक नहीं की जा सकी ।

श्री सैकेरा को संसद् और समाचारपत्रों के विशेषाधिकारों में अन्तर का ज्ञान होना चाहिये था । संसद् के विशेषाधिकार व्यापक रखने की दृष्टि से ही परिभाषित नहीं किये गये हैं परन्तु समाचारपत्रों की बात दूसरी है । अखिल भारतीय सम्पादक सम्मेलन और विख्यात सम्पादकों ने आचार-संहिता का अपना-अपना सुझाव दिया है क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । यदि ऐसा हुआ है तो फिर प्रेस परिषद् यह कार्य क्यों नहीं कर सकी है ? शायद इसलिये कि यह काम महत्वपूर्ण नहीं समझा गया था वह कर नहीं पाया है । मुझे आशा है कि सम्पादक स्वयं ऐसी संहिता तैयार कर लेंगे और उचित समय पर सदन के विचारार्थ इसे पेश कर दिया जाएगा । हम इस दिशा में कानून के अनुसार ही चलेंगे ।

गत 11 वर्षों से प्रेस परिषद् यह सब न कर सकी और न ही भविष्य में किये जाने की आशा है प्रेस परिषद् उस समय की मूक दर्शक की भूमिका निभाती रही जब प्रजातन्त्र को चुनौती दी जा रही थी ।

अन्ततः इस सदन के तथा दूसरे सदन के माननीय सदस्यों तथा पत्रकारों के प्रतिनिधियों ने अनुभव किया कि प्रेस परिषद् आशाओं के अनुसार सिद्ध न हो सकी जिससे केवल अनुशासनहीनता ही फैलेती । स्थिति लगातार बिगड़ती गयी ।

यह मामला हमारे ध्यान में आया तो हमने कोई निर्णय लेने से पहले प्रेस परिषद् सम्बन्धित लोगों से चर्चा की । हमने निश्चय किया कि प्रेस परिषद् को समाप्त कर दिया जाये और इस पर नये सिरे से विचार किया जाये कि उन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जा सकती है जिनके लिये प्रेस परिषद् की पहली बार स्थापना की गई थी ।

इस अध्यादेश को बहुत पहले जारी कर दिया जाना चाहिये था । चूंकि हम इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा करना चाहते थे इसलिये हमने तब तक इसे रोके रखा जब तक यह स्पष्ट नहीं हो गया कि क्या कार्यवाही करनी है । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि यह कार्यवाही केवल तभी की गई जब प्रेस उद्योग तथा इस मामले में रुचि रखने वाले लोगों से विस्तारपूर्वक परामर्श कर लिया । इसमें कोई जल्दबाजी नहीं की गई और जो लोग प्रेस परिषद् में कार्य कर रहे थे उनके विरुद्ध हमारी कोई दुर्भावना नहीं है ।

श्री सरोज मुखर्जी (कटवा) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । मंत्री महोदय ने सारे दोष प्रेस परिषद् पर लगाये हैं कि इसने उन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जिनके लिये इसका गठन किया गया था । किन्तु सरकार ने अपनी असफलताओं को छिपाने के उद्देश्य से यह सब किया है । प्रेस आयोग ने प्रेस परिषद् की स्थापना की सिफारिश की थी । बड़े परिश्रम से तैयार की गई अपनी रिपोर्ट में उसने और भी कई महत्वपूर्ण सिफारिशों की थीं । परन्तु सरकार ने अधिकतर को कार्यान्वित नहीं किया और अब सारा दोष प्रेस परिषद् पर मढ़ा जा रहा है । वास्तविकता यह है कि सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता पर कुठाराघात करना चाहती है ताकि स्वयं अपनी गतिविधियों को ढक सके ।

एक महत्वपूर्ण सिफारिश ढांचे में परिवर्तन करने सम्बन्धी थी। हमारे देश में समाचार पत्रों पर एकाधिकारियों का नियंत्रण है। मंत्री जी ने कहा है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और वह इसे एकाधिकारियों के नियंत्रण से छुकटकारा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु गत चन्द महीनों से ये एकाधिकारी, जैसे इंडियन एक्सप्रेस तथा हिन्दुस्तान टाइम्स अपना विस्तार कर रहे हैं। इस प्रकार क उपायों से सरकार इस देश में एकाधिकारियों की शक्ति को कम नहीं कर पायेगी।

प्रेस परिषद् इस ढंग से बनाई गई कि प्रेस स्वतन्त्रता की प्रगति में सहायक न हो सके और यह श्रमजीवी पत्रकारों के हितों में सहायक नहीं सिद्ध हो सकी तथा यही कारण है कि सभी दलों ने कहा कि प्रेस परिषद् का पुर्नगठन किया जाये। लोकतंत्रिक ढंग पर गठित प्रेस परिषद् अधिक बेहतर होती। किन्तु सरकार बजाये ऐसा करने के देश में समूचे प्रेस पर नियंत्रण करने जा रही है।

इस बात को हम भी चाहते हैं कि प्रेस से एकाधिकारियों के निहित स्वार्थ, तथा सरकार का नियंत्रण हट जाये। इसी कारण से यह सुझाव दिया गया कि नई एजेन्सियों को चलाने के लिये एक लोक निगम की स्थापना की जानी चाहिये। किन्तु बड़े-बड़े पूंजीपति इस तरह के निकाय की स्थापना के लिये तैयार नहीं है। अतः ऐसा नहीं किया जा रहा है और हमें पता नहीं कि मंत्रालय यह काम कब करेगा।

प्रेस परिषद् ने जो भी महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिये और प्रेस परिषद् अधिनियम का निरसन नहीं किया जाना चाहिये। केवल इसका संशोधन किया जाना चाहिये।

इस विधेयक को पास करके प्रेस स्वतन्त्रता मजबूत नहीं होगी और न ही लोकतंत्र मजबूत हेगा। यह तो तानाशाही की दिशा में एक कदम है और प्रेस स्वतन्त्रता का गला घोंटा जा रहा है। सरकार को ऐसा निर्णय लेने से पहले कइ बार सोचना चाहिये। प्रेस परिषद् (निरसन) विधेयक, संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक तथा आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन निरोधक विधेयक--इन तीनों विधेयकों से प्रेस की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाएगी। अतः मैं इसका विरोध करता हूं और मेरा अनुरोध है कि सभा को यह विधेयक पारित नहीं करना चाहिये।

श्री अनन्त राव पाटिल (खेड) : मैं श्री सफैरा द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव का विरोध तथा इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं सात वर्षों तक प्रेस परिषद् का सदस्य रहा हूं और उसने क्या किया है तथा इसकी अच्छाइयों और बुराइयों से अवगत हूं।

प्रेस परिषद् का गठन 1952 में स्थापित प्रेस आयोग की सिफारिश पर 1966 में किया गया था। प्रेस परिषद् का मुख्य उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्रता को बनाये रखना तथा समाचारपत्रों और समाचार एजेन्सियों के स्तर में सुधार करना था। इन तथ्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी थे जिन्हें प्रेस परिषद् द्वारा प्रतिपादित किया जाना था। समाचारपत्रों तथा समाचार एंजेंसियों और पत्रकारों के लिये आचार संहिता तैयार करना, लोक रुचि के उच्च स्तर को बनाये रखना तथा जनता में जिम्मेदारी की भावना का विश्वास करना और जनसेवा करना ये इसके अन्य कर्तव्य थे। चूंकि परिषद् इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पायी, अतः सरकार ने प्रेस परिषद् अधिनियम के निरसन का निर्णय लिया।

प्रेस परिषद् में परस्पर विरोधी हितों का समावेश था । प्रेस परिषद् के पास किसी समाचार पत्र के विरुद्ध कोई भी नागरिक शिकायतें भेज सकता था । तब, प्रेस परिषद् मालिक अथवा सम्पादक की सुनवाई करती थी । इसके पास कोई शक्तियां नहीं थीं । अतः प्रेस परिषद् केवल उस समाचार पत्र की निन्दा ही करती थी ।

प्रेस आयोग ने कहा था कि स्वामित्व का संकेन्त्रण बढ़ रहा है और एकाधिकारवादी तथा प्रतिबन्धात्मक प्रक्रियायें जन्म ले रही हैं । लेकिन प्रेस परिषद् इन सब महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं दे पायी । पत्रकारिता के उच्चतम स्तर को बनाये रखने के अतिरिक्त प्रेस परिषद् से यह भी आशा थी कि वह पत्रकारों की नियुक्ति के मामले में सहायक सिद्ध होगी और उन्हें इस दिशा में प्रशिक्षण भी देगी, किन्तु प्रेस परिषद् ने इस दिशा में कुछ नहीं किया ।

एकाधिकारियों के नियंत्रण से समाचारपत्रों को दूर रखने और उनके स्वामित्व के विस्तारण के बारे में सरकार ने प्रेस परिषद् से उसकी राय जाननी चाही । किन्तु उसने अपनी राय नहीं दी क्योंकि प्रेस परिषद् के सदस्यों की प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न होने के कारण उनमें मतैक्य नहीं हो पाया ।

प्रेस आयोग ने समाचार एजेंसियों के बारे में सुझाव दिया था कि एक निगम का निर्माण किया जाये क्योंकि वह अधिक व्यवहार्य और प्रभावकारी हो सकता है । यह प्रसन्नता की बात है कि चार टेलिप्रिंटर समाचार एजेन्सियां,—पी० टी० आई०., यू० एन० आई०, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती—एक होकर एक समाचार निगम बनाने के लिये सहमत हो गई हैं ।

समाचार पत्रों को उद्योगपतियों से असम्बद्ध करना आवश्यक है । सरकार यह बात पिछले चार वर्षों से कहती आयी है । हम इसकी मांग इस कारण कर रहे थे कि सम्पादक राष्ट्रहित में लिखने के लिये स्वतन्त्र नहीं था । जब तक सम्पादक बड़े उद्योगपतियों के दबाव से स्वतंत्र नहीं होता, समाचारपत्रों को वास्तविक स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती । प्रेस परिषद् ने पत्रकारिता के भविष्य का कोई भी ध्यान नहीं रखा । भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में समाचार पत्र जन सम्पर्क का एक प्रभावशाली माध्यम है । पिछले 20 वर्षों के दौरान समाचार पत्रों के मामले में एकाधिकार की ही प्रवृत्तियां पैदा हुईं ।

सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि देश में एकाधिकार गृह बने न रहें । जिला स्तर के, छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । क्या सरकार इस बारे में कुछ कार्यवाही कर रही है कि सरकारी प्रतिष्ठानों के विज्ञापन भी दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से दिये जायें तथा विज्ञापनों का वितरण समता के आधार पर हो ।

एक ओर तो सरकार समाचार पत्रों के विकेन्द्रीकरण का यत्न करती है दूसरी ओर बड़े-बड़े समाचारपत्र गृह मिलते जा रहे हैं । बड़े समाचार पत्र 300–400 मील तक पत्रों को

[अनन्त राव पाटिल]

अपने वाहनों में ले जाते हैं और इस प्रकार लोग स्थानीय छोटे समाचारपत्रों को नहीं लेते । ऐसी स्थिति आजकल बनी हुई है ।

मूल्य पृष्ठ अनुसूची के बारे में सरकार हर बार कह देती है कि उच्चतम न्यायालय ने अनुसूची रद्द कर दी है । इसलिये सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती । दिवाकर समिति ने सुझाव दिया था कि अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अधीन समाचार पत्रों का मूल्य निर्धारित किया जाये । सरकार छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों की कई प्रकार से सहायता कर सकती है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा समाचारपत्रों की श्रृंखला समाप्त करनी चाहिये । मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय ऐसी कार्यवाही करेंगे कि आगामी दो या तीन वर्षों में समाचार पत्रों उद्योग में पूरी तरह परिवर्तन आ जाये तथा प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रेस का निर्माण हो ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास बहुत से सदस्यों की सूची है । सभी को समय देना है । अतः निवेदन है कि सदस्य संक्षेप में संगत बात ही कहें ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । प्रेस परिषद के उत्सादन के लिए मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं । 'नेशनल हेरल्ड' के सुप्रसिद्ध सम्पादक श्री चलापति राव ने भी अपने सम्पादकीय में यही विचार व्यक्त किये हैं । वास्तव में प्रेस परिषद् समाप्त किये जाने पर पत्रकारों में संतोष व्यक्त किया गया है । यह कार्यवाही बहुत पहले की जानी चाहिए थी ।

मैं ेस की स्वतन्त्रता का समर्थक हूं । प्रेस परिषद के एक सुप्रसिद्ध सदस्य श्री बी० के० जोशी ने अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर कहा है कि प्रेस परिषद में महत्त्वहीन बातों पर समय लगाया जाता है जबकि पत्रकारिता के महत्त्वपूर्ण मानदण्डों की स्थापना को कोई अवसर नहीं मिला ।

31 दिसम्बर को प्रेस परिषद समाप्त कर दी गई है । साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि प्रेस परिषद् की समाप्ति से किसी को किसान न हो । सरकार द्वारा प्रेस परिषद की समाप्ति के बाद उन पत्रकारों को क्या संरक्षण प्रदान किया गया है जिनका अपने मालिकों की विचार-धारा से मतभेद है । परिषद की समाप्ति के बाद उनका क्या हाल ोगा ?

मंत्री महोदय ने, पी०टी०आई०, यू०एन०आई०, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार, समाचार एजेन्सियों के एक बनाये जाने की बात कही है । दूसरी ओर श्री गोयनका तथा श्री के० के० बिड़ला के ग्रुप मिल गये हैं । सरकार समाचार पत्रों की इन शृंखलाओं को तोड़ने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है । श्रीमती नन्दनी सत्पथी जब मंत्री थी तब उन्होंने प्रेस के स्वामित्व की श्रृंखला समाप्त करने का आश्वासन दिया था परन्तु उनके उड़ीसा का मुख्य मंत्री बनने पर मामला वहीं का वहीं पर रह गया है । उनके बाद श्री आई० के० गुजराल आये और उन्होंने भी इस सभा में आश्वासन दिया था । अब श्री वी० सी० शुक्ल मंत्री हैं जिनमें उत्साह तथा निष्ठा है । मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस सत्र में अथवा आगामी सत्र में प्रेस के स्वामित्व की श्रृंखला समाप्त करने वाला विधेयक लायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु क्या यह विधेयक का एक भाग है **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बनर्जी : यह संकल्प की सिफारिशों में से एक है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस विधेयक को इसी सत्र में लायें। सर्व प्रथम मैं यह चाहता हूं कि श्रमजीवी पत्रकारों के भारतीय संघ के साथ परामर्श से आचरण संहिता तैयार की जाये। उक्त संघ ने गान्धीनगर के अपने 1971 के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था कि यदि प्रेस परिषद में संशोधन नहीं किया जा सकता तो इसे भंग किये जाने पर भी उन्हें दुःख नहीं होगा। मैं पी० टी० आई० कर्मचारी संघ का प्रधान हूं। मंत्री महोदय को समेकित समाचार एजेन्सी की स्थापना के प्रस्ताव का हमने पूरा सहयोग दिया है। यदि मंत्री महोदय समाचार पत्रों के विकेन्द्रीकरण करने का विधेयक लायेंगे तो हम उसे भी अपना समर्थन देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रेस परिषद् अधिनियम पढ़ा नहीं है। मुझे सन्देह है कि प्रेस परिषद् का उद्देश्य प्रेस के स्वामित्व का केन्द्रीकरण समाप्त करना है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाडा) : यह संशोधन विधेयक एक उपयोगी संस्था के शक्ति की पिपासु सरकार का शिकार बनने का एक अच्छा उदाहरण है। मंत्री महोदय चाहे प्रेस परिषद् को समाप्त कर देते परन्तु उसे बदनाम नहीं करना चाहिए था। समाचार पत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रेस परिषद का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहा है यहां तक कि 1971 और 1973 में इसकी अवधि दो बार बढ़ाई गई थी। मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रेस परिषद् समाचार पत्रों की आचार संहिता बनाने में विफल रही है। आचार संहिता का निर्माण पीढ़ियों की लम्बी अवधि में सम्भव है। प्रेस परिषद् ने स्वयं अपने 1973 के अंतिम प्रतिवेदन में कहा है कि परिषद् का विचार है कि एक व्यापक आचार संहिता तैयार करना न तो आवश्यक है और न ही सम्भव है, परन्तु समय आने पर कुछ ठोस मामलों के सम्बन्ध में दिये गये नियमों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर कुछ नियम बनाये जा सकते हैं। प्रेस परिषद द्वारा इस कथन के बावजूद भी कि आचार संहिता तैयार करना सम्भव नहीं है, समय आने पर कुछ नियम बनाये जा सकते हैं। सरकार ने पहले ही परिषद को समाप्त क्यों नहीं कर दिया, इसकी अवधि क्यों बढ़ाई ?

प्रेस परिषद् ने समाचार पत्रों के विरुद्ध 82 शिकायतों तथा समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता के 7 मामलों को जून 1969 तक निपटाया था। 1973 में परिषद् को 118 मामले निपटाने पड़े।

प्रेस परिषद् की समाप्ति सरकार की सत्ता की भूख है। सरकार जब प्रेस की स्वतन्त्रता को समाप्त करना चाहती है तो उसे प्रेस परिषद् को समाप्त करना पड़ा है, क्योंकि परिषद् का उद्देश्य प्रेस की स्वतन्त्रता को कायम रखना है।

सरकार ने प्रेस परिषद् की अवधि क्यों नहीं बढ़ाई ? यह कार्यवाही प्रेस परिषद् को बदनाम करने के लिए की गई। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, क्योंकि प्रेस परिषद् को समाप्त करने से समाचार पत्रों में गंदे लेख लिखने अथवा सार्वजनिक जीवन पर कीचड़ उछालने की समस्या हल नहीं की जा सकती। इस विधेयक को विचारार्थ रखते समय मंत्री

[श्री पी० जी० मावलंकर]

महोदय का रवैया अत्यन्त सख्त रहा है। क्या हम प्रेस परिषद् के कार्यकरण के बारे में इतने सुनिश्चित मत व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि यह केवल एक दशक से कार्य कर रही है। यह दस वर्ष की अवधि परिषद् के बारे में निर्णय देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या मंत्री महोदय साफ तौर से कह सकते हैं कि अपने दस वर्ष के जीवन में परिषद् ने उन उद्देश्यों के लिए कार्य नहीं किया जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी ? उनके वक्तव्य में यह बात नहीं कही गई है :

". . . . . कि प्रेस परिषद् उन कार्यवाहियों को प्रभावी ंग से नहीं कर पाई जिनके लिए उसकी स्थापना की गई थी ।"

इसमें भूल सरकार की थी, समाचार पत्रों की थी अथवा जनता की थी ?

वास्तव में पिछले कुछ समय से ो बार प्रेस परिषद् संशोधन विधेयक लाया जा रहा था । परन्तु कठिनाई यह पैदा हो गई कि नामांकन करने वाली प्रबन्ध समिति पर मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष महोदय तथा उप-राष्ट्रपति कार्य करने को तैयार नहीं ए। समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता समाप्त किये जाने का परिषद् समर्थन नहीं कर पाई। क्या इसीलिये उसे समाप्त किया गया है ? क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि किस प्रकार परिषद् प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाई ? क्या सरकार ही इस बारे में एकाकी निर्णय ले सकती है।

हम सभी स्वीकार करेंगे कि इस देश में, किसी भी देश में विशेषत: लोकतांत्रिक देश में केवल वाणिज्यिक संस्था नहीं है। क्या सरकार प्रशासन के बाहर कोई ऐसी एजेन्सी स्थापित नहीं कर सकती जो समाचार पत्रों का मार्गदर्शन कर सके, उन्हें चेतावनी और प्रोत्साहन दे सके।

निश्चय ही हम समाचार पत्रों की आचार संहिता चाहते हैं इस बारे में पत्रकारों को स्वयं ही निर्णय करना है।

अत: प्रेस परिषद् को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए था। इसका पुनर्गठन, नवनिर्माण किया जाना चाहिए था।

हमने ब्रिटेन की प्रेस परिषद् को अपनी परिषद् का आदर्श चुना था। मैं इस बात से सहमत नहीं कि भारत की प्रेस परिषद् ने ब्रिटेन की प्रेस परिषद् के समान कार्य नहीं किया। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रेस परिषद् बेकार है । ब्रिटेन के उदाहरण को देख कर अपने देश में प्रेस परिषद् का सुधार करना चाहिए था। मंत्री महोदय शीघ्र ही ऐसा विधेयक लायें कि देश में स्वतन्त्र प्रेस का निर्माण हो सके। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक निजी स्पष्टीकरण का मामला है। जब मैं भाषण दे रहा था तो आपने कहा था कि यह प्रेस परिषद् की सिफारिश नहीं थी। प्रेस परिषद् ने भी समाचार पत्रों के विकेन्द्रीकरण करने पर विचार करना था।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का आभारी हूं । प्रेस की स्वतंत्रता के मामले पर मैं उसी सीमा तक विचार करने को तैयार हूं जहां तक कि उसका इस विधेयक से सम्बन्ध है । कई माननीय सदस्यों ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तथा 'इण्डियन एक्सप्रेस'

के मिलाये जाने की बात कही है। प्रथमतः तो यह सही नहीं है, और यदि ऐसी कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो उसकी हमें जानकारी नहीं है।

जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने इन कम्पनियों से सम्पर्क स्थापित किया। मुझे बताया गया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। इस अफवाह को सदा के लिये समाप्त किया जाना चाहिए। यदि दोनों कम्पनियां कुछ सहयोग कर रही हैं तो सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सरोज मुखर्जी द्वारा तानाशाही के रुख का उल्लेख किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दूं कि तानाशाही का आभास आपात स्थिति से पूर्व तो हुआ करता था। उस समय स्थिति यह थी कि हमारे अंग्रेजी के समाचार पत्र योजनाबद्ध ढंग से प्रजातंत्र का गला घोंटने में लगे हुए थे। अन्य भाषाओं के समाचार पत्र भी ऐसी ही गतिविधियों में लगे हुए थे, परन्तु उस समय प्रैस परिषद् ने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में कुछ नहीं कहा था। श्री सरोज मुखर्जी स्वयं एक पत्रकार हैं, क्या उन्होंने एक पत्रकार के नाते समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में कभी कुछ किया है ?

हमारे श्रमजीवी पत्रकारों को भी प्रैस से काफ़ी शिकायत रही है। यह कहना ठीक ही है कि जब तक प्रैस परिषद् के कार्यकरण में आमूल परिवर्तन नहीं किये जायेंगे, तब तक कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। हमने इस प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार किया है। प्रैस परिषद के कार्य की समीक्षा की है और इससे सम्बन्ध रखने वाले अनेक लोगों के साथ विचार-विमर्श भी किया है। यह सब कुछ करने के उपरान्त हम इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि परिषद जिस कार्य के लिए बनाई गई थी, वह उस कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर पाई है। मैं श्री मावलंकर की इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस प्रकार की किसी भी संस्था के कार्यकरण का अनुमान लगाने के लिए 10 वर्ष का समय कम है। मैं समझता हूं कि 10 वर्ष का समय काफ़ी है। क्या कोई यह बता सकता है कि प्रैस परिषद् ने कोई ऐसा ठोस कार्य किया जिसके लिए इसका गठन किया गया था। प्रैस परिषद के कार्यकरण का सम्पूर्ण लेखा जोखा करने के बाद ही हमने इसे समाप्त करने का निर्णय किया है। यही कारण है कि हमें परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य तरीकों पर विचार करना पड़ा।

इन मुख्य बातों के अतिरिक्त अन्य सभी तर्क तो किसी न किसी रूप में दोहराये ही गये हैं। अतः उनकी ओर विशेष ध्यान न देते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारी पत्रकारिता के स्तर में गत 5 वर्षों में जो गिरावट आ गई थी, चरित्र हनन की प्रवृत्ति जो बिना अंकुश के दिन प्रति दिन बलवती होती जा रही थी, उसे रोकने के लिए तथा उस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इसे पारित कर दे।

श्री ईराज्मु द सेकैरा (मारमागोआ) : प्रैस परिषद् सम्बन्धी आचार संहिता के बारे में विचार करने के लिए मंत्री महोदय ने जो बैठक बुलाई थी उसमें मुझे भी बुलाया गया था। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सरकार प्रैस परिषद को पुनः स्थापित करने के बारे

में विचार कर सकती है । परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि यदि किसी संस्था की लगातार आलोचना की जाये तो क्या उसका तात्पर्य यह होता है कि हम अन्ततः उसका निरसन कर दें । हम आये दिन सरकार की अलोचना करते रहते हैं तो क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार का निरसन कर दिया जाये । मैं समझता हू कि ऐसा हम सरकार के कार्य में सुधार करने के उद्देश्य से ही करते हैं । अतः हमें प्रैस परिषद का निरसन करने की अपेक्षा उसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए कुछ करना चाहिए था। मंत्री महोदय एक ओर तो प्रैस परिषद समाप्त कर रहे हैं तो दूसरी ओर उसे पुनः स्थापित करने की बात भी करते हैं, यह कैसी विचित्र स्थिति है ?

प्रैस परिषद के निसरन के सम्बन्ध में मंत्री महोदय द्वारा दिये गये तर्कों में से एक यह भी है कि जब प्रैस परिषद सम्बन्धी विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उस पर काफ़ी आलोचना हुई । परन्तु आलोचना करना तथा त्रुटियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना तो सदन का कर्तव्य ही है । अतः इस तर्क को न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता ।

प्रैस परिषद समाचार पत्रों के लिए आचार संहिता बनाने में असफ़ल रही । आपात स्थिति के बाद तो स्थिति यह हो गई कि समाचार पत्रों की किसी प्रकार की रिपोर्ट देने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई । किसी प्रकार का विरोध प्रकट करने की समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई । सरकार का कहना है कि गत कुछ वर्षों से समाचारपत्रों द्वारा लोकतंत्र की जड़ों पर आघात किया जा रहा था । परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में स्थिति यही थी, तो सरकार ने प्रैस परिषद को इस सम्बन्ध में चेतावनी देकर उसे सतर्क क्यों नहीं किया ? परन्तु अब बिना किसी प्रकार का कारण बताए जाने का अवसर दिये बिना ही उसे समाप्त कर देना कहां तक न्यायसंगत है । मैं समझता हूं कि यदि यह विधेयक पारित होता है तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक प्रहार होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित प्रैस परिषद (निरसन) अध्यादेश 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 26) का निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रैस परिषद अधिनियम, 1965 का निरसन करने और उसके आनुषंगिक कुछ विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार विचार आरम्भ करेंगे । खण्डों के बारे में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 और खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 5 और खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 5 and clause 1 were added to the Bill

अधिनियमन सूत्र

Enacting Formula

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 1 (page 1) पर पंक्ति 1 (line 1) छब्बीसवें (Twenty-sixth) **के स्थान पर** सताइसवें (Twenty-seveeth) शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनाया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The title was added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय :: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The Press Council failed to achieve the obejcts for which it was formed and that is why the Government had to come out with this legislation. It is difficult to maintain the freedom of Press before taking out the big newspapers from the clutches of capitalists. A since re attempt should be made to relieve the labour and working journalists from the hands the capitalists and safeguard their interest.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संसदीय कार्यवाहियाँ (प्रकाशन संरक्षण) निवारण अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प और संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) निरसन विधेयक

Statutory resolution Re. Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Repeal ordinance, 1975 and Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) निरसन अध्यादेश 1975 के बारे में श्री सेकैरा का सांविधिक संकल्प तथा श्री विद्याचरण शुक्ल का संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) निरसन विधेयक पर विचार आरम्भ करेंगे :

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोआ) : श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर 1975 को जारी किये गये संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) निरसन अध्यादेश 1975 (1975 को अध्यादेश संख्या 25) का निरनुमोदन करती है ।"

हमारे लोकतंत्र के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन है क्योंकि आज सदन एक ऐसे विधान पर विचार कर रहा है जिसे राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से संविधि पुस्तक से हटाना उचित समझा गया है । इस अध्यादेश के सम्बन्ध में जो कारण बताये गये हैं उनमें यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि समाचार-पत्र निर्णय होकर बहुधा प्रथम पृष्ट पर तथा मोटे मोटे अक्षरों में ऐसे गलत तथा बेबुनियाद आरोप प्रकाशित करते रहे हैं जो समय समय पर संसद के विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध लगाए गये । इस कारण पर विचार करते ही यह बात हमारे सामने आती है कि यदि वास्तव में ही यही कारण था तो फिर इसका उत्तरदायित्व किस पर है ? क्या इसका उत्तरदायित्व इस सदन पर, इस सरकार पर या सदन के पीठासीन अधिकारी का नहीं हैं कि उन्होंने उपयुक्त समय पर इस ओर ध्यान नहीं दिया ? जब कोई बात गलत प्रकाशित हो रही थी तो उस समय सरकार ने उस ओर ध्यान क्यों नहीं किया ?

अब मैं सदन का ध्यान मूल विधेयक की ओर दिलाना चाहता हूं । संसदीय कार्यवाहियों के प्रकाशन सम्बन्धी मूल विधेयक सदन में सुप्रसिद्ध संसद सदस्य श्री फीरोज गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था । उस मूल अधिनियम में भी यह व्यवस्था है कि प्रकाशन के लिए स्वीकृत संरक्षण

भी उसी सीमा तक है जहां तक वह सदन में किये गये वाद-विवाद को वास्तविक रूप से प्रस्तुत करे। परन्तु यदि समाचार को संतुलन से अधिक तथा तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाये तो उस पर भी मानहानि के लिए अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। सदन की कार्यवाहियों के द्वारा लोगों के समक्ष विचार पेश करना प्रकाशन कानून के अन्तर्गत एक विशेषाधिकार मात्र ही है।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब मूल विधेयक में दिये गये इस प्रकार के संरक्षण की व्यवस्था विद्यमान है तो फिर इस अध्यादेश की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। वर्तमान विधेयक के कारणों सम्बन्धी जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें यह स्पष्ट किया गया है यद्यपि पूर्ण कार्यवाही प्रस्तुत की जायेगी परन्तु यदि कोई विद्वेषपूर्ण बात होगी तो उसका यथार्थ प्रस्तुतीकरण नहीं किया जायेगा क्या ऐसी परिस्थितियों में हम सरकार के इरादे पर सन्देह नहीं करेंगे ? मैं समझता हूं कि वर्तमान विधेयक से लोकतंत्र पर एक और गहरा प्रहार होगा। लोकतंत्र के प्राण समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता में होते हैं परन्तु इस दुर्भाग्यपूर्ण विधेयक से उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि यह विधेयक पारित कर दिया गया तो इससे सभा और जनता के बीच की संचार व्यवस्था ठप हो जायेगी। अतः सदन से मेरा निवेदन है कि यह विधेयक पारित किया जाये। मैं इस अध्यादेश का निरनुमोदन करता हूं तथा उसका विरोध करता हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1956 के निरसन सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय सदस्यों के मन में भ्रम हो गया है कि सम्भवतः सदन की कार्यवाहियों या सदस्यों के आचार पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है परन्तु मैं आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। यदि आप मूल अधिनियम को ही देखें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि उसके अनुसार संसद सदस्यों को कुछ अतिरिक्त अधिकार नहीं दिये गये थे। अब भी स्थिति वैसी ही है। कोई भी सदस्य सभा में कोई भी बात कह सकता है। और उस बात को कोई भी व्यक्ति प्रकाशित कर सकता है। वर्तमान विधेयक में केवल यही व्यवस्था की गई है कि जो कुछ भी कोई व्यक्ति प्रकाशित करे, उसका दायित्व भी उसी व्यक्ति का ही हो उस समाचार को छापने वाले व्यक्ति पर भी अन्य सभी नागरिकों की तरह ही देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसमें वह संसद सदस्य भी शामिल है जिन्होंने सदन में भाषण नहीं दिया होगा।

अब स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई थी कि इस सदन में यदि किसी सदस्य या अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसा आरोप लगा दिया जाता है जो निराधार तथा घृणित है, तो वह भी समाचारपत्रों में मोटे अक्षरों में प्रकाशित हो जाता था। सम्बद्ध व्यक्ति यदि उसको चुनौती देता था या सम्पादक को पत्र लिखता था तो सम्पादक कभी तो उसका खण्डन समाचारपत्र में

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

कर देता था अथवा कुछ नहीं करता था। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति विशेष की स्थिति बड़ी संवेदनशील हो जाती थी जिस पर इस प्रकार का आरोप लगाया जाता था।... (**व्यवधान**)

मैं जो कहा रहा हूं उसे ध्यान से सुना जाए। आज हम जिस अधिनियम का निरसन कर रहे हैं, उसके चलते स्थिति यह हो गई थी कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के विरुद्ध लोग निराधार और घृणित आरोप लगाते थे। पर मामला अदालत में नहीं ले जा सकते थे। क्योंकि अदालत में इन आरोपों के प्रकाशन का आशय कैसा है यह सिद्ध करना असंभव था। इस विधेयक के द्वारा हम वर्तमान अधिनियम में इसी आशय से संशोधन कर रहे हैं। इसके पास होने पर कोई भी नागरिक मानहानि होने पर सम्पादक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 500 के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा चला सकता है। इससे समाचार पत्रों के सम्पादकों, पत्रकारों और समाचार एजेंसियों पर संसद की कार्यवाही प्रकाशित करने के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिम्मेदारी डाली गई है, ताकि वे अधिक सावधान रहें और कोई भी सामग्री प्रकाशित करने से पहले उसकी जांच कर लें। अतः यह विधेयक इस सदन और इसके सदस्यों के सम्मान की रक्षा करता है और समाचारपत्रों को लोकतंत्र की छीछालदेर करने से रोकता है। इस विधेयक का यही सीमित सा उद्देश्य है। अतः विधेयक को पास किया जाये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्री सेकैरा के प्रस्ताव के उत्तर में मंत्री महोदय के कथन को मैंने ध्यान से सुना। मैं समझता हूं कि यह निरसनकारी विधेयक लोकतंत्र पर एक और कुठाराघात है इसके द्वारा सदस्यों को जो थोड़े बहुत अधिकार प्राप्त हैं उन्हें भी छीना जा रहा है। इससे उन लोगों की शिकायतें और बढ़ेगी जिनका कि हम प्रतिनिधित्व यहां करते हैं। अतः यहां प्रश्न केवल समाचार पत्रों के अधिकारों के छीने जाने का ही नहीं है वरन् यहां सदस्य के भी विशेषाधिकारों को छीनने और उन्हें जनता से विलग किये जाने के प्रयत्न का प्रश्न है। सदस्य का दल अपनी पत्रिका में भी उनका भाषण नहीं छाप सकता, जबकि मंत्री महोदय जो कुछ बोलेंगे उसका प्रचार आकाशवाणी और समाचारपत्रों में सबमें पूरा-पूरा किया जाएगा। यह कहना कि छापने का अधिकार अब भी है, मात्र धोखा है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथा मंत्री महोदय इसे वापिस ले लें। और श्री बनर्जी के इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने के संशोधन को स्वीकार करें।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपूजा) जहां तक मैं समझता हूं इस विधेयक से सदस्यों और सदन के विशेषाधिकार का हनन नहीं होता, वे संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत सुरक्षित हैं।

भाषणों के छापे जाने के अधिकार में कोई मूल बात नहीं है। यह सदन अन्ततः विचारों के आदान प्रदान का स्थान है। यहां हम अपने विचारों से दूसरे सदस्यों को प्रभावित करते हैं और उन्हें अपने विचार का बनाने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु इस उद्देश्य से हट कर अब इस सदन का उपयोग प्रचार के लिए किया जाने लगा है और इसी पर अधिक जोर दिया जाता है।

मूल अधिनियम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दो मामलों में दिये गये उस निर्णय के आधार पर बना कि एक सदस्य को बोलने का विशेषाधिकार है पर उसके प्रकाशन का नहीं । यदि कोई निन्दनीय सामग्री छपती है तो प्रकाशक के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जा सकती है । इसके पश्चात् यह अधिनियम पास किया गया है कि दोनों सदनों की सही-सही कार्यवाही छापने पर अदालती कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

वर्तमान विधेयक से सदस्यों के किसी विशेषाधिकार का हनन नहीं होगा परन्तु बाह्य एजेन्सियों को प्राप्त विशेषाधिकार समाप्त किए जा रहे हैं । उन्हें अपने कार्य के लिए सामान्य अदालती कार्रवाई का सामना करना होगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता---उत्तर-पूर्व) : यह विधेयक उस अधिनियम का निरसन करने के लिए लाया गया है जिसके अन्तर्गत सदन की कार्यवाही छापने की पत्रकारों को स्वतंत्रता थी । मूल विधेयक इस उद्देश्य से लाया गया था कि देश को संसद में क्या हो रहा है इसका पता तुरन्त चल सके और यह काम समाचार पत्र रेडियो तथा अन्य माध्यम ही कर सकते हैं ।

यहां ब्रिटेन में प्रकाशन की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया । वहां का "लंदन टाइम्स" उठा कर देखने से पता चलेगा कि संसद की कार्यवाही का पूरा विवरण उसमें जाता है । पर यहां कल श्री दीनेन भट्टाचार्य और श्री समर मुखर्जी के भाषण समाचार पत्रों में नहीं छपे जब कि वे "लन्दन टाइम्स" में छपे ।

अब यह विधेयक लाया गया है जिसके द्वारा संसद की कार्यवाही को छापने पर रोक लगाई जा रही है । सदन की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए यहां अध्यक्ष उपस्थित हैं और प्रक्रिया और नियम आदि हैं जिनके अनुसार सदस्य आचरण करते हैं और अनुशासन बरतते हैं ।

यहां समाचार पत्रों पर धनिक वर्ग का अधिकार है । परन्तु सरकार उन पर अकुंश लगाने के बजाय उनसे सौदा कर रही है और ईमानदार, शालीन और स्वतंत्र रूप से समाचार प्रकाशन पर सेंसर लगा रही है । यह एक उपहासास्पद स्थिति है ।

श्री फिरोज गांधी द्वारा लाया गया मूल विधेयक बहुत सोच विचार के बाद लाया गया था, मात्र भावना में बह कर नहीं । उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी । मुरादनगर के आयुध कारखाने के लिए भेजे गये कोयले के वैगनों को मोदीनगर भेज दिया गया था । कोयले की उस समय बहुत कमी थी । मोदीनगर के उद्योगों के नाम को समाचारपत्रों में छापने नहीं दिया गया था ।

कोयले की बहुत कमी थी और स्थिति बहुत शोचनीय थी लेकिन प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के कानूनी सलाहकारों ने उद्योग का नाम प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी । यह 1956 से पहले की बात है और यह अनुमति इस कारण नहीं दी गई कि यदि मोदीनगर उद्योग मानहानि का दावा कर देता तो प्रेस ट्रस्ट आफ इंड़िया के पास संसद में उस वक्त दिये गये

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

रेल मंत्री के वक्तव्य के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं था जोकि न्यायालयों को स्वीकार्य नहीं था ।

श्री फिरोज गांधी ने लोक सभा में भारत इंशोरेंस का मामला उठाया उसके परिणामस्वरूप जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ लेकिन श्री फिरोज गांधी द्वारा डालमिया के प्रति लगाए गए गंभीर आरोपों का रिपोर्टों में जब उल्लेख नहीं किया गया तो उन्होंने कहा संसद् में कही गई राष्ट्रीय कल्याण की अत्यंत महत्त्वपूर्ण बातें समाचार पत्रों में इसलिए प्रकाशित नहीं होती हैं क्योंकि संसद् सदस्यों को जो स्वतन्त्रता प्राप्त है वह हमारे देश की प्रेस को प्राप्त नहीं ।

इन अनुभवों के बाद भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने नई आजादी के पक्ष में प्रचार किया, सारी स्थिति को देश के समक्ष रखा और श्री फिरोज गांधी ने अपना विधेयक पेश किया। इसी के परिणामस्वरूप संसद् और प्रेस ने मिलकर बड़े व्यापार गृहों के कदाचारों की ओर ध्यान आकर्षित कराया । लोक लेखा समिति के कई प्रतिवेदन प्रकाशित हुए और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण, कुछ हद तक प्रेस द्वारा लोगों के बुरे कारनामों को संसद के ध्यान में लाने के कारण हुआ । अतः प्रेस को ऐसी बातों के प्रकाशन की अनुमति होनी चाहिए ।

सरकार का कहना है कि पिछले तीन चार वर्षों में शक्तियों का दुरुपयोग किया गया और वह अवधि बहुत बुरी रही । सेंसरशिप लगाकर आप उस अवधि की यादाश्त को लुप्त नहीं कर सकते । सरकार को चाहिए कि वह अपनी मर्जी से न चलकर लोगों की इच्छा के अनुरूप कार्य करे । सत्य तो यह है कि सरकार का मन साफ नहीं है । यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अपने आपको निरपराध साबित करने के लिए प्रेस को दोषी ठहरा रही है, संसद की कार्यवाही के लिए सारा दोष प्रेस पर डाल देना बेइमानी ही कहा जाएगा । यह कहना सही नहीं है कि गत पांच वर्षों में जो कुछ भी प्रेस रिपोर्ट करता रहा है वह गलत ही था और प्रेस का व्यवहार उचित नहीं था। यह ठीक है कि धनी सेठों के अखबारों ने राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति उपेक्षा का रवैया अपनाया है परन्तु सरकार को ऐसे सेठों की निन्दा करने का साहस नहीं हुआ । सरकार केवल श्रमजीवी पत्रकारों को ही दबा सकती है ।

सरकार एक ऐसा कानून बना रही है जो कि फिरोज गांधी के कानून के विरुद्ध जाता है प्रेस को और अन्य सभी लोगों को आदेश दे दिए गए हैं कि वे संसद की कार्यवाही को प्रकाशित न करें ।

मैं चाहता हूं सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करे और श्री फिरोज गांधी द्वारा पेश किए गए विधेयक के आधार पर बने अधिनियम को संविधान पुस्तक में बना रहने दिया जाए । अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और चाहता हूं सरकार इस विधेयक को वापिस ले ले ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : सबसे पहले तो मैं श्री हीरेन मुकर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों का पूर्णतया खण्डन करता हूं प्रतिपक्षी दल अनुचित व्यवहार करने लगे थे और ऐसी स्थिति

में अध्यक्षपीठ के लिए काम करना कठिन हो गया था। माननीय सदस्य ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जोकि बिल्कुल अनुचित हैं। उन्हें तो उस समय जबकि प्रतिपक्षी दलों ने अध्यक्षपीठ का घेराव कर लिया था उन लोगों को मना करना चाहिए था। यदि उस समय वह सही रास्ता अपनाते तो यह विधेक कभी न पेश किया जाता।

विधेयक में कोई ऐसा उपबंध नहीं है जो किसी समाचार पत्र को कोई समाचार, यहां तक कि संसद् की कार्यवाही प्रकाशित करने से रोके। केवल यह उपबंध किया जा रहा है कि धारा 105 (2) में प्रदत्त संरक्षण का प्रैस दुरुपयोग न करे। यह कहना कि इससे संसद् के प्रभावी कार्यकरण में बाधा उत्पन्न होगी तथा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा केवल आंशिक रूप से सही है पूर्णतया सही नहीं है।

प्रजातंत्र में देश की जनता को संसद् की कार्यवाहियों का पता होना चाहिए तभी संसद् ठीक ढंग से कार्य कर सकती है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो न होती अथवा कम से कम उनका प्रकाशन न होता तो लोगों के दिलों में संसद् की इज्जत जो आज है उससे कहीं ज्यादा होती। हमने देखा है कि विरोधी पक्ष के नेताओं द्वारा लगाए गए निरर्थक आरोपों को शीर्षकों में छापा गया। इससे जनता में एक ऐसी धारणा पैदा की गई मानो संसद् एक ऐसा स्थान हो जहां लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और चरित्र हनन के लिए आते हैं। प्रेस जनता के समक्ष अत्याधिक गैर जिम्मेदार ढंग से ऐसा वातावरण पैदा करना चाहता था। अतः मैं यह अनुभव करता हूं कि यह विधान आवश्यक और बहुत व्यावहारिक है।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए
Shri C. M. Stephen *in the chair*]

अध्यक्षपीठ द्वारा मना करने के बावजूद भी प्रतिपक्षी दलों के कुछ सदस्य मनमानी करते रहे हैं जिस पर उनका दिल चाहा उन्होंने आरोप लगा दिया। मैं भी उनके आरोपों का शिकार हुआ हूं। इस सदन के एक युवा सदस्य, जिसका संबंध समाजवादी दल से है ने कहा था कि मैंने, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तथा संसद् के मेरे एक सहयोगी ने इन्दौर की एक औषध फर्म को आयात लाइसेंस दिलाया है और इसके द्वारा करोड़ों रुपये की राशि कमाई है। अध्यक्षपीठ के बार-बार मना करने पर भी यह सदस्य न माने और बोलते ही गए दूसरे दिन समाचारपत्रों में आ गया कि करोड़ रुपये प्राप्त करने में श्री साल्वे शामिल। यदि प्रेस गलत बातें प्रकाशित करे तो क्या उसके लिए हमें भुगतना पड़ेगा। क्या हमारी अपनी कोई मान-इज्जत नहीं है।

समय आ गया है जबकि हमें प्रेस की स्वतंत्रता तथा अन्य प्रकार की स्वतंत्राओं पर समुचित ढंग से विचार करने की आवश्यकता है। आपात स्थिति से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो गई है। इस देश में उदार तथा अनुज्ञापक लोकतंत्र नहीं चलेगा। हमें ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें हमें बहुत ही यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैं मंत्री महोदय को यह विधेयक पेश करने पर बधाई देता हूं। इस विधायी उपाय के फलस्वरूप प्रेस जिम्मेदार ठहराया जाएगा। वे जो मर्जी प्रकाशित करना चाहे, किन्तु अन्ततोगत्वा जिम्मेदारी उन पर ही थोपी जाएगी।

अन्त में मैं एक बार फिर मंत्री महोदय को इस विधेयक के पेश करने पर बधाई देता हूं।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : आज देश की राजनीतिक स्थिति में बड़ा तनाव है और सरकार स्थिति का सही मूल्यांकन करने में असफल रही है । समाचार पत्र प्रतिपक्षी दलों की निन्दा कर रहे हैं। और विरोधी दलों को फासिस्ट, सी० आई० ए० के एजेंट तथा, देशद्रोही, प्रतिक्रियावादी की उपधियां दी जा रही हैं और सत्तारुढ़ दल के नेताओं को आजादी पददलित लोगों का हिमायती बताया जा रहा है । विरोधी दल ही लोकतंत्र को गति प्रदान करते हैं और जब कभी किसी खास उद्देश्य से प्रतिपक्षी दल का मुंह बन्द किया जाता है तो इसका यही अर्थ होता है कि देश एक दलीय शासन प्रणाली की ओर अग्रसर हो रहा है अर्थात् देश में तानाशाही का राज्य होने वाला है । लोकतांत्रिक कार्यकरण के लिए जनमत बहुत महत्वपूर्ण है और देश में जनमत तैयार करने के लिए प्रेस बहुत आवश्यक उपकरण है । हमारा देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा पर हमारी इन स्वतंत्राओं में कमी नहीं की गई। हमें संविधान ने कुछ मूल स्वतंत्रता प्रदान की हैं। प्रेस तथा विपक्ष प्रत्येक लोकतंत्र के आवयश्क अंग हैं। आपात स्थिति की घोषणा से दोनों को ही शिकार बनाया गया है। यह बात मैं स्वीकार करता हूं कि चरित्र हनन या अपमान जनक भाषा का प्रयोग रोका जाना चाहिए। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि किसी भ्रष्ट मंत्री की पोल न खोली जाए यह सुनिश्चित करना प्रधान मंत्री की जिम्मेदारी है कि मंत्रीमंडल में जिन लोगों को लिया जाए वे भ्रष्ट न हों । क्या वाक स्वतंत्रता केवल मंत्रियों के लिए ही है । केवल मंत्रियों के भाषण ही प्रकाशित किए जाते हैं सदस्यो के नहीं चाहे उनका संबंध सतारूढ़ दल से ही क्यों न हो। इस प्रभुता संपन्न निकाय के प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार मिलने चाहिएं। हम भी मंत्रियों की तरह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्रियों तथा गैर मंत्रियो में इस प्रकार का भेदभाव करना लोकतांत्रिक पद्धति की आधारशिला पर आघात करना है ।

इन शब्दों से मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : श्री वीरेन्द्र अग्रवाल और श्री हीरेन मुकर्जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है लेकिन जिन विषयों पर वह बोले हैं वह बिल्कुल असंगत है। चर्चा का विषय कुछ और है या तो उन लोगों ने विधेयक पढ़ा नहीं और यदि पढ़ा है तो उसके आशय को नहीं समझा है । संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम ने एक विषम स्थिति पैदा कर दी है । यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के मना करने पर कोई निराधार टिप्पणी करता है तो अनुच्छेद 105 उसे इसके लिए सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि उस सदस्य पर न्यायालय में इस आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन यदि उसी निराधार टिप्पणी का प्रकाशन समाचार पत्रों में कर दिया जाए जिसे करोड़ो लोग पढ़ते हैं तो यह निरापदता समाचार पत्रों के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक सभी को प्राप्त हो जाता है अतः समाचारपत्रों को सामान्य नागरिक से अधिक निरापदता नहीं होनी चाहिए। अतः इस अधिनियम का निरसन किया जाना चाहिए ।

चर्चा के दौरान बार बार श्री फिरोज गांधी का नाम लिया गया है। हमें किसी विधेयक के निर्माता से प्रभावित नहीं होना चाहिए हमने वेद शास्त्रों तक को चुनौती दी है। लोग विधेयक को उसके गुणों के आधार पर नहीं देख रहे अपितु व्यक्तित्व पूजा कर रहे हैं।

इस विधेयक का सीमित उद्देश्य प्रेस के विशेषाधिकार को वापस लेना है । इसका प्रयोजन इस सभा के किसी भी सदस्य की वाक स्वतंत्रता को समाप्त करना नहीं है । यदि सदस्य यह चाहते हैं कि समाचार पत्र हर प्रकार की ऊटपटांग बातें छापते रहे और इसके लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाए तो इसका अर्थ यह है कि उनमें स्वतंत्रता की गुंजाइश तथा स्वतंत्रता की सीमा के बारे में गलतफहमी है ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : प्रत्यक्षत: विधेयक से किसी व्यक्ति को हानि नहीं होगी और मंत्री महोदय ने इसके हानिकारक न होने के कारण सभा में कई ढंग से बताये हैं । परन्तु गहराई से विचार करने पर पता चलेगा कि यह विधान एक पश्चगामी कदम है क्योंकि विद्यमान त्रुटियों को दूर करने के बजाय इसमें इस तरह की कार्यवाही का सुझाव दिया गया है जिससे देश को किसी बात का पता न चले । ऐसा केवल इसलिये किया गया है कि देश में जो गलत तथा बुरे काम हो रहे हैं उनके बारे में देशवासियों को पता नहीं चलना चाहिए ।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि 1956 के अधिनियम का आशय उन व्यक्तियों को न्यायालय की कार्यवाही से बचाना था जो संसद् के किसी भी सदन की कार्यवाही को पर्याप्त रूप में सच्चाई से छापते थे "बशर्तेकि प्रकाशन निन्दा करने की भावना से न किया गया हो और वह लोकहित में हो ।" 1956 के अधिनियम में इस प्रकार की सुरक्षा का उपबन्ध किया गया था । यदि कोई इसका दुरुपयोग करे तो हमें उसे रोकना है । किन्तु इसका उपचार यह नहीं कि 1956 के अधिनियम को समाप्त ही कर दिया जाये ।

क्या हम यहां आपस में बातचीत करके अपने आपको सन्तुष्ट करने आते हैं या क्या हम यहां इसलिये बोलते हैं कि देश की जनता हमारे विचारों को तत्काल रेडियो, दूरदर्शन और समाचारपत्रों के माध्यम से सुन सके अथवा जान सके ? दुर्भाग्य से रेडियो तथा दूरदर्शन पर सरकार का पूरा नियंत्रण है । एक स्वतन्त्र संसद् के लिए स्वतंत्र प्रेस परमावश्यक है । इसी तरह प्रेस की स्वतंत्रता के बिना स्वतंत्र संसद् भी स्वतन्त्र नहीं रह जाती । यदि आप चाहते हैं कि स्वतंत्र संसद् की स्वतंत्रता बनी रहे तो आपको इस सिद्धान्त को स्वीकार करना पड़ेगा कि संसद् में होने वाली कार्यवाही को और वहां पर कही गई बातों को निसंकोचपूर्वक प्रकाशित करने और कहने के लिए प्रेस को स्वतंत्रता होनी चाहिए । संसद् सदस्य अपने विशेषाधिकारों का उपयोग उत्तरदायी ढंग से करें । इसी प्रकार प्रेस के सदस्य भी उन्हें 1956 के अधिनियम द्वारा दिये गये अधिकारों को स्वतंत्र रूप से तथा उत्तरदायी ढंग से करें ।

यदि हमारे भाषण केवल सम्पादक द्वारा प्रकाशित किये जा सकते हैं तो उन्हें अत्यधिक समय लगेगा और उन्हें रात को बहुत देर तक बैठकर यह देखना होगा कि सदस्य के भाषण का कौन-सा भाग सही है तथा कौन-सा भाग गलत है और कौन सा अंश छापा जाये तथा कौन सा नहीं । उसे उनको पढ़ने के लिए इतना समय नहीं मिल पायेगा । इसका परिणाम यह होगा कि प्रेस को छापने के लिए कुछ भी नहीं जायेगा । भविष्य के इतिहासकारों के लिए रिकार्ड में सभी कुछ होगा परन्तु वर्तमान पीढ़ी के लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि संसद् में क्या हो रहा है ।

अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

Shri M.C. Daga (Pali) : Certain restrictions will be imposed on Press by this Bill to publish the proceedings in Parliament. Action should be taken against the newspapers which do not play their role responsibly. It is not possible to mislead the people. In case the newspapers will not have the right to publish the proceedings in parliament, the people can know all these things by going through the proceedings in Parliament.

Today the intellectual does not want to run the risk. He wants to avoid this. He will not publish it. If any newspaper publishes anything without malice and it is not motivated, it should be exempted. This matter should be looked into carefully.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वे यहां जो कुछ भी कहते हैं वह सेंसर कर दिया जाता है। परन्तु सभी जानते हैं कि यह सेंसरशिप थोड़े समय के लिये है और आन्तरिक आपातस्थिति के समाप्त होते ही यह समाप्त हो जायेगी और तब संसद् की कार्यवाही पहले की तरह प्रकाशित की जायेगी। अतः आज सदन की कार्यवाही प्रकाशित किये जाने पर जो प्रतिबन्ध है उसका इस विधेयक या अधिनियम से कोई सम्बन्ध नहीं है जिसके द्वारा इसका निरसन किया गया है। यह विधेयक हमारे लोकतंत्र तथा प्रेस के लिए महत्वपूर्ण है।

यह अधिनियम जिसका हम निरसन कर रहे हैं आज से 20 वर्ष पहले पास किया गया था, तब से अब तक हमारे जनजीवन, पत्रकारिता के स्तर तथा अन्य क्षेत्रों में बहुत से परिवर्तन हुए हैं। 20 वर्ष पूर्व जो बात ठीक मानी जाती थी वह अब नहीं मानी जाती।

बिना किसी सार्वजनिक ध्येय अथवा जनहित के दुर्भावना और राजनीतिक हित की दृष्टि से सदस्यों और गैर-सदस्यों पर गैर-जिम्मेदाराना व्यक्तिगत आरोप लगाये जाते हैं। जिम्मेदार और गम्भीर लोगों द्वारा दिये गये रचनात्मक भाषणों को छापा नहीं तक जाता। इस अधिनियम का निरसन हम इसी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये कर रहे हैं। अधिनियम के निरसन से समाचार पत्रों पर सदस्य ने जो कहा है, उसे छापने पर रोक नहीं लगती। मात्र इतनी बात है कि सदस्य को सदन में जो संरक्षण प्राप्त है उसका समाचार पत्र वैसा दुरुपयोग न करें जैसाकि गत 20 वर्षों से होता आया है। इस अधिनियम के निरसन के बाद आज भी यदि कोई आरोप लगाया जाता है या किसी प्रकार के गोल माल का भंडाफोड़ किया जाता है और तथ्यों पर आधारित है तो उसका प्रकाशन इस निरसित विधेयक से अन्तर्गत नहीं आता। इसे तब भी छापा जा सकता है। इसे छापने में कोई हानि नहीं है।

यह सर्वथा न्यायोचित है कि सदस्यों को यहां कुछ भी कहने की पूरी स्वतंत्रता है पर वही स्वतंत्रता भ्रष्ट पत्रकारिता को देना न्यायोचित नहीं। इस निरसन से सोद्देश्य और दुर्भावना से की जाने वाली मानहानि पर रोक लगेगी। यह रोक देश के कानून द्वारा लगाई गई है। ऐसा नहीं कि समाचारपत्रों के लिए अलग से कानून बनाया गया है।

ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो पत्रकार नहीं हैं परन्तु साप्ताहिक पत्रिकाएं या पत्र निकालते हैं, केवल किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए। हमारे सार्वजनिक जीवन का यह दुर्भाग्य रहा

इसलिए हम इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं। समझ में नहीं आता कि इसका विरोध क्यों किया जाता है।

इस विधेयक से सरकार को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिला है। इसमें केवल उस व्यक्ति को अदालत में जाने का अवसर दिया गया है जिसकी प्रतिष्ठा को झूठे और गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाकर और छापकर ठेस पहुंचाई गई है। इस संशोधन विधेयक का यही सीमित उद्देश्य है।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वासन देता हूं कि इस अधिनियम के निरसन से न तो इस सभा के विशेषाधिकारों और न ही इस सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। समाचारपत्रों के पत्रकारों के विशेषाधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव केवल उन लोगो पर पड़ेगा जो अफवाहें फैलाना चाहते हैं, झूठे आरोप लगाकर उनका प्रचार चाहते हैं और भड़कीले समाचार फैलाना चाहते हैं।

इस निरसन से किसी संसद् सदस्य पर कोई रोक नहीं है। इससे हमारे जन-जीवन को कोई हानि नहीं होगी। इसके विपरीत इससे स्वस्थ पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त होगा और इससे सदन में बहस का स्तर भी सुधरेगा। इसके अतिरिक्त इससे उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो लोकतंत्र के भविष्य में विश्वास रखते हैं।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा (मारमागांव) : सरकार की तरह मेरी भी यह इच्छा है कि सदन का उपयोग कीचड़ उछालने के लिए न किया जाये। यदि सरकार अपने उद्देश्य के प्रति गम्भीर है तो मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है। मेरा विरोध केवल इस कारण है कि सरकार इस प्रकार समाचारपत्रों पर नियंत्रण लगाकर अपना उद्देश्य पूरा करना चाहती है। इस उद्देश्य को सदन में स्वयं पर नियंत्रण द्वारा पूरा किया जा सकता है।

जहां तक कीचड़ उछालने का सम्बन्ध है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आदर्श सार्वजनिक जीवन बिताया है ऐसी किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं क्योंकि लोग उस निन्दा पर विश्वास ही नहीं करेंगे।]

ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि सरकार जनता का सामना नहीं करना चाहती। यदि सरकार चुनावों का सामना करती है तो पुनः इनकी सरकार नहीं बन पायेगी।

मंत्री महोदय पूछ रहे थे कि समाचारपत्रों को संसद् की कार्यवाही छापने के सम्बन्ध में ऐसे विशेषाधिकार क्यों दिये जायें जो आम जनता को प्राप्त नहीं हैं। इस सदन का महत्व तभी है जब जो कुछ यहां कहा जाता है वह जनता को मालूम हो। इसी कारण हमारे से पूर्व के लोगों ने प्रेस को यह सुविधा प्रदान की थी।

समाचारपत्रों पर नियंत्रण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार जनता का सामना करना नहीं चाहती है। लेकिन एक ओर तो हमें यह बताया गया है कि लोक सभा की कार्यवाही के प्रकाशन के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किन्तु मुख्य सैंसर अधिकारी के एक आदेश

के द्वारा लोक सभा की कार्यवाही छापने से पहले उसे जांच के लिए भेजनी होगी। इस आदेश से पता चलता है कि जनता को सदन से किस सीमा तक अलग किया जा रहा है।

यह सच है कि कभी-कभी सनसनीखेज वक्तव्य छापे जाते थे और रचनात्मक भाषण नहीं छापे जाते थे। विपक्षी दलों के सदस्यो द्वारा दिये गये रचनात्मक भाषणों को नहीं छापा जाता था लेकिन मन्त्रियों के छोटे-छोटे वक्तव्यों को छापा जाता था।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या पीठासीन अधिकारी से इस प्रकार बाजी लगाना उचित है?

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : अब देश में "एक समान समय" की संकल्पना लागू करने का समय आ गया है क्योंकि अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी ऐसा ही होता है। जब सरकारी नेता कोई वक्तव्य देता है तो विपक्ष को अपने विचार व्यक्त करने का उतना ही समय दिया जाता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) निरसन अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 25) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1956 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम खण्ड-वार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और खण्ड 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2 और खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1--

"26वां" के **स्थान पर** "27वां" **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

(विद्याचरण शुक्ल)

सभापति महोदय :: प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adpoted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Enacting formula as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरे मित्र श्री एच० एन० मुखर्जी ने सरकार से अपील की है कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाये । यह बात सही है कि इन 20 वर्षों में बहुत परिवर्तन आये हैं । लकिन हमें यह विधेयक आज पास नहीं करना चाहिये ।

मैं 'पीत पत्रकारिता' का पक्षपात नहीं कर रहा हूं और मैं सदैव घटिया पत्रकारिता का विरोधी रहा हूं । मैं समाचारपत्रों को उद्योगपतियों से असम्बद्ध करने और उनके स्वामित्व के विस्तारण की मांग करता रहा हूं । इस विधेयक को पास करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा बल्कि दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादियों को यह कहने का अवसर मिल जायेगा कि समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता छीन ली गई है । अतः इस सम्पूर्ण मामले पर पुनर्विचार किया जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभी सदस्य इसके पक्ष में हैं । विधेयक पारित होता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री पी० जी० मावलंकर : इसके विपक्षी भी हैं और मैं लगातार चिल्लाता रहा हूं कि मैं इसके विपक्ष में हूं। आप कार्यवाही वृत्तांन्त को देखें और टेप को सुनें।

सभापति महोदय : जहां तक मैं समझता हूं, मैंने कहा था कि सभी इसके पक्ष में हैं। इसका कोई विरोध नहीं हुआ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब आपने यह कहा कि इसके पक्ष में हैं तो मैंने तुरन्त कहा कि मैं इसके विपक्ष में हूं। लेकिन जब आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं। मत विभाजन की मांग करना तो मेरा अधिकार है।

सभापति महोदय : 'नहीं' कहने के किसी सदस्य के अधिकार और पीठासीन अधिकारी द्वारा की गई घोषणा को चुनौती देना तो निर्विवाद है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने कहा कि "समर्थक इसके पक्ष में है" और मैंने कहा कि "विधेयक पारित होता है।" इसी दौरान अब आप कहते हैं कि आपने "नहीं" कहा है। मैंने यह नहीं सुना। एक बार जब मैंने यह घोषणा की कि विधेयक पारित किया जाता है, तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है।

श्री एच० एम० मुखर्जी : क्या पीठासीन अधिकारी अन्य लोगों की इस तरह से अनसुनी कर सकता है ?

क्या यह उसकी उदासीनता नहीं है ? . . . **(अन्तर्वाधाएं)** . . .

श्री पी० जी० मावलंकर : आप कार्यवाही वृतांत देख सकते हैं। मैंने यही कहा है कि इसके विपक्ष में भी हैं।

सभापति महोदय : यह स्वीकृत सिद्धान्त है कि सभा की कार्यवाही का अन्तिम निर्णायक पीठासीन अधिकारी होता है। मैंने कहा कि समर्थक इसके पक्ष में हैं और मैंने कुछ क्षण तक प्रतीक्षा की। फिर मैंने कहा कि विधेयक पारित किया जाता है। दूसरे मद के बाद ऐसा नहीं हो सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब श्री मावलंकर द्वारा यह मामला उठाया गया है, मैं समझता हूं कि हमने भी कहा था कि इसके विपक्ष में भी हैं। अब प्रश्न यह है कि जब उन्होंने यह कहा है तो उन्हें सन्देह लाभ दिया जाना चाहिये. . **(अन्तर्वाधाएं)** हमें टेप सुननी चाहिये।

सभापति महोदय : प्रश्न प्रक्रिया का है। अब जब प्रस्ताव सभा में पेश हो गया है तो पीठासीन अधिकारी यह निर्णय करता है कि क्या सभा ने प्रस्ताव स्वीकृत किया है या नहीं। नियमों के अनुसार पीठासीन अधिकारी को प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में मत लेने होते हैं और फिर वह घोषणा करता है। जब मैंने यह कहा कि प्रस्ताव का समर्थन किया गया है और मैं कुछ समय तक रुका रहा, फिर मैंने कहा

कि विधेयक पास किया गया है। मैंने किसी सदस्य को इसका विरोध करते नहीं सुना। विधेयक पास हो गया है और मैंने दूसरा प्रस्ताव ले लिया है। प्रक्रिया सम्बन्धी कोई नियम मुझे मामले को पुनः उठाने का अधिकार नहीं देता है। अब श्री सेकैरा अपना संकल्प पेश करेंगे।

आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण विधेयक

Statutory Resolution Re. Prevention of Publication of Objectionable Matter Ordinance 1975 and Prevention of publication of Objectionable Matter Bill

श्री इराज्मु-द-सेकैरा (मारमागोआ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 28) का निरनुमोदन करती है।"

आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अध्यादेश अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान है। मैं इसका इसलिये विरोध करता हूं कि क्योंकि इसे अध्यादेश के रूप में लाया गाया है। लेकिन जब सरकार को पहले ही सेंसर का अधिकार मिल गया है और सरकार की अनुमति के बिना कोई सामग्री समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं हो सकती तो इस अध्यादेश को लाने की क्या आवश्यकता है? आक्षेपणीय सामग्री की परिभाषा इतनी अधिक विस्तृत कर दी गई है जिसका कोई अन्त नहीं है। किसी सामग्री को आक्षेपणीय बताने का कौन निश्चय करेगा। केन्द्रीय सरकार का केवल एक अधिकारी स्वतन्त्र प्रेस पर अपना निर्णय देगा। यह अत्यधिक निकृष्ट है। इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक प्रणाली का संचालन कर रहे हैं। इसी प्रशासनिक अधिकारी को यह निर्णय देने का अधिकार दिया है कि क्या सामग्री प्रकाशित की जाये और क्या नहीं। इस तरह से अधिकारों का दुरुपयोग किया जाएगा।

यदि सरकार इस सदन में ऐसा विधेयक लाती और यह कहती कि हम प्रेस परिषद में इसकी शिकायत करेंगे और फिर इस पर निर्णय करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। सभी राज्यों में प्रेस परिषद बनती और वे स्वायत्तशासी होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सरकार जो भी कानून लाई है उसमें वह दोषारोपण, न्यायाधीश और अधिनिर्णायक बनाना चाहती है और ये सभी गुण एक से ही केन्द्रित करना चाहती है।

समाचार पत्रों में सरकार सम्मत समाचार ही प्रकाशित होते हैं। विपक्षी दलों का कोई भी वक्तव्य प्रकाशित नहीं होता है। यही हमारी लड़ाई है? सभी प्रकार के प्रतिबन्धित विपक्षी दलों पर ही लगाये गये हैं।

यदि सरकार देश में अनुशासन लाना चाहती है और लोकतांत्रिक समाज से हिंसा का निवारण करना चाहती है तो विपक्ष का सम्मान करना होगा। अन्यथा लोकतंत्र निरर्थक बन जाएगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 28) का निरनुमोदन करती है।"

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अपराध का उद्दीपन करने वाली तथा अन्य आक्षेपणीय सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन के निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस कानून की आवश्यकता स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद ही हो गई थी। 1951 में भी इस सदन ने ऐसा कानून बनाने पर विचार किया था। तत्कालीन गृहमंत्री श्री राजगोपालाचार्य ने इस कानून की आवश्यकता के कारण बताते हुये कहा था कि यदि ऐसी गतिविधि, आक्षेपणीय सामग्री के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया तो सरकार को शीघ्र ही देश के प्रत्येक जिले में सेना भेजनी पड़ेगी।

यह विधेयक एक ऐसे व्यक्ति, श्री राजगोपालाचार्य द्वारा रखा गया था, जोकि प्रेस के लिए अत्यधिक स्वतन्त्रता के पक्षपाती थे। वह उस समय के हमारे देश के गृह मंत्री थे। प्रेस आयोग ने जब समाचारपत्रों की स्थिति का अध्ययन किया तब उन्होंने सुझाव दिया था कि समाकार पत्रो के संचलन को प्रेस परिषद की स्थापना करके विनियमित किया जाये। हमें आशा थी कि देश में गड़बड़ी करने वाले लोग इससे दबेंगे परन्तु बाद में हमारी आशाएं पूरी नही हुई। प्रेस परिषद से कोई लाभ नहीं हुआ।

जब 1957 में उस अधिनियम का निरसन किया गया था, तो प्रेस परिषद से बड़ी आशाएं रखी गई थी। वे आशायें अब विफल हो गई हैं। और ऐसा लगता है कि जब तक विधेयक में आक्षेपणीय लेखों को रोकने के लिये समुचित उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक हम अपने देश में शासन समुचित ंग से नहीं चला पायेंगे और लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पायेंगे। इसलिये सभा के समक्ष यह विधेयक पेश किया गया है।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस समय लागू आपात स्थिति से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका सेंसरशिप से भी कोई सम्बन्ध नहीं है। समाचार-पत्रों के सम्पादकों ने से आचार संहिता का नाम दिया था। आचार संहिता मलवा आचरण संहिता का पालन करने वाले समाचार पत्रों अथवा पत्रकारों को इससे कोई भय नहीं है

श्रेष्ठ पत्रकारिता एवं रचनात्मक पत्रकारिता में विश्वास रखने वाले अथवा प्रेस को लोकतन्त्र का अंग मानने वाले व्यक्ति इस विधेयक का समर्थन करेंगे ।

पत्रकारिता के लिये तथा देश के लिये कार्य करने वाले पत्रकार इस विधेयक का समर्थन करेंगे । इस विधेयक का समग्र रूप से अध्ययन करने वाले अनुभव करेंगे कि उसमें देश के कानूनों का उल्लंघन करने वालों को ही दण्ड योग्य ठहराया गया है । इस विधेयक का उद्देश्य केवल यही है कि इसे अपराधों से मुक्त प्रकाशित सामग्री पर लागू किये जायें । हमारे पहले से बने हुए कानूनों में भी इस प्रकार के उपबन्ध हैं । इसका उद्देश्य यह है कि आक्षेपणीय सामग्री को छापने से रोका जा सके ।

इस विधेयक के उपबन्धों के दुरुपयोग को रोकने के लिये काफी व्यवस्था की गई है । पहली व्यवस्था यह है कि सक्षम प्राधिकारी निम्नस्तर का नहीं होगा । यह उप-सचिव या उससे ऊंचे या जिला मजिस्ट्रेट अथवा उससे ऊंचे स्तर का होगा । उसके समकक्ष प्राधिकारी नियुक्त करने के लिये इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत मनोनीत किया जायेगा और वह तब तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगा जब तक कि रिपोर्टिंग अधिकारी उसके पास रिपोर्ट न भेजे । यह संरक्षण प्रदान किया गया है ताकि हर कोई वहां जाकर रिपोर्ट न करे और सक्षम प्राधिकारी ही उस पर कार्यवाही कर सकें ।

विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि यदि कार्यवाही की सूचना जारी कर दी गई है तो केन्द्रीय सरकार जो कि अगला अपीलीय प्राधिकारी है, बिना किसी अपील के उस सूचना को रद्द कर सकती है । और सरकार को कोई अपील की जाती है तो उपबन्ध है कि दो सप्ताह के भीतर केन्द्रीय सरकार को वह अपील निपटानी आवश्यक है । यदि केन्द्रीय सरकार अपील पर ध्यान नहीं देती और कानून के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय ले लेती है तो अपीलकर्त्ता की अपील पर विचार कर लिया गया समझा जायेगा और आदेश स्वतः ही रद्द हो जायेगा । यह सुनिश्चित करने के लिये अपील को लम्बे समय के लिये निलम्बित रख कर अपीलकर्त्ता को तंग नहीं किया जा रहा है, यह उपबन्ध है ।

यदि इस उपबन्ध के बावजूद असन्तुष्ट पक्ष सन्तुष्ट नहीं होता है तो वह उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में जा सकता है और यह प्रमाणित कर सकता है कि की गई कार्यवाही अनुचित है और इस लिये इसे रद्द किया जाना चाहिये । हमने इस विधेयक के दुरुपयोग को रोकने के लिये बहुत सावधानी बरती है ।

इस विधेयक का उद्देश्य लोक जीवन तथा पत्रकारिता में स्वच्छ जीवन का संचार करना है । इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम उनको किसी प्रकार का भय उत्पन्न कर रहे हैं । अतः इस बारे में जो भी चिन्ता व्यक्त की गई है वह व्यर्थ है ।

जहां तक निर्णय लेने वाले प्राधिकारी का सम्बन्ध है अर्थात कार्यवाही की जाये कि नहीं, अन्ततोगत्वा इसके लिये मन्त्री को पूरी जिम्मेवारी स्वीकार करनी होगी ।

इस विधेयक में किये गये उपबन्ध से यह सुनिश्चित किया गया है कि विधेयक के अन्तर्गत शक्तियां तहसीलदार या नायब तहसीलदार को नहीं दी जा सकती । यह तो एक प्रकार का संरक्षण

है ताकि इस स्तर के अधिकारियों से नीचे के स्तर पर कार्यवाही न की जा सके। जो भी कार्यवाही की जाती है वह इस सभा के प्रति सरकार के उत्तरदायित्व को ध्यान में रख कर की जाती है। विपक्ष पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, क्योंकि यह कानून सभी पर लागू होगा। कानून और व्यवस्था कायम रखने वाली सशस्त्र सेना या बल के किसी कर्मचारी को अपने कर्त्तव्य या अपनी निष्ठा से पथ भ्रष्ट करना या ऐसे बल में लोगों की भर्ती करने में बाधा डालना आपत्तिजनक माना जायेगा। यही वास्तव में आपत्तिजनक सामग्री है और ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगाना ही चाहिये। मैं यहां पर यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कार्मिक संघों के उचित कार्य में रत व्यक्तियों को इस कानून से कोई कठिनाई नहीं होगी। समाज के सामान्य जीवन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध यह लागू होगा। जिस दूसरी आपत्तिजनक बात की हमने परिभाषा दी है वह है विभिन्न फर्मों, भाषाओं, क्षेत्रों या समुदायों के लोगों के बीच शत्रुता व नफरत की भावना बढ़ाना। यदि यह कार्यवाही विपक्ष के विरुद्ध मानी गई है तो विपक्ष में अवश्य कुछ कमी है।

इसी तरह एक अन्य उपबन्ध में भारत के राष्ट्रपति या मन्त्रिमण्डल के किसी सदस्य, लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य के राज्यपाल की मानहानि का उल्लेख है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने विनियमन हैं जिनकी उच्च न्यायालय अवमान अधिनियम में व्यवस्था है। अतः हमने इस मामले में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं रखा है। अपने कर्तव्य के कारण ही और अधिकारी ऐसे घृणित आक्षेपों के शिकार बनते हैं। उन्हें भी संरक्षण देना है। अतः ऐसे लोगों की मानहानि की रक्षा करना अत्यावश्यक हो गया है।

यह व्यवस्था भी की गयी है कि उचित और अपेक्षित समालोचना को दबाया नहीं जायेगा। परन्तु यह समालोचना आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिये। यदि नीति के बदलने का मामला होगा तो किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध अथवा किसी मन्त्री और अन्य व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत को इस व्यवस्था के माध्यम से दूर कराया जा सकता है।

इस विधेयक के साथ दूसरा स्पष्टीकरण भी दिया गया है। मामले को अनिश्चित काल तक नहीं लटकाया जाना चाहिए था और इसे कानूनी उलझनों में नहीं उलझाना चाहिये। तत्सम्बन्धी मामलों पर बड़े स्पष्ट निर्णय होने चाहिये। इससे न तो विरोधी पक्ष को ही रोका जा सकता है और न ही इससे सामान्य जनजीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाईयां ही पैदा होंगी। यह तो असामान्य परिस्थितियों के लिये है और उसके उपचार के लिये ही इसकी आवश्यकता होगी। यदि कोई साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काता है अथवा भाषा तथा किसी अन्य समस्या को लेकर लोगों की भावनाओं से खेलने का प्रयास करता है तो इस अधिनियम का निश्चित रूप से प्रयोग होगा। इसे बड़े उचित ढंग से और ध्यानपूर्वक प्रयोग में लाया जायेगा। स्थिति ऐसी बन गई है कि इस तरह का कानून अवश्य बन जाना चाहिये।

इस विधेयक का उद्देश्य लोकतन्त्र और लोकतन्त्रीय शक्तियों को मजबूत बनाना है। यह उनके विरुद्ध है जो राष्ट्रीय जीवन के विरुद्ध हैं, जो राष्ट्रीय एकता को समाप्त करने की दुर्भावना से प्रेरित हैं और वे इस देश में सभी प्रकार की अस्वस्थ प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि अपराध का उद्दीपन करने वाली तथा अन्य आक्षेपणीय सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन के निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ;"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri S.M. Banerjee : I have moved an amendment for eliciting opinion on the Bill by 4th March, 1976. This Bill is a legacy of the British period. The British rulers were afriad of Indian people and to safeguard their own interest they had enacted a legislation which served their purpose.

It is not known as to what is the necesssity of bringing this sort of legislation now. We have seen that the anti- national elements which are preaching sedition and chaos have been subpressed and are lying low at present. All the progressive elements, the workers and the peasants are supporting the Government. Therefore, there is absolutely no necessity of bringing this measure. It is for these reasons that I have suggested that this Bill be circulated for eliciting public opinion thereon.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैंने प्रस्ताव किया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये । यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो यह देश की प्रजातन्त्रीय प्रणालियों के विरुद्ध होगा । इसके पास होने पर कोई चुनाव घोषणापत्र, नोटिस या पोस्टर भी प्रकाशित नहीं कर सकेगा । यह लोकतत्व के विरुद्ध होगा ।

श्रमिक वर्ग को हड़ताल करने का अधिकार है । किन्तु इस विधेयक के अनुसार कोई भी मजदूर संघ मजदूरों से बोनस के लिये लड़ने की अपील नहीं कर सकता और न ही उन्हें हड़ताल करने के लिये कह सकता है क्योंकि इसका अर्थ यह समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को उत्पादन, पूर्ति या खाद्य के वितरण कार्य में हस्तक्षेप करने के लिये उकसाया जा रहा है । अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है ।

इस प्रकार यह विधान अनुचित तथा अवांछनीय विधानों में से एक है । मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सके । इससे विधेयक अधिक सार्थक होगा ।

Shri R.S. Pande (Rajnandgaon) : Every peace loving Member well support this Bill which has been brought fowarrd with a purpose of putting a curb on the publication of objectionable matters.

All of us knows about the situation during the last two or three years. Some people were openly preaching sedition and Gheraos. Demonstrations and agitations had made the lives of peace-loving citizens miserable. These things were propagated through the medium of newspapers and other publications. These publications were inciting the people against their leaders. They were turnishing the image of this House and its Members.

Everyday there was character assassination and the image of our leaders and even that of our Prime Minister was being for turnished by publications brought out by some mischievous elements. It had become necessary to put a stop to all this.

In view of this I welcome this Bill and hope that this Bill will serve its purpose and will help to maintain law and order in the country.

श्री सरोज मुखर्जी (कटवा) : फिरोज़ गांधी अधिनियम को समाप्त करके तथा प्रेस आयोग की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में फेंककर तथा संसद और सरकार को राजाजी अधिनियम का निरसन करने की सलाह देकर मन्त्री जी ने पुराने अधिनियम को अधिक खतरनाक रूप में पेश किया है। यही कारण है कि इस विधेयक को पूरी तरह अस्वीकृत किया जाना चाहिये। आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन निवारण अध्यादेश को प्रस्थापित करने के पश्चात् प्रेस, श्रमजीवी पत्रकारों तथा बुद्धिजीवियों में यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई भी इस अध्यादेश का समर्थन नहीं करता। यहां तक कि जो लोग आपात स्थिति के समर्थक थे, उन्होंने भी इस अध्यादेश का विरोध किया है और अब इस विधेयक का भी विरोध कर रहे हैं।

विधेयक में जिन बातों का उल्लेख है, उन्हें निपटाने के लिये भारतीय दण्ड संहिता तथा अपराध दण्ड संहिता में काफी व्यवस्था है और इसलिए राजाजी के पुराने अधिनियम को नया रूप देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह विधान ब्रिटिश शासकों द्वरा प्रख्यापित 1930 के प्रैस अधिनियम से अधिक कठोर है।

यदि यह विधेयक पास किया गया तो इसका मज़दूरों, किसानों तथा जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? यदि मज़दूर अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल करते हैं और यदि अपनी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये पर्चे छपवाते हैं तो प्रैस उनके पर्चे नहीं छापेंगे इस अधिनियम के कारण कोई भी मज़दूर संघों के मज़दूरों या किसानों द्वारा तैयार किए गए पर्चे को छापने के लिए तैयार नहीं होगा और पत्रकार उसे समाचारपत्रों में नहीं छापेंगे।

यह सरकार तानाशाही की ओर अग्रसर हो रही है। प्रैस की स्वतन्त्रता हमारे लोकतन्त्र का आधार है और इसे मज़बूत किया जाना चाहिए किन्तु आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात इसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है।

कहा गया है कि स्वयं सेंसरशिप लागू की गई है। यह एकाधिकार वाले समाचारपत्रों के लिए है न कि छोटे और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों के लिए जिन्हें अपनी सारी सामग्री पूर्व सेंसरशिप के लिए पेश करनी होती है। यही कारण है कि समूचा प्रेस उद्योग अब भयभीत है। सरकार प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस तथा पत्रकारिता का दमन चक्र चला रही है। इससे रोका जाना चाहिये। मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाए।

Shri B.R. Shukla (Bahraich) : There is no doubt that freedom of the press is of great importance in a democracy but is the freedom of the press is abused and misused. It will pose the gravest danger to democracy. Therefore, certain restrictions have to be imposed on the Press Publication of any matter prejudicial to the interests of sovereignty and integrity of the country and security of the state has to be curbed.

The Bill has provided for filing an appeal to the Central Government against the order made by the campetent authority. Again there are provisions for appeals and applications to High Court. Therefore, it is not as if things have to be decided arbitrarily. Adequate safeguards have been provided in this matter.

The Bll has also provided that any matter defamatory of the President, the Vice-President. the Prime Minister and any other member of the council of Minister of the Union, the Speaker of the House of the People or the Governor of a State, would be treated as "objectionable matter" for the purpose of this legislation. Ministers should be taken out of the purview of this protection. If they are given protection it might the construed as discriminatory and the matter raised in a High Court or the Supreme Court.

It is said that any criticism of Government will be treated as "objectionable matter". It is no so. Explanation in clause 3 makes it clear that criticism of the Government policies will not be treated as "objectionable matter."

सभा का कार्य

Business of the House

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि नियम 193 के अन्तर्गत आज के लिये निश्चित चर्चा को किसी और दिन किया जाये। विपक्ष के नेताओं से परामर्श करने के बाद यह निर्णय हुआ है कि इस पर 5 फरवरी को चर्चा की जाये। और उस दिन सम्भव न हुआ तो यह चर्चा 6 फरवरी को की जाये।

Shri Narsingh Narain Pande (Gorakhpur) I agree with the announcement made by the minister. I would also like to mention here that farmers in U.P. are not getting prices of sugarcane. Entire sugarcane policy is involved with the sugarcane prices.

श्री के० रघुरामैया : में कह चूका हुं कि कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार करेगी

संसदीय कार्यवाहियाँ (प्रकाशन-संरक्षण) अध्यादेश, 1975 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और संसदीय कार्यवाहियाँ (प्रकाशन-संरक्षण) निरसन विधेयक--जारी

Statutory Resolution Re. Disapproval of Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Ordinanc 1975 and Parliamentary Proceedings (Protection of Publication Repeal Bill—*contd.*

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : प्रेस परिषद तथा आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन सम्बन्धी विधेयकों को लाकर प्रतीत होता है कि सरकार ने तीन प्रकार की दुखद घटनाओं को पैदा किया है।

Mr. Chairman : The hon. member may continue his speech tomorrow.

तत्पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, 29 जनवरी, 1976/9 माघ, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, January 29, 1976 Magha 9, 1897 (Saka)

GMGIPND—LSII—2818—LS—200.